वार्षिक रिपोर्ट
2010–2011

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम विभाग
खेल विभाग

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
संगठन		i-vi
युवा कार्यक्रम विभाग		
1.	युवा विकास	1
2.	राष्ट्रीय युवा नीति	2
3.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	3-7
4.	राष्ट्रीय सेवा योजना	8-12
5.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	13-15
6.	युवा छात्रावास	16-17
7.	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम	18-21
8.	अन्र्राष्ट्रीय सहयोग	22-23
9.	राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स	24-25

विषय सूची

खेल विभाग

10.	खेल	29
11.	अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारतीय दल की प्रमुख खेल उपलब्धियां	30-32
12.	भारतीय खेल प्राधिकरण	33-57
13.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर	58-60
14.	पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)	61-70
15.	खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन से संबंधित स्कीम	71-72
16.	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन से संबंधित स्कीम	73-78
17.	प्रतिभागी खेलों से संबंधित स्कीम	79
18.	डोप–रोधी उपाय	80-83
19.	राष्ट्रमंडल खेल, 2010	84-85
20.	खेल तथा, शरीरिक शिक्षा टीमों/विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय आदान–प्रदान	86
21.	भारतीय राष्ट्रीय प्लेइंग फील्ड एसोसिएशन	87-88
22.	हाल ही में की गई पहलों/प्राप्त उपलब्धियों पर एक नजर	89-92

अनुबंध

पृष्ठ संख्या

I.	संगठनात्मक चार्ट	95-96
II.	वित्तीय परिव्यय 2011–12	97-100
III.	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का ब्यौरा जिनसे उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं	101-106
IV.	नियंत्रक एवं महालेखाकार के लंबित लेखा परीक्षा पैराओं तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	107
V.	निर्मित युवा छात्रावासों की सूची	108-109
VI.	नेहरू युवा केन्द्र संस्थान/भारतीय खेल प्राधिकरण/संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित युवा छात्रावासों की सूची	110
VII.	निर्माणाधीन युवा छात्रावासों की सूची	111
VIIII.	राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2009–10 की सूची	112-114
IX.	राष्ट्रमण्डल खेल 2010 दिल्ली में पदक जीतने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान प्रशिक्षार्थियों की सूची	115
X.	एशियाई खेल 2010 चीन में पदक जीतने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान प्रशिक्षार्थियों की सूची	116-117
XI.	राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को सहायता की स्कीम तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु भारतीय टीम की तैयारी की स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा	118-120
XII.	विदेशी कोच 2009–10 को स्थिति विवरण –दीर्घकालिक आधार/ अल्पकालिक आधार (एलटीडीपी)	121-131
XIII.	प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण के तहत सहायता प्राप्त खिलाड़ी/सहायक व्यक्ति	132-136
XIV.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) से प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा	137-142
XV.	विभिन्न संगठनों से राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) को अंशदान	143-144
XVI.	राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के लिए प्रतिस्पर्धा स्थलों की सूची	145-146

संगठन

सचिवालय

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 19 जनवरी, 2011 तक डा. एम.एस. गिल, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री और श्री प्रतिक प्रकाशबापू पाटील, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री के समग्र मार्गदर्शन में कार्य किया है। 20 फरवरी, 2011 से श्री अजय माकन ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का स्वतन्त्र प्रभार ग्रहण कर लिया है। अप्रैल, 2008 में मंत्रालय को विभाजित करके युवा कार्यक्रम विभाग और खेल विभाग बना दिया गया और प्रत्येक विभाग एक–एक सचिव, भारत सरकार के प्रभार के अधीन है।

मंत्रालय में 3 संयुक्त सचित है। संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम और प्रशासन) युवा विकास से संबंधित मामले, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), राष्ट्रीय सेवा योजना और सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले देखते हैं। संयुक्त सचिव (खेल), भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (एलएनयूपीई), विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों तथा पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान जैसी अन्य खेल योजनाओं से संबंधित कार्य देखते हैं। संयुक्त सचिव (अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रभाग) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित कार्य देखते हैं। लेखाओं तथा लेखा परीक्षा से संबंधित मामले, संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार के प्रभार में हैं जो कोयला मंत्रालय में अपने दायित्वों के अलावा इस मंत्रालय के कार्यों को देखती हैं।

इस समय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 213 है जिसमें समूह 'क' के 28 समूह 'ख' के 88 पद (30 राजपत्रित तथा 58 अराजपत्रित), समूह 'ग' के 97 पद शामिल हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनबंध–I में दिया गया है।

मंत्रालय के कार्य

भारत सरकार के आदेश (कार्यो का आबंटन) नियमावली, 1961 की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दोनों विभाग अर्थात युवा कार्यक्रम विभाग और खेल विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं :–

क. युवा कार्यक्रम विभाग

1. युवा कार्यक्रम /युवा नीति
2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन
3. राष्ट्रीय युवा कोर्प्स (एनवाईसी) स्कीम
4. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
5. ग्रामीण युवा और खेल क्लबों को सहायता की स्कीम

6. राष्ट्रीय युवा आयोग
7. राष्ट्रीय सेवा योजना
8. स्वैच्छिक युवा संगठन जिसमें उनके लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है (युवा और किशोर विकास के लिए युवा संगठनों को वित्तीय सहायता)
9. राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक
10. युवा कल्याण कार्यकलाप, युवा महोत्सव, कार्य शिविर इत्यादि (राष्ट्रीय युवा महोत्सव)
11. बाल स्काउटस तथा बालिका गाइड
12. युवा छात्रावास
13. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार (राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और तेनजिंन नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार)
14. पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम के शेष कार्य
15. विदेशों से युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान

ख. खेल विभाग

1. खेल नीति
2. खेल एवं क्रीड़ाएं
3. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि
4. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान
5. भारतीय खेल प्राधिकरण
6. भारतीय ओलंपिक संध तथा राष्ट्रीय खेल संधों से जुड़े मामले
7. विदेशों में टूर्नामेंटों में भारतीय खेल टीमों का भाग लेना तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी खेल टीमों का भाग लेना
8. अर्जुन पुरस्कार सहित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार
9. खेल शिक्षावृत्तियां
10. विदेशों से खिलाड़ियों, विशेषज्ञों तथा टीमों का आदान–प्रदान
11. खेल अवसंरचना के सृजन व विकास के लिए सहायता सहित खेल अवसरंचना
12. कोचिंग, टूर्नामेंटों, उपकरण इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता
13. संध राज्य क्षेत्रों से जुड़े मामले
14. शारीरिक शिक्षा

उपर्युक्त निर्दिष्ट किसी भी विषय के लिए मंत्रालय द्वारा गठित सभी संबद्ध अथवा अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकाय।

अधीनस्थ कार्यालय /स्वायत्तशासी संगठन

युवा कार्यक्रम विभाग

इस विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय अर्थात राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) और दो स्वायत्तशासी संगठन अर्थात नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाइकेएस), नई दिल्ली और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (अक्तूबर, 2008 से सम विश्वविद्यालय) श्री पेरम्बुदूर, तमिलनाडु हैं।

खेल विभाग

इस विभाग में निम्नलिखित हैं :–

(क) खेल प्रभाग : यह प्रभाग राष्ट्रमंडल खेल 2010 से जुड़े मुद्दों को छोड़कर विभाग के खेल कार्यकलापों का कार्य देखता है।

(ख) राष्ट्रमंडल खेल – 2010 प्रभाग : राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की तैयारी से जुड़ें मुद्दों की निगरानी के लिए मंत्रियों के कोर समूह की सिफारिश पर दिनांक 25.10.2004 को एक पृथक प्रभाग सृजित किया गया।

निम्नलिखित स्वायत्तशाली संगठन, खेल विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं :–

(i) भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), नई दिल्ली।

(ii) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शरीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (एनएनयूपीई), ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

(iii) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा)।

(iv) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग का प्रतिनिधित्व

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में अनुसूतित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 48 कार्मिक हैं। समूह ''क'' के पदों में 3 अधिकारी अनुसूचित जाति, ।/ अधिकारी अनुसूचित जनजाति से और 1 अधिकारी अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी से है। समूह ''ख'' के पदों में 11 अधिकारी अनुसूचित जाति श्रेणी से, 05 अधिकारी अनुसूचित जनजाति श्रेणी से और 02 पदाधिकारी अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी से हैं। समूह ''ग'' के पदों में 15 पदाधिकारी अनुसूचित जाति श्रेणी से और 3 पदाधिकारी पिछडा वर्ग श्रेणी और 7 पदाधिकारी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं।

बजट आबंटन

2010–11 के लिए मंत्रालय का कुल बजट आबंटन 3565.00 करोड़ रू. (बजट प्राक्कलन) था। इसमें योजनागत शीर्ष में 2844.00 करोड़ रू. तथा योजनेत्तर शीर्ष में 721.00 करोड़ रू. शामिल है। 2010–11 के लिए संशोधित प्राक्कलन 3315.00 करोड़ रू. है। जिसमें योजनागत शीर्ष में 2383.00 करोड़ रू. तथा योजनेत्तर शीर्ष में 739.00 करोड़ रू. शामिल है। वर्ष 2010–11 के लिए कुल बजट आबंटन 1121.00 करोड़ रू. (बजट प्राक्कलन) है जिसमें योजनागत के लिए 1000.00 करोड़ रू. तथा योजनेतर के लिए 121.00 करोड़ रू. शामिल हैं। ब्यौरा अनुबंध–II में दिया गया है।

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में एक राजभाषा प्रभाग है जिसमें एक उप निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, तीन कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, तथा सचिवालयीय स्टाफ के पद, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत हैं। मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) गठित की गई है और इसकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने 28 जनवरी, 2010 को मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय का निरीक्षण किया था। समिति ने पाया कि वर्ष 2006 में हुए पिछले निरीक्षण की तुलना में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

मंत्रालय ने हर्षोल्लास के साथ 14–30 सितम्बर, 2010 का हिंदी पखपाड़ा मनाया। हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण एवं आलेखन, (हिंदी तथा हिंदीतर भाषी कर्मचारियों हेतु), हिंदी भाषण जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

मंत्रालय की वेबसाइट को हिंदी तथा अंग्रेजी के द्विभाषी रूप में बनाया गया है और इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

सतर्कता प्रकोष्ठ

वर्ष 2010–11 के दौरान मंत्रालय में संयुक्त सचिव, जिन्हें मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में नामित किया गया है, के अधीन एक सतर्कता तंत्र कार्य कर रहा है जो सतर्कता संबंधी मामले को देखता है। मंत्रालय के प्रत्येक स्वायत्तशासी संगठन तथा अधीनस्थ कार्यालय का अपना एक स्वतंत्र एकक है जो कि सतर्कता मामलों को देखते हैं।

मंत्रालय तथा इसके फील्ड संगठनों में 25 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2010 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। मंत्रालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने शपथ ली। सप्ताह के दौरान सतर्कता के

प्रति जागरूकता से संबंधित संदेश वाले बैनर व पोस्टर लगाए गए। सरकारी अधिकारियों /कर्मचारियों तथा साथ ही नागरिक समाज से निरन्तर आत्मनिरीक्षण करने की अपेक्षा करते हुए शासन संचालन में सदाचार तथा भ्रष्टाचार से सामाजिक बुराई के रूप में लड़ने और भ्रष्ट व्यक्तियों का पता लगाए जाने व उन्हें दण्डित किए जाने के प्रति जागरूक होने पर बल दिया गया है।

महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न पर शिकायत समिति

विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को देखने के लिए इस मंत्रालय की एक महिला निदेशक के अधीन एक शिकायत समिति गठित की गई है। समिति को पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त एक शिकायत, अपनी सुनवाई के अंतिम चरण में है। समिति को और कोई शिकायत 2010–11 के दौरान प्राप्त नहीं हुई है।

सूचना का अधिकार और जन शिकायत प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों को केन्द्रीय रूप से इस मंत्रालय के सूचना अधिकार प्रकोष्ठ में प्राप्त किया जाता है जिसके प्रभारी एक अनुभाग अधिकारी हैं और इसका समन्वय निदेशक (समन्वय) द्वारा किया जाता है। आवेदन, निर्धारित समय के भीतर याचिकाकर्ता को उचित उत्तर भेजने के लिए संबंधित सीपीआईओ को अग्रेषित किए जाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में मंत्रालय ने अधिनियम के अंतर्गत निदेशक/उप सचिव के स्तर पर विषय–वार जन सूचना अधिकारी और संयुक्त सचिव के स्तर पर अपील प्राधिकारी को नियुक्त किया है। ब्यौरो को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी डाला गया है। इसी प्रकार जन शिकायत पर सभी आवेदनों को केन्द्रीय रूप में जन शिकायत प्रकोष्ठ में प्राप्त किया जाता है। निदेशक (प्रकाशन) को मंत्रालय में जन शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

उपयोग प्रमाण–पत्र

मुख्य लेखा नियंत्रक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय समय–समय पर लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या को इस मंत्रालय की जानकारी में लाता है। उपयोग प्रमाण पत्रों के लंबित होने को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। केवल उन्हीं एजेंसियों को निधियां जारी करने के लिए कदम उठाए गए हैं जिन्होंने भारत सरकार से प्राप्त अनुदान हेतु उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने के मामले में कोई और अनुदान जारी नहीं किए गए हैं।

विशेष अभियान और जहां–कहीं आवश्यक हो वित्तीय सलाहकार के साथ परामर्श से बड़े पैमाने पर लंबित मामले समाप्त हुए हैं। सरकारी अनुदान के संबंध में उपयोग ब्यौरे प्रस्तुत न करने वाले एनजीओ के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई जैसी कड़ी कार्रवाई भी प्रारंभ की गयी है। चूककर्ता एनजीओ के नाम तथा पते विभाग के वेबसाइट पर डाले गए हैं। इसके अतिरिक्त, उपयोग प्रमाण पत्र तत्काल प्रस्तुत करने के

लिए नियमित अनुस्मारक भी जारी किए जाते हैं। उपयोग प्रमाण पत्र के वर्ष वार लंबित होने का सार अनुबंध–III में दी गई तालिका में दिया गया है।

लंबित लेखा परीक्षा पैरा

लंबित लेखा परीक्षा पैरा के ब्यौरे अनुबंध–IV में दिए गए हैं।

विभागीय लेखांकन

प्रत्येक विभाग अर्थात खेल विभाग और युवा कार्यक्रम विभाग के सचिव, मुख्य लेखांकन प्राधिकारी है। वह मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करता है। मुख्य लेखा नियंत्रक, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय के लेखांकन संगठन का प्रमुख है।

युवा कार्यक्रम विभाग

अध्याय

1

युवा विकास

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2006 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में सभी युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने सपनों के नए भारत के निर्माण के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाये कि भारत में युवाओं के कौशलों को पूर्ण रूप से मूर्त रूप देने के लिए इस देश में प्रचूर अवसर होंगे।

भारत में 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत है। इसमें भी, 10–19 वर्ष की आयु के बीच की जनसंख्या 225 मिलियन है, जो प्रौढ़ अवस्था में जाने के लिए युवा लोगों का अभी तक सबसे बड़ा समूह है। युवा वर्ग यही, संख्या, भारत के लिए बड़ी संख्या में भावी लाभ के रूप में बदल सकती है और/अथवा यदि उपयुक्त रूप से इसका प्रबंधन और उपयोग नहीं किया गया तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।

पर्वतारोहण कार्यकलाप

अध्याय
2

राष्ट्रीय युवा नीति

राष्ट्रीय युवा नीति में एक बार फिर भारत के युवाओं के सामासिक एवं स्वांगिन विकास के प्रति समूचे राष्ट्र की वचनबद्धता को दोहराया गया है ताकि वे राष्ट्र के पुनर्निर्माण व आगे होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के चुनौतीपूर्ण विशेष कार्यों को सफलता पूर्वक पूरा करने में दिल, दिमाग और शरीर से मजबूत बन सकें।

युवा कार्यक्रम विभाग सक्रिय रूप से मौजूदा राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 की समीक्षा कर रहा है। मसौदा युवा नीति, 2011 को 10 प्रमुख क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है नामतः राष्ट्रीय मूल्यों, सामाजिक सौहार्द व राष्ट्रीय एकता का संवर्धन; रोजगार व उद्यमशीलता के अवसरों के माध्यम से युवाओं का सशक्तीकरण; शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से सम्बद्ध मुद्दे एवं स्वस्थ जीवन शैली; लिंग आधारित न्याय व समानता; समुदाय सेवा में भागीदारी; जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए किशोरों को तैयार करना; सामाजिक न्याय व प्रतिकूल सामाजिक प्रथाओं के विरूद्ध कार्रवाई; पर्यावरण, इसके संरक्षण व परिरक्षण से सम्बद्ध मुद्दे; तथा राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों व स्कीमों को सहायता सहित युवा एवं स्थानीय शासन मसौदा युवा नीति को, युवा कार्यक्रम विभाग के तहत शीर्षस्थ संस्थान राजीव गांधी युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) द्वारा तैयार किया गया है और इसमें विभिन्न स्टेकहोल्डरों के परामर्श किया गया है। इस मसौदे को युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों/सुझावों के लिए परिचालित किया गया है। मसौदे को आम जनता के सुझावों हेतु युवा कार्यक्रम विभाग की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

अध्याय
3

नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस)

सिंहावलोकन

भारत के समक्ष जनसंख्या की दृष्टि से लाभ का अद्वितीय अवसर है, जिसमें युवा वर्ग प्रमुख महत्वपूर्ण परिसम्पति है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, जो युवा सशक्तीकरण तथा विकास के लिए नोडल मंत्रालय है, युवाओं में गहन स्वयंसेवा, समुदाय सेवा, अच्छे नागरिक बनने की भावना पैदा करने और उनका व्यक्तित्व विकास करने की दिशा में कार्यरत रहा है। इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय के एक महत्वपूर्ण कार्यान्वयक खण्ड, नेहरू युवा केन्द्र का प्रयास ग्रामीण युवा क्लबों की स्थापना पोषण तथा मार्गदर्शन में सहायता करने का है।

पृष्ठभूमि

नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना, ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मे भाग लेने तथा अपने व्यक्तित्व और कौशलों का विकास करने के अवसर प्रदान करने के लिए 1972 में की गई थी। वर्ष 1987–88 में नेहरू युवा केन्द्र की स्थापना उक्त केन्द्रों के कार्यकरण की देखरेख करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी।

कार्यक्षेत्र

ग्रामीण युवा क्लबों सहित नेहरू युवा केन्द्र संगठन मूल स्तर पर सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है जो विश्व में अपनी तरह का अकेला संगठन है। संगठन स्वयंसेवा भाव, स्वसहायता तथा समुदाय भागीदारी के सिद्धान्तों के आधार पर उन युवाओं की शक्ति का सदुप्रयोग करता है जो 13 से 35 वर्ष के है नेहरू युवा

केन्द्र संगठन के 501 केन्द्र, 28 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 1.25 लाख से अधिक ऐसे ग्राम आधारित सक्रिय युवा क्लब हैं जिनमें लगभग 37 लाख स्वयंसेवी पंजीकृत हैं। इसका उद्देश्य मूल स्तर पर युवाओं के, ग्राम स्तर पर स्वयंसेवी कार्य समूह गठित करना है और राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में इस विपुल क्षमता का उपयोग करना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन का प्रस्ताव देश के शेष 122 नए जिलों में केन्द्र खोलने है।

युवा क्लब व इसके सदस्य, स्वयंसेवी नेहरू युवा केन्द्र संगठन के विशाल राष्ट्रीय ग्रामीण नेटवर्क का आधार हैं। युवा क्लबों के अपने दूर–दूर तक फैले नेटवर्क, जिसमें लगभग 20000 राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स (एनवाईसी) स्वयंसेवियों तथा नेहरू युवा केन्द्र हैं, के साथ यह संगठन युवाओं को देश के लिए एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप कार्य करने के अवसर प्रदान करने के लिए ऊर्जावान तन्त्र बन गया है।

युवाओं का समावेशन–युवा क्लब सर्वेक्षण व विधि मान्यकरण

हाल में नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा 85 दिन के अभियान में 12000 युवा स्वयंसेवियों को शामिल करते हुए मौजूदा सभी 3.5 लाख सदस्यों के साथ 1.25 लाख सक्रिय युवा क्लबों का वृहत डाटा आधार तैयार किया गया है और नेहरू युवा केन्द्र संगठन की वेबासाइट पर ऑनलाइन डाटा आधार डाला जाएगा।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम

मूलतः अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नेहरू युवा केन्द्र संगठन का प्रयास आधुनिक भारत के जिम्मेदार व उपयोगी नागरिक बनने वाले युवाओं को सक्रिय भागीदार के रूप में राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने का है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन एक लाख से अधिक ग्राम आधारित युवा क्लबों के

नेहरू युवा केंद्र, धर्मशाला के राष्ट्रीय युवा कोर के प्रवेश प्रशिक्षण के भागीदार सदस्य

स्वतन्त्र मूल स्तर के नेटवर्क के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में साक्षरता समर्थन, जागरूकता अभियान, सामाजिक संपरीक्षा तथा सहायता कार्यक्रमों में शामिल रहा है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नियमित रूप से युवा क्लबों की क्षमता निर्माण व जागरूकता, ग्रामीण युवाओं के रोजगार अवसरों हेतु कौशल उन्नयन तथा प्रशिक्षण तथा साथ ही उनके व्यक्तित्व विकास व अच्छे नागरिक बनने संबंधी कार्यकलाप चलाता है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन खण्ड, जिला व राज्य स्तरों पर युवाओं, साहसिक कार्य, अन्तर स्कूल खेल व अन्य खेल स्पर्धाएं आयोजित करने में भी कार्यरत है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय युवा उत्सव भी आयोजित करता है जिसमें सांस्कृतिक कार्यकलाप, प्रतियोगी स्पर्धाएं, हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी, खान–पान उत्सव आदि शामिल होते हैं जिनके माध्यम से देश के जोशपूर्ण युवाओं के विभिन्न प्रकार के सामाजिक स्वरूप की झलकी प्रस्तुत की जाती है।

अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ सहक्रियाशीलता

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के विशाल नेटवर्क व इसकी फील्ड यूनिटों के उपयोग में आमूल चूल परिवर्तन शुरू हो गया है। हाल में विभाग द्वारा प्रमुख पहल के रूप में शुरू की गई एक ऐसी ही भूमिका, भारत सरकार व राज्य सरकारों के साथ प्रयासों में सहक्रियाशीलता व समन्वय रहा है। अब युवा क्लब और एनवाईसी स्वयंसेवी, भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों व स्कीमों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अवसर व उपयुक्त मंच प्रदान करते हैं। इस नेटवर्क को कार्यक्रम साक्षरता, समर्थन, प्रयोगिक आधार पर संभव क्षेत्रों में कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सरकार के कुछेक प्रमुख महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सामाजिक संपरीक्षा के माध्यम से कई तरह से उपयोगी पाया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

एमजी एनआरईजीए : 2000 खण्डों के 80000 गांवों/ग्राम पंचायतों में गहन सामाजिक संपरीक्षा का तन्त्र स्थापित करने तथा जीविका सुरक्षा से सम्बद्ध कार्य हेतु 10 चुंनिदा राज्यों के 200 परियोजना जिलों में कार्यान्वित किए जाने हेतु एमजीएनआरईजीए के तहत कार्यकताओं की क्षमता निर्माण व जागरूकता संवर्धन

स्वच्छ जल एवं सफाई विभाग

बिहार के 15 प्रतिशत से कम सफाई सुविधा वाले 9 चुंनिदा जिलों के 45 खण्डों व 2250, गांवों को यह सुविधा देने हेतु निर्मल बिहार सम्पूर्ण सफाई जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य टीएससी, बिहार सरकार की तकनीकी सहायता से सफाई व स्वच्छता स्तरों को सुधारना है।

गृह मंत्रालय

तृतीय जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम

नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने सितम्बर से अक्तूबर, 2010 के बीच भोपाल (मध्य प्रदेश), बडोदरा (गुजरात), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) तथा एर्नाकूलम (कोचिन) में तृतीय जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम

आयोजित किया है। प्रत्येक स्थान पर आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के 40 चुंनिंदा जिलों के 250 जनजातीय युवाओं को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इस प्रकार कुल लगभग 1000 जनजातीय युवाओं ने भाग लिया। गृह मंत्रालय की विज्ञापन एवं प्रचार की स्कीम के तहत सरकार के विकास कार्यक्रमों तथा पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के दुष्प्रभावों के प्रचार–प्रसार में निम्नलिखित शामिल हैं :

श्रम मंत्रालय

नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा आरजीएनआईवाईडी के सहयोग से पारम्परिक रोजगार कौशल प्रमाणीकरण परियोजना शुरू की गई है। प्रथम उपाय के रूप में आरजीएनआईवाईडी ने एनसीवीटी के सहयोग से उन युवाओं के लिए प्रमाणीकरण कार्यक्रम शुरू किया है जिन्होंने पारम्परिक कौशल विकसित किए हैं। इस परियोजना के तहत तमिलनाडु के कन्याकुमारी और त्रिवनामली; मध्य प्रदेश के शिवपुरी व मन्दसौर जिलों; पंजाब के तरण–तारण व फतेहगढ़ साहिब; जिलों; आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा व गुण्डूरिन जिलों में परीक्षण/जांच की गई। पारम्परिक कौशल प्राप्त कुल 4432 व्यक्तियों ने जांच परीक्षा दी जिनमें से 3989 व्यक्तियों को प्रमाणपत्र दिए गए हैं।

भारत का निर्वाचन आयोग

राज्य विधान सभा चुनाव 2010 के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा बिहार के 34 जिलों में ग्राम आधारित युवा क्लबों/युवती मण्डलों के माध्यम से 'मताधिकार' के संबंध में बिहार में 'मतदाता जागरूकता अभियान' शुरू किया गया। इस अभियान के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन के स्वयंसेवियों द्वारा बिहार के 34 जिलों के 9005 गांवों में सूचना, शिक्षा व संचार संबंधी सामग्री वितरित की गई।

खेल विभाग, एमवाईएएस

अन्तर स्कूल खेल प्रतिस्पर्धाएं –पीवाईकेकेए मिशन निदेशालय, खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन को देश के 626 जिलों में अन्तर स्कूल खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने का कार्य सौंपा था। 537 जिलों में अन्तर स्कूल खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई हैं।

पीवाईकेकेए ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धाएं –नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने देश के 7 चुनिंदा राज्यों में 250 खण्ड स्तर व 24 जिला स्तर टूर्नामेन्ट आयोजित किए हैं। ये प्रतिस्पर्धाएं खण्ड स्तर पर 5 खेल शाखाओं तथा जिला स्तर 10 खेल शाखाओं में आयोजित की जाती हैं।

सेफ किड्स फाउण्डेशन (इण्डिया) : नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा दिल्ली के 5 जिलों में 60 स्कूलों व 20 मलिन बस्तियों में सेफ किड्स "वॉक दिस वे" नामक परियोजना कार्यन्वित की जा रही है जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की यातायात नियमों व सुरक्षित पैदल चलने के तरीकों की जानकारी दी जाती है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यूएनएफपीए) किशोर स्वास्थ्य एवं विकास (एएचडी) परियोजना

नेहरू युवा केन्द्र संगठन, देश भर में 31 राज्यों में 64 जिलों में यूएनएफपीए की सहायता से 'किशोर स्वास्थ्य एवं विकास' परियोजना कार्यन्वित कर रहा है। इस परियोजना के तहत 3824 किशोर क्लबों के लिए विभिन्न किशोर विकास कार्यक्रम शुरू किए गए है। ये किशोर क्लब, किशोरों में जागरूकता पैदा करने व जीवन कौशलों का निर्माण करने के प्रति कार्यरत हैं ताकि वे जीवन में सही चुनाव कर सकें।

युवा नेतृत्व व्यक्तित्व विकास और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्याय
4

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)

राष्ट्रीय सेवा योजना शैक्षिक विस्तार में एक उत्कृष्ट प्रयोग है। यह सतत सामुदायिक मेलजोल के माध्यम से विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के मध्य स्वैच्छिक कार्य की भावना पैदा करती है। वर्षों से एनएसएस, समुदाय के साथ जोड़ने वाले भारत के सबसे बड़े युवा छात्र आंदोलन के रूप में उभरा है।

राष्ट्रीय सेवा योजना, जो एनएसएस के रूप में लोकप्रिय है, को 1969 में गांधी जी की जन्मशती पर 37 विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ किया गया था जिसमें 40 हजार विद्यार्थी शामिल थे और जिसका मुख्य फोकस सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व के विकास पर था। आज एनएसएस की पंजी में 251 विश्वविद्यालयों में 14698 कॉलेजों/उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा संस्थानों तथा 8174 सेकेंड्री स्कूलों में फैले हुए 3.2 मिलियन से अधिक छात्र स्वयं सेवक हैं।

कार्यक्रम

राष्ट्रीय सेवा योजना में 2 प्रकार के कार्यक्रम हैं अर्थात स्वयं सेवकों द्वारा किए जाने वाले ''नियमित क्रियाकलाप'' और ''विशेष शिविर कार्यक्रम''। ''नियमित क्रियाकलापों'' के अंतर्गत एनएसएस के स्वयं सेवक लगातार 2 वर्षों तक प्रति वर्ष 120 घंटे देते हैं जिसमें एनएसएस के संबंध में सामान्य अभिमुखीकरण के 20 घंटे शामिल हैं। इस अवधि के दौरान वे अपनाए गए अपने गांवों/स्लम बस्तियों में स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण/बचाव आदि के क्षेत्र में कार्य करते हैं।

पोखरों की सफाई में कार्यरत स्वयंसेवक ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक पोखर से फूल पौधे साफ कर रहे हैं।

विशेष शिविर, छात्रों को सामूहिक रहन–सहन, सामूहिक अनुभव को बांटने, और समुदाय से लगातार संपर्क के अद्‌भुत अवसर उपलब्ध करता है। विशेष शिविर कार्यक्रम सामान्यतया राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर आयोजित किए जाते हैं। विशेष शिविर का वर्तमान विषय 'स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ युवा' है। प्रतिवर्ष प्रत्येक एनएसएस इकाई के 50 प्रतिशत स्वयंसेवकों से 7 दिवसों की अवधि के विशेष शिविरों में भाग लेने की आशा की जाती हैं। दो वर्षों के पंजीकरण की इस अवधि में अर्थात प्रत्येक वर्ष प्रत्येक यूनिट के 50 प्रतिशत स्वयंसेवक विशेष शिविर में भाग लेते हैं।

वित्त पोषण पद्धति

पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम तथा पहाड़ी भू–भाग जहां पर वित्त पोषण का 3:1 का अनुपात है, को छोड़कर सभी राज्यों में इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से 7:5 के अनुपात में वित्त पोषण किया गया है। जम्मू व कश्मीर तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में ये कार्यक्रम शत–प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। योजना के संशोधित मानदंडों, जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुए थे, के अनुसार नियमित क्रियाकलापों हेतु प्रतिवर्ष प्रति स्वयंसेवक 250 रूपए और विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु 450 रूपए प्रति स्वयं सेवक प्रति वर्ष की राशि देय है।

संगठन

राष्ट्रीय स्तर पर, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय स्कीम की नीति, आयोजना और मॉनीटरिंग को देखता है। कार्यक्रम सलाहकार की अध्यक्षता में कार्यक्रम सलाहकार प्रकोष्ठ को एन.एस.एस. के तहत छात्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा विशेष शिविर कार्यक्रम के तहत लक्ष्यों का मूल्यांकन और मानीटरिंग का कार्य सौंपा गया है। उप अथवा सहायक कार्यक्रम सलाहकार अथवा युवा अधिकारी के नियंत्रण के अधीन विभिन्न राज्यों में 15 क्षेत्रीय केन्द्र कार्य कर रहे हैं। राज्य स्तर पर, राज्य एनएसएस प्रकोष्ठों की स्थापना, राज्य स्तर पर संबंधित कार्यक्रम के निर्बाध कार्यान्वयन हेतु अन्तर विभागीय समन्वय की देखरेख करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

प्रशिक्षण

एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सामाजिक विकास के आधुनिक कौशलों के साथ उन्हें तैयार करने के लिए, भारत सरकार के वित्त पोषण से देशभर में 5 अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र (टीओआरसी) और 13 प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण केन्द्र (टीओसी) कार्य कर रहे हैं, ये संस्थान फील्ड कार्यकर्ता के लिए अभिमुखीकरण और पुनःश्चर्या पाठयक्रम चलाते हैं, जो एनएसएस स्वयंसेवकों के साथ जुड़े हैं।

लक्ष्य और उपलब्धियां (31 दिसम्बर, 2010 तक)

वर्ष 2010–11 में नियमित कार्यकलापों के लिए 32,46,058 स्वयंसेवक पंजीकृत करने का लक्ष्य था जिसे पहले ही पूरा कर लिया गया हैं। अपनाए गए गांवों में 13,310 विशेष शिविर आयोजित किए गए जाने हैं जिसकी तुलना में आज तक 7084 विशेष शिविर आयोजित किए गए हैं और यह लक्ष्य 31.03.2010 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

पल्स पोलियो टीकाकरण में 1,54,341 स्वयंसेवकों ने भाग लिया, जिसमें 325716 बच्चों को लाभ मिला। वर्ष के दौरान 1591 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए और एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा 62,879 रक्त यूनिट दान की गई। वृक्षारोपण अभियान में 26,50,829 पौधे लगाए गए हैं।

राजीव गांधी साहस स्कीम

युवा विद्यार्थियों में साहसिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए 26 जून, 2009 को राजीव गांधी साहस स्कीम प्रारम्भ की गई थी जिसे उत्तर में हिमालयी क्षेत्र से दक्षिण भारत में कुन्नूर तथा टेकड़ी तक 2000 एनएसएस स्वयंसेवको के साथ वार्षिक आधार पर संचालित किया जाना है, और इसमें कम से कम 50 प्रतिशत स्वयंसेवक बालिकाएं होंगी। इन शिविरों में किए जाने वाले साहस क्रियाकलापों में पर्वतारोहण (पहाड़ तथा मरूस्थल), नदि जल राफ्टिंग, पैरा–सेलिंग, पैरा–ग्लाइडिंग और आधारभूत स्कीइंग शामिल है।

राजीव गांधी साहस स्कीम के भाग के रूप में उत्तरकाशी में नदी में राफ्टिंग करते एनएसएस स्वयंसेवक

विशाल ग्रीष्मकालीन शिविर

दो विशाल ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किए जाने हैं – एक ग्रीष्मकाल में तथा दूसरा शीतकाल में प्रत्येक शिविर में समूचे देश से चुने गए लगभग 40 छात्र (लगभग 50 प्रतिशत महिला छात्र) होंगे। 12 दिवसीय शिविर में 7 दिन के शिविर कार्यकलाप तथा 5 दिन के शैक्षिक दौरे/स्थानीय भ्रमण शामिल है। इन शिविरों का उद्देश्य स्वयंसेवा तथा नागरिकता को प्रोत्साहित करना है। शिविर, पर्यावरण, ग्रामीण विकास व स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित संस्थानों की सहायता से या किसी विश्वविद्यालय/कॉलेज की सेवा आपूर्ति करने की सहायता की क्षमता के आधार पर उनके सहयोग से आयोजित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन शिविर आरजीएनआईवाईडी में तथा शीतलकालीन शिविर प्रत्येक वर्ष अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है।

गणतंत्र दिवस पूर्व तथा गणतंत्र दिवस शिविर

एनएसएस स्वयंसेवक प्रत्येक वर्ष राजपथ में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेते हैं। परेड में मार्च करने वाले दल के चयन हेतु 5 गणतंत्र दिवस पूर्व परेड शिविरों का आयोजन सिक्किम, त्रिची, कोटा, भोपाल और रोपड़ में किया गया था। इन शिविरों में 1000 एनएसएस स्वयंसेवकों (प्रारंभिक चयन के पश्चात) और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों ने भाग लिया था। 1000 स्वयंसेवकों में से 200 स्वयंसेवकों का चयन अंतिम रूप से जनवरी में नई दिल्ली में चलने वाले एक माह के गणतंत्र दिवस में भाग लेने के लिए किया गया।

गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भाग लेते हुए
प्रत्येक एनएसएस स्वयंसेवक का यही सपना होता है।

इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार (आईजीएनएसएस)

आईजीएनएसएस पुरस्कारों की शुरूआत, एनएसएस के रजत जयन्ती वर्ष 1993–94 में की गई थी। ये पुरस्कार, एनएसएस स्वयंसेवकों, कार्यक्रम अधिकारियों तथा कार्यक्रम समन्वयकर्ताओं की निःस्वार्थ सेवा के सम्मान में दिया जाता है। ये पुरस्कार (i) उत्कृष्ट विश्वविद्यालय (कार्यक्रम समन्वयकर्ता) (ii) 6 उत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारियों तथा 6 यूनिटों और (iii) 6 उत्कृष्ट एनएसएस स्वयंसेवकों को दिए जाते हैं।

इन्दिरा गांधी एनएसएस पुरस्कारों की सभी श्रेणियों की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। अब विश्वविद्यालय/+2 परिषद स्तर पुरस्कार के लिए 2,00,000/– रू; 6 एनएसएस यूनिटों के लिए प्रत्येक यूनिट को 70,000/–रू; 6 कार्यक्रम अधिकारियों के लिए प्रत्येक अधिकारी को 20,000/–रू, तथा 16 स्वयंसेवकों के लिए प्रत्येक स्वयंसेवक को 15,000/–रू. का नकद पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष ये पुरस्कार एनएसएस स्थापना दिवस समारोह के दौरान 24 सितम्बर, 2010 को दिए गए। पुरस्कारों की

संख्या बढ़ाने का भी निर्णय किया गया है। वर्ष 2010–11 के लिए पुरस्कार, 6 एनएसएस यूनिटों/कार्यक्रम अधिकारियों के बजाय 10 यूनिटों/अधिकारियों तथा वर्तमान में 16 एनएसएस स्वयंसेवकों के बजाय 30 स्वयंसेवकों को दिए जाएंगे।

माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री, श्री प्रतीक प्रकाश बाबू पटील
एनएसएस स्थापना दिवस समारोह के दौरान इन्दिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार देते हुए

इस वर्ष एनएसएस पर 12 मिनट की लधु कारपोरेट फिल्म बनाई गई तथा इसे स्थापना दिवस के दौरान रिलीज किया गया।

06 दिसम्बर, 2010 तक राष्ट्रीय सेवा योजना की उपलब्धियां योजना आयोग के लिए अन्तरिम रिपोर्ट

1.	एनएसएस स्वयंसेवकों का वास्तविक पंजीकरण	:	32,46,058
2.	आयोजित विशेष शिविर	:	7,084
3.	अंगीकृत गांव	:	15,381
4.	रक्त दान शिविर आयोजित किए गए	:	1,591
5.	रक्त यूनिट दान की गई	:	62,879
6.	पौधे लगाए गए	:	26,50,829
7.	पल्स पोलिया टीकाकरण में स्वयंसेवकों ने भाग लिया	:	1,54,341
8.	बच्चों को लाभ पहुँचा	:	3,25,716

अध्याय
5

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)

चूंकि युवा विकास, भारत जैसे विशाल देश में मानव संसाधनों के निर्माण के सन्दर्भ में राष्ट्रीय विकास का प्रमुख घटक है, अतः यह महसूस किया गया कि युवा प्रेरणा के सभी प्रासंगिक पहलुओं का पता लगाने तथा युवा कल्याण के कार्यक्रम विकसित करने तथा उनका डिजाइन तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय संगठन होना आवश्यक है। इस उद्देश्य से युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वायत्त निकाय के रूप में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) की स्थापना की गई। और इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, XXVII, 1975 (1993 का 67 वां) के तहत पंजीकृत किया गया।

यह एक व्यावसायिक संसाधन एजेंसी के रूप में उभरा है और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के एक ''बुद्धिजीवी शक्ति'' के रूप में कार्य करता है युवा से संबंधित क्रियाकलापों में तथा सरकारी एवं गैर–सरकारी एजेंसियों की सहायता करता है। राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्थान के रूप में यह एनएसएस, एनवाईके और अन्य युवा संगठनों के साथ निकट सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कार्य करता है। यह संस्थान युवाओं के प्रशिक्षण और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में युवा विकास क्रियाकलापों के एक सुग्राहक के रूप में कार्य करता है।

इस 23 अक्तूबर, 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया।

संस्थान को आवश्यक कार्यात्मक सुविधाएं तथा ढांचा मुहैया करवाया गया है ताकि यह युवा कार्य में व्यावसायिक विशेषज्ञता की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और युवा कार्यकर्ताओं के एक दक्ष संवर्ग को

बनाने के लिए एक उन्नत अध्ययन तथा प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य कर सके। अपने कार्यात्मक क्रियाकलापों की एक नियमित विशेषता के रूप में संस्थान ने कई अनुसंधान परियोजनाएं तथा विस्तार कार्यक्रमों को युवाओं में उस क्षमता खोजने के लिए प्रारम्भ किया है जोकि संभवतः छुपी हुई ही रहती। यह युवाओं को उनसे संबंधित मुददों तथा साथ ही उनके विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले मुददों पर बहस तथा चर्चा करने के लिए एक मंच मुहैया करवाता है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान युवा विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, परामर्श, प्रसार तथा प्रलेखन क्रियाकलापों हेतु एक शीर्ष संस्थान के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी भूमिका को निभा रहा है।

संस्थान में प्रशासनिक प्रभाग के अतिरिक्त 5 प्रभाग है जिनमें से प्रत्येक एक संकाय प्रमुख के अधीन है।

- प्रशिक्षण, अनुकूलन व विस्तार प्रभाग (टीओई)
- अनुसंधान, मूल्यांकन व प्रलेखन/प्रसार प्रभाग (आईईएडी)
- पंचायती राज व युवा कार्यक्रम प्रभाग (पीआरआईवाईए)
- युवा विकास प्रभाग में अन्तर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र (आईसीईवाईडी)
- समाजिक सौहार्द व राष्ट्रीय एकता प्रभाग (एसएचएएनयू)
- किशोर स्वास्थ्य एवं विकास प्रकोष्ठ
- लिंग आधारित अध्ययन प्रकोष्ठ

आरजीएनआईवाईडी द्वारा संचालित कार्यकलाप व कार्यक्रम

(क) डा. ए.पी.जी. अबदुल कलाम द्वारा 11 नवम्बर, 2010 को आरजीएनआईवाईडी की प्रख्यात वक्ता श्रृंखला का उद्‌घाटन

(ख) 21 मई, 2010 को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाना।

(ग) 8–19 जून, 2010 तक द्वितीय विशाल एनएसएस ग्रीष्मकालीन शिविर

(घ) 1 सितम्बर, 2010 आरजीएनआईवाईडी स्थापना दिवस समारोह

(ठ) निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए गए:

1. युवा विकास रिपोर्ट–भारत, 2010
2. भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केन्द्रित बल के साथ जनजातीय मनोभाव विदित करना।

(च) राष्ट्रीय युवा नीति में संशोधन हेतु राष्ट्रीय परामर्श 1 जुलाई, 2010

(छ) अर्ध कानूनी प्रशिक्षण व कानूनी सहायता कार्यकलाप एवं परामर्श—25 अप्रैल, 2010

(ज) युवा एवं शांति संवर्धन पर क्षेत्रीय विशेषज्ञ समूह परामर्श 21—23 जून, 2010

(झ) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम — युवा से सम्बद्ध विभिन्न मुददों पर लगभग 1256 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया जो प्राप्त ज्ञान का आगे युवा में प्रसार करेंगे जिनके साथ वे मिलकर कार्य करते है।

(ञ) उद्यमशीलता विकास हेतु कार्यक्रम का संचालन — आरजीएनआईवाईडी ने एनसीबीटी के सहयोग से ग्रामीण युवाओं के पारम्परिक कौशलों का मूल्यांकन करने का विशेष कार्य शुरू किया। पंजाब राज्य में पटियाला, होशियारपुर, फरीदकोट व मान्सा जैसे जिलों से कौशल मूल्यांकन व प्रमाणीकरण के कुल 878 आवेदन प्राप्त हुए; मध्य प्रदेश में सेहोर, उज्जेन, रतलाम जिलों से युवाओं से कुल 1058 आवेदन प्राप्त हुए; तमिलनाडु में डिण्डीगुल, थेनी, मदुरै वेल्लोर व त्रिची जिलों से 1972 आवेदन प्राप्त हुए; और आन्ध्र प्रदेश में प्रकाशम, ईलूरू, हैदराबाद व विजयवाडा जिलों के युवाओं से 1199 आवेदन प्राप्त हुए। मदुरै व त्रिची जिलों के युवाओं को 171 प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। इन चार राज्यों के युवाओं से कुल 5107 आवेदन प्राप्त हुए। यह परिकल्पना की गई है कि मार्च, 2011 के अंत तक मूल्यांकन की समूची प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

(ट) आरजीएनआईवाईडी द्वारा विकसित पाठ्क्रमों की गुणवता व विषयवस्तु का मूल्यांकन।

(ठ) युवा मुद्दों संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करना।

(ड) शैक्षिक कार्यक्रम — इस वर्ष के दौरान, 18 राज्यों के कुल 76 छात्रों को पांच स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश दिया गया। आरजीएनआईवाईडी छात्रों के प्रथम बैच उतीर्ण होकर निकला और उनमें से 22 उम्मीदवारों का प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों में रोजगार मिला।

अध्याय

6

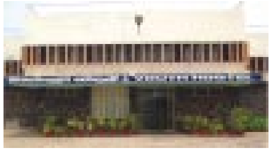

युवा छात्रावास

युवा छात्रावासों का निर्माण युवाओं में यात्रा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है ताकि वे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव ले सकें। युवा छात्रावासों का निर्माण केन्द्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उद्यम है। केन्द्र सरकार निर्माण की लागत वहन करती है जबकि राज्य सरकार पानी, बिजली व गम्य् सड़कों सहित पूर्ण रूप से विकसित भूमि निशुल्क उपलब्ध कराती है। युवा छात्रावास ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व वाले, शैक्षणिक केन्द्रों, पर्यटक महत्व आदि के ऐसे क्षेत्रों में अवस्थित हैं जहाॅं युवा क्रियाकलापों हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये छात्रावास वाजिब दरों पर युवाओं को ठहरने की उत्तम जगह उपलब्ध करते हैं। इन युवा छात्रावासों की देखरेख, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंधकों द्वारा की जाती है।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (युवा कार्यक्रम विभाग) भारत सरकार ने अधिमानतः युवा छात्रावास के कैचमेन्ट क्षेत्र से सेवानिवृत ऐसे रक्षा कार्मिकों, जिन्हें हिन्दी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो, से युवा छात्रावासों के लिए प्रबन्धक चुनने का निर्णय किया है। नई नियुक्ति नीति के तहत मेजर/लेफ्टिनेंट कर्नल/कर्नल या समतुल्य स्तर के रक्षा सेवा (सेना/नौसेना/वायुसेना) से सेवानिवृत व्यक्ति युवा छात्रावासों में प्रबन्धकों की नियुक्ति के पात्र है। सेवानिवृत इच्छुक जेसीओ को भी नियुक्त किया जा सकता है।

चालु वित्त वर्ष के दौरान युवा छात्रावासों के टैरिफ प्रभारों को संशोधित किया गया है। टैरिफ प्रभारों में अंतिम बार संशोधन वर्ष 2003 में किया गया था।

अभी तक समूचे देश में 80 युवा छात्रावासों का निर्माण किया गया है और 5 युवा छात्रावास निर्माण के विभिन्न चरणों में है। 80 युवा छात्रावासों में से 12 छात्रावासों को युवा और खेल विकास के इष्टतम उपयोग हेतु नेहरू यूवा केन्द्र संगठन, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा संबंधित राज्य सरकारों को हस्तातंरित किया गया है। ऐसे पूरे किए गए/हस्तांतरित/निर्माणधीन युवा छात्रावासों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण अनुबंध V, VI और VII में दिया गया है।

चालू वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान पोर्ट ब्लेयर (अन्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह), विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश), पेडम मापूसा (गोवा), गांधीनगर (गुजरात), डलहौजी (हिमाचल प्रदेश), तीर्थरामेश्वर (कर्नाटक), कोजीकोड़ (केरल), जबलपुर (मध्य प्रदेश), गोपालपुर–ऑन–सी, पुरी (उड़ीसा), अजमेर (राजस्थान), जयपुर (राजस्थान), तंजावुर (तमिलनाडु), त्रिची (तमिलनाडु), आगरा (उत्तर प्रदेश), मसूरी (उत्तराखंड), दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल), तेजपुर (असम), गंगटोक (सिक्किम), अगरतला (त्रिपुरा) में स्थित 20 युवा छात्रावासों के अग्रभाग के तत्काल उन्नयन कार्य हेतु प्रत्येक युवा छात्रावास को पांच लाख रूपये की दर से एक करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।

जालन्धर (पंजाब), काड़प्पा (आंध्रप्रदेश), राइिंग (अरूणाचल प्रदेश), चूड़ाचांदपुर एवं थौबल (मणिपुर) में पांच छात्रावासों में निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। इन पांच युवा छात्रावासों में से जालन्धर (पंजाब) और थौबल (मणिपुर) में दो युवा छात्रावासों का कार्य चालू वित्त वर्ष के अन्त तक पूरा कर लिया जाने की सम्भावना है।

मंत्रालय आज के युवाओं की आशाओं के अनुरूप मौजूदा युवा छात्रावासों को नया रूप देने और नयी कार्यप्रणाली स्थापित करने की दिशा में भी कार्यरत है।

युवा छात्रावास, पांडिचेरी

अध्याय

7

राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी)

परियोजना तैयार करने व इसके कार्यान्वयन में क्षेत्र स्तर के संगठनों के लिए निधियों की उपलब्धता में होने वाले विलंब को दूर करने तथा राज्य सरकारों की सहभागिता को संस्थागत रूप देने के लिए, वित्तपोषण की पद्धति तथा कार्यान्वयन तंत्र की एकरूपता को सुनिश्चित करते हुए, समान उद्देश्य वाली स्कीमों की अधिकता को कम करने के उद्देश्य से युवा गतिविधियों व प्रशिक्षण के संवर्धन, राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन, साहस संवर्धन और किशोरों का विकास व सशक्तिकरण नामक चार स्कीमों, जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान प्राप्त स्कीमें थीं, को मिलाकर राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) नामक स्कीम दसवीं योजनावधि के दौरान तैयार की गई थी। हालांकि कार्यात्मक तंत्र तथा कार्यक्रम निष्पादन में सहक्रियाशीलता व समन्वय होगा लेकिन योजना के अंतर्गत प्रत्येक घटक के वित्तीय पैरामीटर में स्पष्ट विभाजन होगा।

युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय पंचायती राज संस्थानों व शहरी स्थानीय निकायों तथा पॉलीटेक्निको सहित शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर सीधे अखिल भारतीय संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त करेगा, जो अपने प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के युवा कार्यक्रम विभाग के माध्यम से भेजेंगे।

योजना, परियोजना कार्यान्वयन की एजेंसियों (पीआईए) के जरिए कार्यान्वित की जा रही हैं। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, स्कीम के अंतर्गत एक अथवा अधिक कार्यक्रम क्षेत्र अथवा घटकों को शामिल करते हुए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। परन्तु विचार के लिए परियोजना का मुख्य कारक विगत अनुभव तथा संसाधन (अवसंरचना तथा तकनीकी जनशक्ति) होंगे। प्रस्ताव, युवा कार्यक्रम विभाग में प्रस्तावों पर निर्णय करने हेतु सचिव (युवा कार्यक्रम) की अध्यक्षता में विधिवत गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के समक्ष रखे जाते हैं।

इस कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त युवा नेटवर्क के तहत युवाओं तथा किशोर वर्ग है। इनमें नेहरू युवा केन्द्र संगठन या राज्य सरकारों, एनएसएस युनिटों से संबद्ध युवा कल्बों के सदस्य या स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवा विद्यार्थी शामिल हैं। ऐसे अन्य प्रतिष्ठित युवा संगठनों के किशोर और युवा भी पात्र हैं, जिनकी देश के विभिन्न भागों में शाखाएं हैं। विशेष योग्यताओं वाले तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गो के युवाओं को वरीयता दी जाती है।

राष्ट्रीय युवा उत्सव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के सहयोग से झीलों के शहर उदयपुर में 12 से 16 जनवरी, 2011 तक सोहलवां युवा राष्ट्रीय उत्सव आयोजित किया। इस उत्सव का विषय 'सबसे पहले भारत था' इस पांच दिवसीय उत्सव में पूर्वात्तर के सभी राज्यों सहित समूचे देश के लगभग 2500 से 3000 युवाओं ने भाग लिया। महामहिम उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी, माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री, भारत सरकार तथा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने उपस्थित होकर उत्सव की शोभा बढ़ायी।

उत्सव के दौरान आयोजित 'युवा कृति', 'व्यंजन उत्सव' और 'हवाई साहस' जैसे अनेक आकर्षक कार्यक्रमों तथा 'सुविचार' तथा 'युवा अभिसमय' जैसे पारस्परिकता वाले कार्यक्रमों की, लोगों द्वारा व्यापक सराहना की गई। श्री मोहम्मद अजरूद्दीन, संसद सदस्य एवं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तथा 16वें एशियाई खेलों में 4x400 मीटर रिले क्वार्टेट में भारतीय महिला टीम की स्पर्ण पदक विजेता, सदस्य, सिनी जोस ने भी 'सुविचार' के एनएसएस भागीदारों को संबोधित और प्रेरित किया।

तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार

तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार के तहत साहस के क्षेत्र में व्यक्तियों की उपलब्धियों को सम्मानित किया जाता है तथा युवा लोगों को सहनशीलता, जोखिम उठाने, मिलजुलकर सहयोग से काम करने की भावना तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तत्काल और प्रभावी तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामान्यतः हवाई साहस, जलीय साहस तथा स्थलीय साहस के क्षेत्र में एक–एक पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष आजीवन उपलब्धि पुरस्कार भी दिया जाता है। अन्य चीजों के साथ–साथ इस पुरस्कार में पांच–पांच लाख रूपये की राशि दी जाती है।

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, स्वैच्छिक समुदाय सेवा करने हेतु युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा हेतु युवा व्यक्तियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को एक युवा पुरस्कार भी दिया जाता है इस पुरस्कार में व्यक्ति को 40000 हजार रूपये तथा स्वैच्छिक संगठन को 2 लाख रूपये की राशि दी जाती है। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी। सामान्यतः ये पुरस्कार राष्ट्रीय युवा उत्सव के उद्घाटन दिवस को दिए जाते है। वर्ष 2009–10 के पुरस्कार उदयपुर में 12 जनवरी, 2011 को 16वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के दौरान महामहिम उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी द्वारा 22 व्यक्तियों की दिए गए। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची अनुबंध VIII में दी गई है।

यूएनएफपीए सहायता प्राप्त स्कीम

यूएनएफपीए ने एक परियोजना के रूप में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को सहायता दी है जो स्वास्थ्य मंत्रालय की आरसीएच परियोजना हेतु यूएनएफपीए वृहत वितपोषण कार्यक्रम का भाग है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में किशोर सेल की स्थापना सहित मंत्रालय की किशोर विकास स्कीम को युक्तिसंगत बनाने हेतु क्षमता निर्माण में सहायता करना है इसके लिए सहायता, यूएनएफपीए के छठें देश कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई जो 2004 से 2007 की अवधि के लिए थी। इस परियोजना के तहत शुरू किए गए/प्रस्तावित कार्यकलाप तथा मुख्य कार्यक्षेत्र इस प्रकार है : एनएसएस, एनवाईकेएस, आरजीएनआईवाईडी हेतु क्षमता निर्माण; कार्यान्वयक एजेसियों का संस्थागत सुदृढ़ीकरण; संदर्श निर्माण/नोडल अधिकारियों/फिल्ड कार्यकर्ताओं का अनुकूलन प्रशिक्षण। 64 जिलों में यूएनएफपीए के माध्यम से किशोर कल्बों का गठन; एनएसएस तथा एनवाईकेएस के लिए एमआईएस तथा डाटा आधार फार्मेटों का विकास; साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी मैनुअल सुविधाओं का विकास तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरजीएनआईवाईडी के राष्ट्रीय किशोर संसाधन केन्द्र की स्थापना। इस परियोजना के तहत 13.40 करोड़ रूपये (2005–06 से शुरू) का व्यय किया गया।

यूएनएफपीए के 7वें देश कार्यक्रम (सीपी 7) के तहत यूएनएफपीए समर्पित योजना का कार्य जारी रखने का प्रस्ताव है जो 2008 से 2012 की अवधि के लिए होगा। अनवरत कार्यकलापों को सुदृढ़ करना जारी रखने के अलावा वर्ष 2008–2012 के लिए तैयार किए जा रहे आगामी कार्यक्रम में इस परियोजना को मौजूदा जिलों में और अधिक खंडों में शुरू किया जाएगा तथा अतिरिक्त जिलों को भी शामिल किया जाएगा।

अध्याय

8

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम (सीवाईपी)

राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम (सीवाईपी) के दृष्टिकोण में एक ऐसे समाज के लिए कार्य करना निहित है जहां युवा महिलाएं व पुरूष अपनी संभाव्य सृजनशीलता तथा कौशलों का विकास करके समाज के उत्पादक तथा तेजस्वी सदस्यों के रूप में सशक्त हों। ये युवा पुरूष तथा महिलाएं निर्णय लेने के प्रत्येक स्तर पर पूरी तरह से भाग लेने में समर्थ हों जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र तथा मानवाधिकार के राष्ट्रमंडल के मूल्यों को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया जा सके। यह कार्यक्रम 1974 में प्रारंभ हुआ था जिसका समग्र उद्देश्य राष्ट्रमंडल में युवाओं के विकास को बढ़ावा देना था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में युवाओं को बढ़ावा देता है तथा उन्हें सहायता करता है और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ाने हेतु अवसर मुहैया करवाता है।

चण्डीगढ़ स्थित सीवाईपी एशिया केन्द, लुसाका (जाम्बिया) में अफ्रीका क्षेत्र के लिए, जार्जटाउन (गुयाना) कैरीबियन क्षेत्र के लिए तथा सोलोमन द्वीप समूह दक्षिण प्रशांत क्षेत्र सहित सीवाईपी के चार क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में से एक है। सीवाईपी का समग्र दायित्व लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय का है। एशिया केन्द्र सहित सीवाईपी की गतिविधियां राष्ट्रमंडल सचिवालय की युवा कार्य इकाई द्वारा निर्देशित होती हैं। एशिया केन्द्र इस क्षेत्र के 8 राष्ट्रमंडल देशों नामतः ब्रुनेइ, दारू सलम, बांग्लादेशा, भारत, मलेशिया, सिंगापुर तथा श्रीलंका की विशेष जरूरतों को पूरा करता है।

वर्तमान में निम्नलिखित तीन प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम केन्द्रित हैंः–

- राष्ट्रीय युवा नीति,
- मानव संसाधन विकास तथा
- युवा अधिकारिता।

भारत तथा सदस्य देश, कार्यक्रमों का वित्तपोषण करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान

विभाग, युवा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर अन्य देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/संगठनों के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के सृजन के लिए प्रयास करता है। विभाग एशिया–प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रमंडल देशों में युवाओं से संबंधित अनेक कार्यक्रमों के आयोजन में राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम एशिया केन्द्र, चण्डीगढ़ के साथ भी सहयोग करता है।

इस कार्यक्रम के तहत, विभिन्न देशों के युवाओं के मध्य विचारों, मूल्यों तथा संस्कृति के आदान–प्रदान को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ भी विकसित करने के लिए पारस्परिक आधार पर मित्र देशों के साथ युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान किया गया। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)

द्वारा 5–22 नवम्बर, 2010 को वित्त वर्ष 2010 के लिए युवा नेताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ''शहरी पर्यावरण प्रबंधन'' पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान, निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय आदान–प्रदान किए गए:

1. 12 से 17 मई, 2010 तक मलेशियाई अंतर्राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम ''अपराध मुक्त पीढ़ी–सड़क अपराध पर फोकस'' में भाग लेने के लिए 6 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधि मण्डल का मलेशिया दौरा।
2. 17 से 26 जून, 2010 तक 100 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधि मण्डल का चीन दौरा
3. 25–27 जून, 2010 तक जी–20 युवा शिखर सम्मेलन/एमवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु 7 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधि मण्डल का टोरोन्टो, कनाडा का दौरा
4. 1–10 जुलाई, 2010 तक 20 सदस्यीय कोरियाई युवा प्रतिनिधि मण्डल की भारत यात्रा
5. 12–20 अगस्त, 2010 तक 20 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधि मण्डल का दक्षिण कोरिया का दौरा
6. 29–29 सितम्बर, 2010 तक इस्लामाबाद में आयोजित ''क्षेत्रीय सौहार्द का संवर्धन पर युवा कार्यशाला'' में भाग लेने के लिए 4 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधि मण्डल का दौरा
7. 3–27 अक्तूबर, 2010 तक चौथे एशियाई युवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 2 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधि मण्डल का दक्षिण कोरिया का दौरा
8. 5–22 नवम्बर, 2010 तक जापान में ''शहरी पर्यावरण प्रबंधन'' पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए 20 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधि मण्डल का जापान दौरा
9. 16–25 नवम्बर, 2010 तक 100 सदस्यीय चीनी युवा प्रतिनिधि मण्डल का भारत दौरा
10. 8–17 दिसम्बर, 2010 तक सार्क जापान विशेष निधि युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 10 सदस्यीय युवा प्रतिनिधि मण्डल का जापान दौरा
11. 12–16 जनवरी, 2011 तक उदयपुर (राजस्थान) में आयोजित 16वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने के लिए लंका, भुटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सार्क युवा प्रतिनिधि मण्डल का दौरा
12. जापान में 26 जनवरी से 12 फरवरी, 2011 तक ''सूचना व संचार प्रौद्योगिकी संबंधी नीति'' पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए 23 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का दौरा

अध्याय

9

राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स (एनवाईसी)

सरकार ने युवाओं की क्षमता का उपयोग करने तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी उर्जा लगाने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष 2011 के दौरान राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स नामक नई स्कीम शुरू की है। यह 2009 में संसद के दोनों सदनों में महामहिम राष्ट्रपति के संबोधन तथा जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में अक्तूबर, 2009 में माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसरण में है। इस स्कीम के तहत 20 हजार स्वंयसेवियों को पंजीकृत करने की परिकल्पना की गई है जिनमें से 8 हजार स्वंयसेवियों को जम्मू एवं कश्मीर तथा 12 हजार स्वंयसेवियों को अन्य राज्यों में तैनात किया जाएगा।

उद्देश्य

- ऐसे अनुशासित और समर्पित युवाओं का समूह गठित करना जिनमें राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में जुटने की प्रवृति और भावना हो।
- समुदाय में सूचना, मूल जानकारी के प्रसार हेतु बिन्दुओं के रूप में कार्य करना।
- समूह मॉडयूलेटरों तथा साथी समूह, शिक्षकों के रूप में कार्य करना।
- विशेष रूप से सार्वजनिक सदाचार, ईमानदारी और श्रम की गरिमा के संवर्धन के प्रति युवा लोगों के लिए अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करना।

एनवाईसी स्कीम के तहत 18–25 वर्ष की आयु वर्ग के युवा पुरूषों व महिलाओं को मार्च 2012 तक पूर्णकालिक आधार पर 2 वर्ष तक सेवा करने के योग्य बनाया जाता है जिसके लिए उन्हें प्रतिमाह 2500/–रू. का मानदेय दिया जाता है। समाज के कमजोर वर्गों तथा लिंग संतुलन को प्रोत्साहित किया जाता है।

आज तक मंत्रालय व जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार द्वारा समूचे देश में विभिन्न जिलों में जम्मू एवं कश्मीर में 7098 स्वयंसेवियों सहित 17600 स्वयंसेवियों को चुना गया है, प्रशिक्षित किया गया व तैनात किया गया है।

राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स के युवा स्वयंसेवियों को अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में तैनात किया गया है :

- पंचायत (जम्मू एवं कश्मीर)
- डल व नागिन लेक की सफाई व रख–रखाव
- देश में गांवों में युवा क्लब सर्वेक्षण तथा विधिमान्यकरण कार्यक्रम

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम (एमजीएनआरईजीए) के तहत कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण व अनुकूलन में सहायता।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत युवा नेताओं के प्रशिक्षण की शुरूआत व पर्यवेक्षक समितियों का गठन
- पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) के तहत ग्रामीण खेलों का संवर्धन
- भारत के निर्वाचन आयोग के साथ झारखण्ड और महाराष्ट्र (2009); बिहार (2010) में राज्य विधान सभा चुनावों में मतदाता जागरूकता अभियान

राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवी प्रशिक्षण के दौरान कक्षा लेते हुए वरिष्ठ प्रशिक्षक, श्री भक्त वात्सल्य मोहंती

खेल विभाग

अध्याय

10

खेल विकास

खेलकूद को सदैव ही मानव के व्यक्तित्व के समग्र विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा गया है। मनोरंजन के साधन तथा शरीरिक स्वस्थता के अतिरिक्त खेलकूद ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा समाज को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में उपलब्धि सदैव ही राष्ट्रीय गौरव तथा प्रतिष्ठा का स्त्रोत रहा है।

आधुनिक खेल सहायक सुविधाओं से अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो गए हैं जिससे आधुनिक उपकरण, आधारभूत ढांचे तथा उन्नत वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद का परिदृश्य बदल गया है। उन्नत उपकरण, आधारभूत ढांचा तथा वैज्ञानिक सहायता हेतु बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अनेक नए कदम उठाए हैं और यह वैज्ञानिक उपकरण की सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी से खिलाड़ियों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय खेल नीति संबंधी पहल

पूर्ववर्ती योजनाओं के समय से ही शरीरिक शिक्षा और खेलकूद पर ध्यान दिया जा रहा है। तथापि, 1982 में भारत द्वारा नवम एशियाई खेलों की मेजबानी के बाद ही ''खेलों'' पर नीतिगत विषय के रूप में ध्यान दिया जाना प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय खेल नीति, 1984, देश में खेलों के विकास और संवर्धन के लिए संगठित और व्यवस्थित रूपरेखा विकसित करने हेतु पहला कदम था और यह वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का प्रारंभिक रूप है।

राष्ट्रीय खेल नीति, 2001

राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 के दो अभिन्न घटक ''खेलों के दायरे को व्यापक बनाना'' राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ''खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना'' है।

नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :—

1. खेलों को वृहत आधार प्रदान करना तथा उत्कृष्टता हासिल करना।
2. अवसंरचना का उन्नयन और विकास;
3. राष्ट्रीय खेल संघों और अन्य खेल निकायों को सहायता;
4. खेलों के लिए वैज्ञानिक सुदृढ़ीकरण और कोचिंग सहायता;
5. खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन;
6. महिलाओं, जनजातियों और ग्रामीण युवाओं की सहभागिता बढ़ाना;
7. खेल संवर्धन में कारपोरेट क्षेत्र को शामिल करना; और
8. व्यापक स्तर पर लोगों में खेल भावना को बढ़ावा देना।

अध्याय

11

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय टीमों की प्रमुख खेल उपलब्धियां

1. 11वें दक्षिण एशियाई खेल : ढांका में 29 जनवरी से 9 फरवरी, 2010 तक आयोजित 11वें एशियाई खेल 2010 में भारत 174 पदक (90 स्वर्ण, 55 रजत तथा 29 कांस्य) जीतकर प्रथम स्थान पर रहा।

2. राष्ट्रमण्डल शूटिंग चैम्पियनशिप, 2010 : 17–27 फरवरी, 2010 तक डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली में राष्ट्रमण्डल शूटिंग चैम्पियनशिप आयोजित की गई। भारत ने 49 पदक (23 स्वर्ण, 17 रजत तथा 9 कांस्य) जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

3. राष्ट्रमण्डल मुक्केबाजी चैम्पियनशिप : भारतीय वरिष्ठ मुक्केबाजी टीम ने 12 से 17 मार्च, 2010 तक नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमण्डल मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2010, जो राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के लिए एक टेस्ट प्रतिस्पर्धा भी थी में भाग लिया और 6 स्वर्ण पदक जीते।

4. एशियाई युवा मुक्केबाजी चैम्पियनशिप : भारतीय कनिष्ठ एशियाई टीम ने 2 से 6 मार्च, 2010 तक ईरान में आयोजित एशियाई युवा चैम्पियनशिप में भाग लिया और 3 स्वर्ण 3 रजत व 3 कांस्य पदक जीते।

5. तीरंदाजी टेस्ट श्रंखला, दिल्ली : भारतीय तीरंदाजी टीम ने 7 से 13 मार्च, 2010 तक यमुना खेल परिसर, नई दिल्ली में आयोजित टेस्ट श्रंखला जो राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के लिए टेस्ट स्पर्धा भी थी, में भाग लिया और 4 स्वर्ण, 5 रजत व 5 कांस्य पदक जीते।

6. एशियाई तीरंदाजी ग्रैण्ड प्रिक्स, थाईलैण्ड : भारतीय तीरंदाजी टीम (पुरूष व महिला) ने 14 से 20 मार्च, 2010 तक थाइलैण्ड में आयोजित एशियाई तीरंदाजी ग्रैण्ड प्रिक्स में भाग लिया और 7 स्वर्ण, 3 रजत व 3 कांस्य पदक जीते।

7. अजलन शाह कप, मलेशिया : भारतीय हॉकी टीम (पुरूष) ने 30 अप्रैल से 17 मई, 2010 तक मलेशिया में आयोजित सुल्तान अजलन शाह कप 2010 में भाग लिया। भारत, पाकिस्तान को 4–2, दक्षिण कोरिया को 3–2, ऑस्ट्रेलिया को 4–3 तथा मिस्र को 7–1 से हराकर अपने प्रारंभिक मैच में चीन से 1–1 की बराबर के साथ फाइनल मुकाबले में पहुंचा। 15 मई, 2010 को खेले गए वर्षा प्रभावित फाइनल मुकाबले में भारत और दक्षिण कोरिया को संयुक्त विजेता घोषित किया गया।

8. न्यूजीलैण्ड के साथ हॉकी टेस्ट श्रंखला मैच : भारतीय हॉकी वरिष्ठ टीम (महिला) ने 13 से 24 मई, 2010 तक न्यूजीलैण्ड के साथ 3 मैचों की टेस्ट श्रंखला में भाग लिया। भारत ने यह श्रंखला 2–1 से जीती।

9. एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप : भारतीय कुश्ती टीम (5 पुरष, 2 महिलाएं) ने 12 से 16 मई, 2010 तक नई दिल्ली में आयोजित एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में भाग लिया और 2 स्वर्ण, 1 रजत व 3 कांस्य पदक जीते।

10. सुश्री साइना नेहवाल ने जून 2010 के दौरान इण्डोनेशिया सुपर सीरीज, सिंगापुर ओपन सीरीज व भारतीय ओपेन ग्रैण्ड प्रिक्स सीरीज नामक तीन श्रंखलाएं जीती।

11. एथलेटिक्स : राष्ट्रीय एथलेटिक्स टीम ने 29 से 30 जुलाई 2010 तक नई दिल्ली में आयोजित ऑल स्टार एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भाग लिया और 31 पदक (12 स्वर्ण, 9 रजत व 10 कांस्य) जीते।

12. फेंसिंग : राष्ट्रीय फेंसिंग टीम ने 20 से 22 जुलाई, 2010 तक चेन्नई में आयोजित दक्षिण एशियाई चैम्पियनशिप में भाग लिया और 28 पदक (12 स्वर्ण, 6 रजत व 10 कांस्य पदक) जीते।

13. हॉकी (महिला) : राष्ट्रीय हॉकी टीम (महिला) ने 22 से 31 जुलाई, 2010 तक बूसान (दक्षिण कोरिया) में आयोजित प्रथम एशियाई चैम्पियनशिप ट्रॉफी में भाग लिया और कांस्य पदक जीता।

14. स्क्वॉश :राष्ट्रीय स्कवॉश टीम ने 6 से 11 जुलाई, 2010 तक कोलम्बो (श्रीलंका) में आयोजित एशियार जूनियर चैम्पियनशिप में भाग लिया और 4 पदक (2 स्वर्ण व 2 कांस्य पदक) जीते।

15. रोइंग : राष्ट्रीय रोइंग टीम ने 17 से 23 जुलाई, 2010 तक चीन में आयोजित जूनियर एशियाई चैम्पियनशिप में भाग लिया और 3 पदक (2 स्वर्ण व 1 रजत पदक) जीते।

16. टेबल टेनिस : राष्ट्रीय टेबल टेनिस टीम ने 29 जून से 4 जुलाई, 2010 तक मिचिगन (यूएसए) में आयोजित यूएसओपन में भाग लिया और 3 पदक (2 स्वर्ण, 1 रजत पदक) जीते। राष्ट्रीय टेबल टेनिस टीम ने 7 से 11 जुलाई, 2010 तक कैरो (मिस्त्र) में आयोजित मिस्त्र ओपेन में भाग लिया और 1 स्वर्ण पदक जीता।

17. रग्बी सेवेन्स : राष्ट्रीय सेवेन्स पुरूष रग्बी टीम ने 7–8 अगस्त, 2010 तक इस्तानबुल (तुर्की) में आयोजित इस्तानबुल सेवेन्स चैम्पियनशिप में भाग लिया और 1 स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय सेवेन्स पुरूष रग्बी टीम ने 15–16 अगस्त, 2010 तक ब्रैडफोर्ड (यूके) में आयोजित बीज सेवेन्स चैम्पियनशिप में भाग लिया और 1 स्वर्ण पदक जीता।

18. शूटिंग विश्व चैम्पियनशिप : राष्ट्रीय शूटिंग टीम ने आयोजित विश्व शूटिंग चैम्पियनशिप में भाग लिया और 3 पदक (2 स्वर्ण, 1 रजत पदक) जीते।

19. प्रथम ओलम्पिक युवा खेल, 2010 : भारत ने 14–26 अगस्त, 2010 तक सिंगापुर में आयोजित प्रथम युवा ओलम्पिक खेल 2010 में भाग लेने हेतु 48 लोगों (32 खिलाड़ी, 12 कोच व 4 अधिकारी) का सशक्त दल भेजा। भारत ने 9 पदक (6 रजत व 3 कांस्य) जीते।

20. विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप (महिला) : राष्ट्रीय मुक्केबाजी टीम (महिला) ने 6 –19 सितम्बर, 2010 तक वेस्ट इण्डिज में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में भाग लिया। सुश्री एम.सी मेरी कोम व सुश्री कविता ने स्वर्ण पदक जीते।

21. विश्व कप जुड़ो : राष्ट्रीय जुड़ो टीम ने 25–27 सितम्बर, 2010 तक ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में आयोजित विश्व कप जूड़ो में भाग लिया और 1 रजत पदक जीता।

22. आईएसएसएफ विश्व शॉटगन शूटिंग कप : राष्ट्रीय शूटिंग टीम ने इज्मिर (तुर्की) में आयोजित आईएसएसएफ शॉटगन शूटिंग विश्व कप में भाग लिया और एक स्वर्ण पदक जीता।

23. विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप : 4–12 सितम्बर, 2010 तक मॉस्को (रूस) में आयोजित विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में श्री सुशील कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। वे वरिष्ठ कुश्ती चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कुश्ती खिलाड़ी बने।

24. राष्ट्रमण्डल खेल 2010 : मंत्रालय ने राष्ट्रमण्डल खेल 2010 हेतु भारतीय दल तैयार करने के लिए भारत के विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए व्यापक व अभूतपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया। भारतीय खिलाड़ियों के देश और विदेश में वृहत एवं गहन प्रशिक्षण देने व उनकी खेल की जानकारी बढ़ाने के लिए 678 करोड़ रू. के परिव्यय से राष्ट्रमण्डल खेल 2010 हेतु भारतीय एथलिटों की तैयारी की स्कीम बनाई गई। इस कवायद में 170 भारतीय और 30 विदेशी कोचों, 78 सहायक तकनीकी कार्मियों को शामिल किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख संभावितों को धीरे–धीरे छांटा गया कि उन्हें राष्ट्रमण्डल खेल 2010 तक और अधिक प्रशिक्षण दिया गया है। इससे किसी भी प्रमुख बहुशाखा खेल आयोजन में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ जिसमें कुल 101 पदक (38 स्वर्ण, 27 रजत व 36 कांस्य) जीते गए जो भारत द्वारा राष्ट्रमण्डल खेल मेल्बार्न 2006 में जीते गए पदकों से दो गुना से भी अधिक है। इस उपलब्धि से भारत पदक तालिका में प्रमुख खेल देशों इंगलैण्ड, कनाडा, दक्षिण कोरिया आदि से आगे और ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर रहा।

25. एशियाई खेल 2010 : 36 खेल शाखाओं और 234 कोचों, प्रबंधनों, तकनीकी अधिकारियों आदि के 623 खिलाड़ियों (367 पुरूष व 256 महिलाएं) के भारतीय दल ने 12–17 नवम्बर, 2010 तक गुआंगझू (चीन) में आयोजित 16वें एशियाई खेलों में भाग लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने सराहनीय प्रदर्शन किया और रिकार्ड संख्या में पदक जीते। भारत पदक तालिका में छठे स्थान पर रहा जो एशियाई खेलों की शुरूआत से भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने 64 पदक (14 स्वर्ण, 17 रजत व 33 कांस्य पदक) जीते।

26. हांग कांग ओपन सुपर सीरीज : सुश्री साइना नेहवाल ने 6 –12 दिसम्बर, 2010 तक हांग कांग में आयोजित योन्ड सनराइज हांग कांग ओपन सुपर सीरीज में महिला एकल खिलाब जीता।

अध्याय
12

भारतीय खेल प्राधिकरण

प्रस्तावना

भारतीय खेल प्राधिकरण को खेलों के आधार को व्यापक बनाने और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के दोहरे उद्देश्य से 1984 में भारत सरकार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में गठित किया गया था। 1 मई, 1987 से तत्कालीन राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान सोसायटी (एसएनआइपीइएस) जिसमें एनएसएनआइएस पटियाला और ग्वालियर तथा तिरूवन्तपुरम में स्थित दो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज (एलएनसीपीई) शामिल थे, को भा.खे.प्रा. में मिला दिया गया। तथापि, एलएनसीपीई, ग्वालियर (अब नाम बदल कर एलएनयूपीई, ग्वालियर रखा गया है) को सितम्बर, 1995 में ''सम विश्वविद्यालय'' का दर्जा प्राप्त होने पर भा.खे.प्रा. से अलग कर दिया गया।

भा.खे.प्रा. का सामान्य निकाय तथा शासी निकाय

युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा 2010 में भारतीय खेल प्राधिकरण के सामान्य निकाय व शासी निकाय का पुनर्गठन कर दिया गया। अब भारतीय खेल प्राधिकरण के सामान्य निकाय व शासी निकाय अध्यक्ष, केन्द्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री हैं। शासी निकाय की अंतिम बैठक 6 अगस्त, 2010 को हुई।

लक्ष्य तथा उद्देश्य

- देश में खेलों को बढ़ावा देना और उनका व्यापक आधार बनाना।
- प्रतिभा का पता लगाना तथा उसका विकास करना।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शाखाओं में खेलों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ताकि भारत प्रमुख खेल शक्ति बन सके।
- दिल्ली में स्टेडियमों, जिन्हें वर्ष 1982 में नौवें एशियाई खेलों के लिए निर्मित/नवीकृत किया गया था, का प्रबंधन करना।
- युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय तथा देश में खेलों के संवर्धन/विकास से संबंधित अन्य एजेंसियों के बीच माध्यम का कार्य करना।
- योग्य प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को तैयार करने के लिए संस्थानों की स्थापना, व्यवस्था और संचालन करना।

- देश में खेल बुनियादी ढांचे व सुविधाओं की योजना बनाना उनका निर्माण करना, अधिग्रहण करना, विकास करना, नियन्त्रण में लेना, प्रबंधन करना, रख–रखाव करना व उपयोग करना।
- खेलों, खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रोन्नत करने के लिए विभिन्न खेल विज्ञान से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करना, अधिकार में लेना, प्रायोजित करना, प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना।
- खेलों में संवर्धन, विकास व उत्कृष्टता से संबंधित अन्य सदृश मुद्दे।

संगठनात्मक ढांचा

भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रधान कार्यकारी अधिकारी, महानिदेशक होते हैं और उनकी सहायता के लिए सचिव, कार्यकारी निदेशक, तथा शैक्षिक संस्थानों/क्षेत्रीय केन्द्रों/उप केन्द्रों के प्रमुख है।

भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यकलाप निम्नलिखित कार्यात्मक प्रभागों के तहत आते हैं :

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	प्रभागों का कार्यकरण
1.	शारीरिक शिक्षा	एसएआई लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज, तिरूअनंतपुरम
2.	प्रचालन	एसएआई की विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन
3.	टीम	एमवाईएएस की ओर से संबंधित राष्ट्रीय खेल संध के सहयोग से चुनिंदा एथेलिटों का प्रशिक्षण व प्रबंधन सहायता (टीईएएमएस)
4.	उपस्कर सहायता	एसएआई केन्द्रों को स्वदेशी व आयातित दोनों तरह की खेल उपस्कर सुविधाएं
5.	स्टेडियम	कोचिंग सहित स्टेडियमों का रख–रखाव व उपयोग
6.	बुनियादी ढांचा	एसएआई केन्द्रों में खेल का बुनियादी ढांचा तैयार करना व विकसित करना
7.	कार्मिक	कर्मचारियों के सेवा मामले
8.	कोचिंग	कोचों के सेवा मामले
9.	वित्त	बजट व वित्तीय योजना
10.	समन्वय	आरटीआई आवेदनों के लिए मंत्रालय व अन्य बाहय एजेंसियों/संस्थानों/एसएआई क्षेत्रीय/उप केन्द्रों, नोडल प्रभाग के साथ समन्वय करना।
11.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रकोष्ठ	विभिन्न देशों के साथ खेलों के क्षेत्र में संस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम/द्विपक्षीय संबंधों के लिए युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के साथ समपर्क साधना

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	प्रभागों का कार्यकरण
12.	सामान्य प्रशासन	भण्डारों का प्रापण, कम्प्यूटरीकरण व आन्तरिक रख–रखाव
13.	कानूनी	एसएआई कर्मचारियों की सभी श्रेणियों से सम्बद्ध कानूनी मामले
14.	सतर्कता	एसएआई कर्मचारियों की सभी श्रेणियों से सम्बद्ध सतर्कता मामले
15.	मीडिया	प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ समन्वय करना/एनआईटी/विज्ञापन जारी करना तथा प्रेस को जानकारी देना
16.	हिंदी	एसएआई में भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

भा.खे.प्रा. की स्कीमें

भा.खे.प्रा. की खेल संवर्धन स्कीमों की संकल्पना तथा निर्धारण सातवी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में आधारभूत स्तर पर खेलों के विकास तथा संवर्धन तथा प्रतिभावान बच्चों को तैयार करके राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने हेतु की गयी थी। प्रचालन प्रभाग द्वारा क्षेत्रीय केन्द्रों उप केन्द्रों/शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से निम्नलिखित खेल संवर्धन स्कीमों को क्रियान्वित किया जा रहा है :–

1) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) स्कीम
2) सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) स्कीम
3) एसएआई प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी) स्कीम
4) विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) स्कीम
5) उत्कृष्टता केन्द्र स्कीम

भा.ले.प्रा. द्वारा क्रियान्वित की जा रही उक्त स्कीमों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम वर्ष 1985 में आरंभ की गई थी जिसके अंतर्गत 8 से 14 आयु वर्ग में प्रतिभाशाली युवा बच्चों की खोज की जाती है और वैज्ञानिक प्रशिक्षण देकर उन्हें तैयार किया जाता है।

उद्देश्य

इस स्कीम की मुख्य अवधारणा उसी स्कूल में खेलना और अध्ययन करना है। स्कीम में अनुवांशिक एवं शारीरिक रूप से प्रतिभावान बच्चों को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मूलतः भावी पदक संभावनाओं के रूप में परिवर्तित करने के लिए अनुकूलतम आयु में प्रतिभा की वैज्ञानिक खोज करना है।

स्कूलों को अपनाना

स्कीम के अंतर्गत अच्छे खेल आधारभूत ढांचे वाले स्कूलों को अपनाया जाता है। अपनाए गए प्रत्येक स्कूल को प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों की सेवाओं के अलावा उपभोज्य खेल उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

चयन मानदण्ड

उपर्युक्त स्कीम के तहत प्रशिक्षणार्थियों का चयन क्षमता/प्रदर्शन आधार पर किया जाता है।

1) राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं को स्वतः स्कीम में प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ हो।

2) जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं या राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वालों को प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा व शरीर की दृष्टि से स्वस्थ हो और उनमें अपेक्षित क्षमता हो जिसका कई परीक्षणों से मूल्यांकन किया जाता है।

3) दूरस्थ, जनजातीय व तटीय क्षेत्रों से चयन, प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करके किया जाता है।

4) टीम खेलों व व्यक्तिगत स्पर्धाओं हेतु चयन, एसएसआई के प्रतिनिधियों स्कूल/अखाड़ा एसएसआई कोचों, खेल वैज्ञानिकों आदि से गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है।

5) इस आधार पर चिन्हित खिलाड़ियों को आयु सत्यापन, चिकित्सा जांच व विभिन्न परीक्षणों से उपयुक्त पाएं जाने के बाद प्रवेश दिया जाता है।

शामिल खेल शाखाएं

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, बास्केटबॉल, जिमनास्टिक्स, हॉकी, कब्बड़ी, खो–खो, तैराकी, टेबल टेनिस, वालीबॉल, कुश्ती व देशी खेल व मार्शल आर्ट्स

प्रदत्त सुविधाएं

इस स्कीम के तहत चुने गए प्रशिक्षणार्थियों को गैर–आवासीय आधार पर प्रवेश दिया जाता है। तथापि, अपवाद रूवरूप मामलों में, प्रशिक्षणार्थियों को आवासीय आधार पर प्रवेश दिया जाता है और उन्हें ठहरने और खान–पान की सुविधाएं दी जाती है।

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
1.	300 दिनों के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति खान–पान व ठहरना (केवल दो स्कूलों के लिए)	75.00
2.	खेल किट (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	2000.00
3.	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रतिवर्ष, प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)।	150.00
4.	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	2000.00
5.	10 माह के लिए वृत्तिका (प्रति माह प्रति व्यक्ति)	3000.00
6.	खेल उपस्कर की खरीद हेतु स्कूल को वार्षिक अनुदान (प्रति वर्ष प्रति यूनिट)	20000.00

स्थिति

वर्तमान में नियमित रूप से अपनाए गए 22 स्कूल है जिनमें 811 प्रशिक्षणार्थी (637 लड़के और 174 लड़कियां) प्रशिक्षित किए जा रहे है।

(क) एनएसटीसी स्कीम का जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) हेतु विस्तार

ग्रामीण बच्चों हेतु अधिक संतुलन प्रदान करने के लिए दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शासी निकाय ने 9 जुलाई, 2001 हो हुई अपनी 27वीं बैठक में आवश्यक आधारभूत ढांचे वाले नवोदय विद्यालय हेतु एनएसटीसी स्कीम के विस्तार के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। इन केन्द्रों को नवोदय विद्यालय समिति के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। ये विद्यालय भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्रों तथा एसएजी केन्द्रों हेतु फीडर केन्द्र के रूप में भी कार्य करते हैं।

प्रदत्त सुविधाएं

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
1.	खेल किट (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	1500.00
2.	10 माह के लिए वृत्तिका (प्रति माह प्रति व्यक्ति)	3000.00
3.	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	1500.00
4.	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00
5.	खेल उपस्कर की खरीद हेतु स्कूल को वार्षिक अनुदान (प्रति वर्ष प्रति यूनिट)	20000.00

स्थिति

वर्तमान में 16 नवोदय विद्यालय अपनाए गए है जिनमें कुल 61 प्रशिक्षणार्थियों (38 लड़के तथा 23 लड़कियां) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ख) देशीय खेलों तथा मार्शल आर्ट (आईजीएमए) की परंपरा वाले विद्यालयों में एनसीटीसी स्कीम का विस्तार।

ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में विद्यालयों में देशीय खेलों तथा मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने और आधुनिक खेलों में पोषण हेतु इन खेलों में प्रतिभा के विकास हेतु एसएआई के शासी निकाय ने 12 नवम्बर, 2001 को आयोजित अपनी 28वीं बैठक में विद्यमान स्कीम के एक भाग के रूप में देशीय खेलों तथा मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को अपनाने हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

प्रदत्त सुविधाएं

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
1.	खेल किट (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	1500.00
2.	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00
3.	10 माह के लिए वृत्तिका (प्रति माह प्रति व्यक्ति)	3000.00
4.	खेल उपस्कर की खरीद हेतु स्कूल को वार्षिक अनुदान (प्रति वर्ष प्रति यूनिट)	20000.00
5.	प्रतिभा खोज हेतु प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने के लिए स्कूलों को वार्षिक अनुदान (प्रतिवर्ष)	25000.00

स्थिति

वर्तमान में 27 नवोदय विद्यालय अपनाए गए है जिनमें कुल 333 प्रशिक्षणार्थियों (251 लड़के तथा 82 लड़कियां) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) एनएसटीसी स्कीम का अखाड़ों हेतु विस्तार

आधुनिक कुश्ती हेतु एक व्यापक आधार सृजित करने और विभिन्न अखाड़ों द्वारा किए गए प्रयासों में सहयोग, करने के उद्देश्य से एसएआई ने एनएसटीसी स्कीम के अंतर्गत कई अखाड़ों को अपनाया है।

प्रदत्त सुविधाएं

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
1.	वृत्तिका (प्रति माह प्रति व्यक्ति)	1000.00
2.	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00

स्थिति

वर्तमान में, देशीय खेलों तथा मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए 38 अखाड़ों को अपनाया गया है जिनमें कुल 476 प्रशिक्षणार्थियों (453 लड़के तथा 23 लड़कियां) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(घ) अखाड़ों की तर्ज पर अपनाए गए खेल केन्द्रों हेतु एनएसटीसी स्कीम का विस्तार

इसी प्रकार, एसएआई के शासी निकाय ने 20 सितम्बर, 2006 को हुई अपनी 31वीं बैठक में अखाड़ों की तर्ज पर खेल केन्द्रों को अपनाने को अनुमोदित किया। इस स्कीम के अंतर्गत उच्च प्रदर्शन वाले खेल केन्द्रों को चलाया जा रहा है, विशेष रूप से प्राथमिकता वाली विधाओं, जैसे कि एथलेटिक्स, जूडो, कुश्ती, मुक्केबाजी, तैराकी तथा आधुनिक खेलों के समान अन्य मान्यता प्राप्त मार्शल आर्ट को अखाड़ों के समान ही सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रदत्त सुविधाएं

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
1.	अपनाए गए अखाड़ों के प्रशिक्षणार्थियों को वृत्तिका दी जाती है (प्रति माह प्रति व्यक्ति)	1000.00
2.	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00

स्थिति

वर्तमान में, अखाड़ों की तर्ज पर 05 खेल केन्द्रों को अपनाया गया है जिनमें 78 प्रशिक्षणार्थियों (65 लड़के तथा 13 लड़कियां) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 22 नियमित अपनाए गए स्कूल, देशीय खेलों तथा मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए अपनाए गए 27 स्कूल, 6 नवोदय विद्यालय, 38 अखाड़े तथा अखाड़े की तर्ज पर 05 खेल केन्द्र हैं, जिनमें कुल 1759 प्रशिक्षणार्थियों (1444 लड़के तथा 315 लड़कियां) को प्रशिक्षण किया जा रहा है।

सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) स्कीम

यह स्कीम सेना प्राधिकारियों तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के मध्य एक संयुक्त उद्यम है जिसे सेना के विभिन्न रेजीमेंटल केन्द्रों में खेल प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध उत्कृष्ट आधारभूत ढांचे, दक्ष प्रशासन तथा अनुशासित वातावरण का लाभ उठाने के लिए किया गया है। 8 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों को इस स्कीम में प्रवेश दिया जाता है। अपेक्षित आयु पूरी हो जाने पर इन प्रशिक्षणार्थियों को सेना में रोजगार भी दिया जाता है।

चयन मानदण्ड

उपर्युक्त स्कीम के तहत प्रशिक्षणार्थियों का चयन, एनएसटीसी स्कीम के तहत यथा लागू क्षमता व प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

शामिल खेल शाखाएं

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बास्केट बॉल, मुक्केबाजी डाइविंग, घुड़सवारी, फूटबॉल, जिमनास्टिक्स, हैण्डबॉल, हॉकी, कयाकिंग एण्ड केनोइंग, तैराकी, शूटिंग, रोइंग, वालीबॉल, कुश्ती और भारोत्तोलन

प्रदत्त सुविधाएं

इस स्कीम के तहत प्रशिक्षणार्थियों को खान–पान व ठहरने की सुविधा, शैक्षिक व्यय, खेल किट, बीमा, चिकित्सा सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा भागीदारी तथा अनुभवी कोचों से वैज्ञानिक कोचिंग दी जाती है।

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
1.	300 दिनों के लिए खान–पान व ठहरना (प्रति दिन प्रति व्यक्ति)	125.00
2.	शैक्षिक व्यय (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	1000.00
3.	खेल उपस्कर (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	27500.00
4.	खेल मैदानों का रख रखाव तथा	20000.00
	पत्रिकाएं (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	2500.00
5.	खेल किट (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	2000.00
6.	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	2000.00
7.	चिकित्सा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	300.00
8.	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00
9.	कपड़ों व कम्बलों आदि हेतु एक बार दिया जाने वाला अनुदान (प्रति वर्ष)	2000.00

स्थिति

वर्तमान में 15 केन्द्र हैं जिनमें 1031 लकड़ों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी) स्कीम

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य 14 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के मेधावी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना है। मेधावी खिलाड़ियों और जिमनास्टिक तथा तैराकी की विधाओं के मामले में भी आयु सीमा में छूट दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रों को राज्य सरकार/संध शासित प्रदेशों तथा एसएआई के संयुक्त सहयोग से स्थापित किया जाता है। राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं :

क) राज्य सरकार द्वारा मुहैया करवाई जाने वाली सुविधाएं –

i) छात्रावास हेतु एक उपयुक्त भवन जिसमें खान–पान, पुस्तकालय, मनोरंजन तथा छात्रावास के प्रभारी तथा प्रशिक्षकों हेतु परिवार आवास हो।

ii) चिन्हित की गई विधाओं के आधार पर खेल के मैदान/इंडोर हॉल/तरणताल।

iii) दिन प्रतिदिन के प्रशिक्षण हेतु खेल के मैदानों का रख–रखाव।

iv) छात्रावास भवन का वार्षिक अनुरक्षण।

ख) एसएआई द्वारा मुहैया करवाई जाने वाली सुविधाएं :–

i) छात्रावास हेतु फर्नीचर तथा खान–पान उपकरण।

ii) पोषक तथा संतुलित भोजन।

iii) खेलकूद किट।

iv) प्रशिक्षक।

v) खेल उपकरण।

vi) चिकित्सा सहायता तथा बीमा।

vii) प्रशासनिक तथा केटरिंग स्टाफ।

viii) विद्युत, जल तथा प्रशासनिक स्टाफ।

चयन मानदण्ड

- राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं को स्वतः स्कीम में प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि उन्हें चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ पाया गया हो।
- जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं या राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वालों को प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा व शरीर की दृष्टि से स्वस्थ हो और उनमें अपेक्षित क्षमता हो जिसका कई परीक्षणों से मूल्यांकन किया जाता है।

शामिल खेल शाखाएं

तीरंदाजी, एथलिटिक्स, बैड्मिन्टन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, साइकलिंग, डाइविंग, फूटबॉल, पटेबाजी, जिमनास्टिक्स, हैण्डबॉल, हॉकी, जूड़ों, कब्बड़ी, खो–खो, कराटे, लॉन टेनिस, तैराकी, सेपक–टक्रॉ, शूटिंग, साफ्टबॉल, टेबल टेनिस, ताइक्वाण्डों, वालीबॉल, जल क्रीड़ाएं, भारोत्तोलन कुश्ती, वुशू।

प्रदत्त सुविधाएं

इस स्कीम के तहत आवासीय व गैर–आवासीय प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौराः–

आवासीय प्रशिक्षणार्थी :

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
1.	खान–पान व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति दिन) 330 दिनों के लिए गैर पहाड़ी क्षेत्रों हेतु	125.00
	330 दिनों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों हेतु	140.00
2.	खेल किट (प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	4000.00
3.	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	3000.00
4.	शिक्षा व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	1000.00
5.	चिकित्सा व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	300.00
6.	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00
7.	अन्य व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	100.00

गैर आवासीय प्रशिक्षणार्थी

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
1.	खेल किट (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	4000.00
2.	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	3000.00
3.	वृत्तिका (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	6000.00
4.	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00

(i) एसएआई प्रशिक्षण केन्द्रों/विशेष क्षेत्र खेल केन्द्रों हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुदान को 6 अगस्त, 2010 को आयोजित बैठक में वित्त समिति द्वारा दी गई सहमति तथा शासी निकाय द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार मौजूदा 7.50 लाख रू. से बढ़ाकर निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

50 प्रशिक्षणार्थियों तक	–	7.50 लाख
50–75 प्रशिक्षणार्थियों	–	10.00 लाख
75–100 प्रशिक्षणार्थियों	–	12.50 लाख
100–150 प्रशिक्षणार्थियों	–	15.00 लाख
150 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों के लिए	–	20.00 लाख

(ii) प्रवेशशुदा प्रशिक्षणार्थियों को खान–पान व ठहरने, खेल किट, प्रतिस्पर्धा, भागीदारी, बीमा एवं चिकित्सा सुरक्षा शैक्षिक व्यय तथा वर्ष में एक बार मूल निवास स्थान हेतु टीए/डीए के अलावा, अनुभवी कोचों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। इन केन्द्रों का प्रबंधन, रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य देखरेख एसएआई द्वारा की जाती है।

स्थिति

वर्तमान में ऐसे 58 केन्द्र हैं जिसमें 6381 (4576 लड़के और 1805 लड़कियों) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) स्कीम

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश के जनजातीय, ग्रामीण, तटीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों से और अनुवांशिक रूप से अथवा भौगोलिक रूप से लाभकारी होने वाले किसी क्षेत्र से आधुनिक प्रतिस्पर्धा खेल हेतु प्राकृतिक प्रतिभा की खोज करना तथा उसे वैज्ञानिक रूप से निखारना है ताकि आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके। प्रशिक्षार्थियों को 14–21 वर्ष के आयु वर्ग में अपनाया जाता है।

विशेष क्षेत्र खेल केन्द्रों को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के साथ परामर्श से प्रारंभ किया जाता है। राजय सरकार द्वारा आधारभूत ढांचे के साथ आवश्यक भूमि मुहैया करायी जानी होती है। तथापि, आधारभूत ढांचे की उपलब्धता के मामले में राज्य सरकार को भा.खे.प्रा. को दीर्घावधि पट्टा आधार पर विकसित भूमि मुहैया करवानी होती है ताकि वह आवश्यक सुविधाएं विकसित करने में समर्थ हो सके। केन्द्र को प्रारंभ करने से पूर्व भा.खे.प्रा. और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने होते हैं।

चयन मानदण्ड

(क) राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं को स्वतः स्कीम में प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ हो।

(ख) जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं या राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वालों को प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा व शरीर की दृष्टि से स्वस्थ हो और उनमें अपेक्षित क्षमता हो जिसका कई परीक्षणों से मूल्यांकन किया जाता है।

प्रदत्त सुविधाएं

इस स्कीम के तहत आवासीय व गैर–आवासीय प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौराः–

आवासीय प्रशिक्षणार्थी

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
1.	खान–पान व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष) 330 दिनों के लिए गैर पहाड़ी क्षेत्रों हेतु	125.00
	330 दिनों के लिए पहाड़ी क्षेत्र (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	140.00
2.	खेल किट (प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	4000.00
3.	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	3000.00
4.	शिक्षा व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	1000.00
5.	चिकित्सा व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	300.00
6.	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	30.00
7.	अन्य व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	100.00

गैर आवासीय प्रशिक्षणार्थी

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
1.	खेल किट (वर्ष प्रति प्रशिक्षणार्थी)	4000.00
2.	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (वर्ष प्रति प्रशिक्षणार्थी)	3000.00
3.	वृत्तिका (वर्ष प्रति प्रशिक्षणार्थी)	6000.00
4.	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00

शामिल खेल शाखाएं

तीरंदाजी, एथलिटिक्स, बैड़मिन्टन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, साइकलिंग, डाइविंग, फूटबॉल, पटेबाजी, जिमनास्टिक्स, हैण्डबॉल, हॉकी, जूड़ों, कब्बड़ी, कराटे, रोइंगु, लॉन टेनिस, तैराकी, शूटिंग, साफ्टबॉल, टेबल टेनिस, ताइक्वाण्डों, वालीबॉल, भारोत्तोलन कुस्ती, बुशू।

स्थिति

वर्तमान में ऐसे 21 केन्द्र हैं जिसमें 1866 (1116 लड़के और 750 लड़कियों) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

व्यापक आधार पर स्कूल/कॉलेजों को शामिल करने हेतु एसटीसी/एसएजी केन्द्रों के विस्तार केन्द्र

इस स्कीम की मूल अवधारणा, उन स्कूलों व कॉलेजों में खेल का स्तर बढ़ाता है जो विशिष्ट खेल आयोजित करते हैं और जिन्होने सराहनीय परिणाम दिए हैं। इस स्कीम के तहत 14–21 वर्ष की आयु वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को अपनाया जाता है।

संस्था का चयन

खेलकूद में सक्रियता से शामिल तथा पर्याप्त अवसंरचना वाले स्कूल कालेज इस स्कीम के अन्तर्गत पात्र होते हैं। संस्था के पास राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद वाले व्यक्ति तैयार करने का पुराना इतिहास होना चाहिए स्कूलों और कालेजों को समय समय पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए मानदण्डों से भी सहमत होना चाहिए।

प्रशिक्षुओं का चयन एवं आयु वर्ग :

स्कूल/कालेज में 14 से 21 वर्ष तक के आयु वर्ग के 20 से अधिक प्रशिक्षु नहीं होंगे। स्कूलों/कालेजों के आस–पास के छात्रों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। प्रशिक्षुओं का चयन विधिवत गठित समिति द्वारा किया जाता है जिसमें (1) क्षेत्रीय निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि (2) कालेज संस्थान का प्रमुख अथवा उसका प्रतिनिधि (3) सम्बन्धित खेल शाखा के स्कूल/कालेज के विशेषज्ञ/कोच (4) क्षेत्र के उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं। समिति की सिफारिश को अंतिम अनुमोदन हेतु मुख्यालय भेजा जाएगा। उपर्युक्त समिति की सिफारिश तथा मुख्यालय के अनुमोदन से ही अपवाद स्वरूप मामलों में आयु समूह में छूट दी जा सकती है।

निगरानी

विस्तार केन्द्र को नजदीकी एसटीसी/एसएजी तथा क्षेत्रीय केन्द्र के प्रमुख, जिसके अन्तर्गत यह आता है, द्वारा मानीटर किया जाता है। ऐसे केन्द्रों को मंजूरी देने की शक्ति महानिदेशक एसएआई की होगी।

प्रदत्त सुविधा

(i) 20 खिलाड़ियों के लिए प्रति वर्ष प्रति केन्द्र 10 लाख रू. तक का वार्षिक अनुरक्षण अनुदान।

(ii) प्रशिक्षणार्थियों को निम्नानुसार सहायता प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
1.	खेल किट (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	4000.00
2.	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	2000.00
3.	वृत्तिका (प्रति वर्ष 10 माह प्रति व्यक्ति)	6000.00
4.	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00
5.	चिन्हित संस्थानों में बुनियादी ढ़ांचे व उपस्कर हेतु सहायता, प्रति वर्ष प्रति प्रशिक्षु वित्तीय सहायता (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	5000.00

इन स्कूलों को कोचों की सेवाएं, मांग के आधार पर प्रदान की जाती हैं

स्थिति

इस समय 102 विस्तार केन्द्र हैं जिनमें 1816 गैर आवासीय प्रशिक्षणार्थियों (1083 लड़के तथा 733 लड़कियां) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उत्कृष्टता का केन्द्र (सीओई) स्कीम

इस स्कीम में किसी विशिष्ट विधा में सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी के अग्रिम प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है और प्रतियोगिता में प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने का भी प्रावधान है। वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन वाले 17–25 वर्ष आयु समूह के प्रशिक्षणार्थियों का स्कीम के अंतर्गत चयन किया जाता है।

ये केन्द्र भारत में उपलब्ध उत्कृष्ट प्रतिभा के लिए नियमित कोचिंग शिविर का कार्य करते हैं और समवर्ती स्तर के संभवतः दो या तीन उच्च कौशल प्राप्त खिलाड़ी उपलब्ध करवाते हैं जिससे आगे राष्ट्रीय टीमों में चयन हेतु प्रतिभा व निरन्तरता का अधिक विकल्प मिलता है और ये राष्ट्रीय टीमों के लिए दूसरा और तीसरा विकल्प प्रदान करते हैं।

चयन मानदण्ड

1. वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं या कनिष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट 6 बशर्ते कि उनमें कम से कम 2 से 3 वर्ष तक प्रतिस्पर्धा खेलों में बने रहने की क्षमता हो।

2. एसएआई की स्कीमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु तथा साथ ही उच्च प्रशिक्षण हेतु एसएआई और राष्ट्रीय खेल सघों द्वारा सामूहिक रूप से खोजे गए प्रतिभावान खिलाड़ी

शामिल खेल शाखाएं

तीरंदाजी, एथलिटिक्स, बैड़मिन्टन, मुक्केबाजी, साइकलिंग, फेंसिगं, केथाकिंग एवं केनोइंग, फूटबॉल, जिमनास्टिक्स, हैण्डबॉल, हॉकी, जूड़ों, कराटे, कब्ड्डी, तैराकी, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, ताइक्वाण्डों, वालीबॉल, भारोत्तोलन कुस्ती, बुशू।

प्रदत्त सुविधाएं

इस स्कीम के तहत प्रशिक्षणार्थियों को आवासीय व गैर आवासीय, दोनों आधार पर प्रदेश दिया जाता है जहां उन्हें निम्नलिखित सुविधाओं के अलावा अनुभवी कोचों से वैज्ञानिक प्रशिक्षण तथा वर्ष में दो बार मूल निवास स्थान का आने और जाने का एसी सैकेण्ड क्लास का भाड़ा दिया जाता है :

आवासीय प्रशिक्षणार्थी

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
1.	खान–पान व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति दिन) 330 दिनों के लिए	175.00
2.	खेल किट (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	6000.00
3.	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	3000.00
4.	वृत्तिका (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	9000.00
5.	चिकित्सा व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	500.00
6.	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00
7.	अन्य व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	100.00

गैर आवासीय प्रशिक्षणार्थी

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
1.	खेल किट (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	6000.00
2.	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	3000.00
3.	वृत्तिका (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	9000.00
4.	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) (इस समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 32 रू. दिया जा रहा है)	150.00

स्थिति

इस समय 12 विस्तार केन्द्र हैं जिनमें 292 गैर आवासीय प्रशिक्षु (132 लड़के तथा 160 लड़कियां) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

हाल में दिल्ली में 3 से 14 अक्तूबर, 2010 तक आयोजित 19वें राष्ट्रमण्डल खेल 2010 में (जिनमें 71 देशों ने भाग लिया) भारतीय खिलाड़ियों/टीमों ने 18 विभिन्न खेल शाखाओं (17+1 पारा स्पोर्ट्स) में भाग लिया। भारत ने 101 पदक जीते और पदक तालिका में कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर रहा। एसएआई के प्रक्षिणार्थियों ने सराहनीय प्रदर्शन किया। उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा अनुबंध–IX में दिया गया है। भारतीय खिलाड़ियों/टीमों ने 16वें एशियाई खेलों में 64 पदक जीते जो 12 से 27 नवम्बर, 2010 तक चीन के गुआंगझू में आयोजित किए गए थे। पदक तालिका में कुल मिलाकर भारत का छठा स्थान रहा। एशियाई खेलों में एसएआई केन्द्रों की उपलब्धियां भी सराहनीय रही जिसका ब्यौरा अनुबंध–X में दिया गया है।

एसएआई के क्षेत्रीय केन्द्र /उपकेन्द्र

एसएआई की विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन समूचे देश में फैले क्षेत्रीय केन्द्रों/उपकेन्द्रों तथा शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से किया जाता है।

नेताजी सुभाष पूर्वी केन्द्र, कोलकाता

एसएआई पूर्वी केन्द्र की स्थापना 23 जनवरी, 1983 को साल्ट लेक सिटी, कोलकाता में 42 एकड़ भूमि पर की गई थी जिसमें बिहार, उड़ीसा, पं. बंगाल, त्रिपुरा, और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह राज्यों को शामिल किया गया।

एसएआई नेताजी सुभाष दक्षिण केन्द्र, बेंगलूरू

दक्षिण केन्द्र की स्थापना 13 अप्रैल 1974 को श्री कांतीरावा स्टेडियम, बेंगलूरू में की गयी थी और 29 जुलाई, 1985 को बाद में इसे वर्तमान स्थुल अर्थात ज्ञानभारती कैम्पस, बेंगलूरू विश्वविद्यालय, मैसूर रोड, बेंगलूरू में स्थानातरित कर दिया गया। यह केन्द्र 101.2 एकड़ भूमि में फैला है और कर्नाटक, केरल आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी और लक्ष्यद्वीप राज्यों को कवर करता है।

एसएआई नेताजी सुभाष पश्चिम केन्द्र, गांधीनगर

पश्चिम केन्द्र, गांधीनगर की स्थापना 29 अगस्त, 1987 को 64 एकड़ भूमि पर की गयी थी और इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और दमन तथा दीव और दादर एवं नगर हवेली का संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। तथापि, जुलाई माह में एसएआई पश्चिमी केन्द्र की 7.05 एकड़ भूमि महात्मा गांधी मन्दिर परियोजना के विकास हेतु गुजरात राज्य सरकार का सौंप दी गई।

एसएआई उद्धव दास मेहता (भाई जी) मध्य केन्द्र, भोपाल

एसएआई मध्य केन्द्र की स्थापना अप्रैल 1988 में दिल्ली में की गयी थी। इसके पश्चात केन्द्र को 2001 में भोपाल स्थानान्तरित किया गया और इसका नाम उद्धव दास मेहता (भाई जी) मध्य क्षेत्रीय केन्द्र रख दिया गया है, इस समय यह केन्द्र 97 एकड़ भूमि पर कार्यकर रहा है जिसे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्राम गोरा, बिशनखेरी, भोपाल में आवंटित किया गया जिसमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है।

एसएआई चौ. देवीलाल उत्तरी केन्द्र, सोनीपत

एसएआई के उत्तरी केन्द्र की स्थापना 15 अक्तूबर, 1991 को, उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में एसएआई तथा एमवाईएएस की स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए, चण्डीगढ़ में की गई थी। हरियाणा सरकार ने क्षेत्रिय केन्द्र की स्थापना तथा खेल अवसंरचना/खेल की सुविधाओं के निर्माण के लिए सोनीपत में 83 एकड़ भूमि आबटित की है। एसएआई की शासी निकाय ने 12 नवम्बर, 2001 को आयोजित अपनी बैठक में क्षेत्रीय केन्द्र को चण्डीगढ से सोनीपत स्थानान्तरित करने और केन्द्र का नाम भारत के पूर्व उपप्रधानमंत्री, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नाम से रखने को अनुमोदित किया। इस समय केन्द्र हरियाणा और दिल्ली को कवर करता है।

एसएआई केन्द्र, चण्डीगढ़

शासी निकास की 23 फरवरी, 2009 को आयोजित 36वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में चण्डीगढ़ में 25 फरवरी, 2009 से एक एसएआई केन्द्र की स्थापना की गयी जिसमें जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ का संघ राज्य क्षेत्र शामिल है।

एसएआई नेताजी सुभाष पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, इम्फाल

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना 64 एकड़ भूमि पर 15 सितम्बर, 1986 को तक्येल, इम्फाल में की गयी थी जो मणिपुर, मिजारम और नागालैण्ड को कवर करता है।

एसएआई नेताजी सुभाष उपकेन्द्र, लखनऊ

एसएआई नेताजी सुभाष उपकेन्द्र, लखनऊ की स्थापना 52 एकड़ भूमि पर 23 फरवरी, 2004 को की गयी थी जो मणिपुर, मिजोरम और नागालैण्ड को कवर करता है।

एसएआई नेताजी सुभाष पूर्वोत्तर उपकेन्द्र, गुवाहाटी

एसएआई पूर्वोत्तर क्षेत्रीय उपकेन्द्र की स्थापना 7.5 एक एकड़ भूमि पर 1987 में गुवाहाटी में की गई जिससे असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश सिक्किम राज्य शामिल हैं।

अन्य महत्वपूर्ण केन्द्र

राजीव गांधी हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिग सेन्टर शिलारू (हिमाचल प्रदेश)

एसएआई एनएसएनआईएस पटियाला के अन्तर्गत कार्य कर रहा राजीव गांधी हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिग सेन्टर शिलारू (हिमाचल प्रदेश) 39 एकड़ भूमि में है।

शैक्षिक संस्थान

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, (एनएसएनआईएस) पटियाला तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा, कॉलेज (एलएनसीपीई) तिरूअनंतपुरम, भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत दो शैक्षिक संस्थान है।

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला

भारत सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की समृति में वर्ष 1973 में देश में व्यवस्थित और वैज्ञानिक खेल कोचिंग के युग का सूत्रपात्र करने के लिए 7 मई, 1961 को स्थापित राष्ट्रीय खेल संस्थान 1 मई, 1987 से भारतीय खेल प्राधिकरण का शैक्षिक प्रभाग बन गया। इसे एशिया में सर्वोच्च खेल संस्थान माना गया है और यह 268 एकड़ के क्षेत्रफल में मोती बाग पैलेस, पटियाला (पंजाब) में है।

संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य

- खेल कोचिंग, खेल विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्र में अल्प एवं दीर्घावधि शिक्षण पाठयक्रम आयोजित करना।
- कोचों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन द्वारा कोचों की योग्यता बढ़ाना।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के आयोजन हेतु राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता देना।
- विशिष्ट खिलाड़ियों द्वारा उच्च स्तरीय प्रदर्शन के किए जाने हेतु वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।
- खेल संबंद्ध विषयों पर सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- विशेषज्ञों के माध्यम से खेल के बुनियादी ढ़ांचे के संबंध में सूचना स्त्रोत का कार्य करना और परामर्श देना।
- भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धनात्मक स्कीम का कार्यान्वयन करना।
- चिहिन्त खेल शाखाओं में खेल प्रतिभा की पहचान करना और खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए वैज्ञानिक खेल कोचिंग के माध्यम से उन्हें तैयार करना।
- एमवाईए एण्ड एस की खेल उन्नयन स्कीमों को कार्यान्वित करना।

शैक्षिक कार्यक्रम

(i) खेल कोचिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(क) संस्थान द्वारा पटियाला, बेंगलरू तथा कोलकाता में तीन विभिन्न शैक्षिक केन्द्रों में 10 माह 15 दिन का डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।

पटियाला : 16 खेल शाखाओं नामतः एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, क्रिकेट, साइकलिंग, पटेबाजी, फुटबाल, जिमनास्टिक्स, हेण्डबॉल, हॉकी, जुड़ों, टेबलटेनिस, बालीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और बुशू में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर इन खेल शाखाओं में 267 छात्रों को प्रवेश दिया गया।

बेंगलूरू : 10 खेल शाखाओं नामतः एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, हॉकी, कब्बड़ी, खो–खो, लॉनटेनिस, सॉफ्टबॉल, तैराकी, ताइकवोण्डू तथा बालीबॉल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर इन खेल शाखाओं में 144 छात्रों को प्रवेश दिया गया।

कोलकाता : 4 खेल शाखाओं नामतः तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और फुटबाल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर इस केन्द्र में 43 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कुल मिलाकर उक्त 3 केन्द्रों 22 खेल शाखाओं में 454 छात्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण ले रहे है।

(ii) खेल कोचिंग में एम.एससी.

1979 में 9 खेल शाखाओं में खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। संस्थान द्वारा पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से संबंद्ध यह पाठ्यक्रम इसके केवल पटियाला केन्द्र में चलाया जा रहा है। एम.एससी. खेल कोचिंग में 6 छात्रों यथा एथलेटिक्स में 4 तथा बास्केटबॉल में 2 छात्रों को प्रवेश दिया गया। एम.एससी. खेल कोचिंग (वर्ष 2010–12) में 4 छात्रों अर्थात् एथलेटिक्स में 2 बास्केटबॉल में 1 तथा हॉकी में 1 छात्र को प्रवेश दिया गया है।

(iii) खेल कोचिंग में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा 17 मई से 25 जून, 2010 तक विभिन्न एसएआई केन्द्रों में जनशिक्षा कार्यक्रम के तहत खेल कोचिंग में 6 सप्ताह का प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया गयाः पटियाला एनएस पक्षिमी केन्द्र, एलएनसीपीई, तिरूअनंतपुरम, एसएआई एनएस दक्षिणी केन्द्र, एसएआई पूर्वी केन्द्र कोलकाता तथा एसएआई एसटीसी प्रशिक्षण केन्द्र काण्डीवली (पूर्वी½ , मुम्बई और बिकानेर (राजस्थान)।

कुल मिलाकर 23 खेल शाखाओं में 371 विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम में भाग लिया : तीरंदाजी–05, एथलेटिक्स–60, बैडमिन्टन–11, बास्केटबॉल–34, मुक्केबाजी–08, क्रिकेट–26, फुटबाल–34, हेण्डबॉल–15,

हॉकी–23, स्वास्थ्य एवं प्रबंधन –27, जूड़ों–03 कब्बड़ी–25, खो–खो–11, नेटबॉल–06, टेनिस–03, तैराकी–17, टेबिलटेनिस–06, ताइकवोण्डू–06, बालीबॉल–17, कुश्ती–14, बुशू–10 तथा योगा–10

iv) पुनश्चर्या कार्यक्रम

इसके अलावा वर्ष के दौरान कोचों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई।

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज (एलएनसीपीई), तिरूवनन्तपुरम

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज (एलएनसीपीई) करियावट्टम, तिरूवनन्तपुरम की स्थापना तत्कालीन युवा कार्यक्रम व खेल विभाग, मानव संस्थान विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन 17 अगस्त, 1985 को की गई थी। इसके बाद, यह कॉलेज 1 मई, 1987 से राष्ट्रीय शारीरिक एवं खेल संस्थान (एसएनआईपीईएस) के समतुल्य भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रभाग बन गया। यह कॉलेज केरल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

कॉलेज का उद्देश्य देश में शारीरिक शिक्षा व खेल के उत्थान हेतु उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करना तथा अवर स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाकर शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मॉडल संस्थान के रूप में काम करना है।

मुख्य उद्देश्य :

- शारीरिक शिक्षा, खेल और सम्बद्ध क्षेत्रों में उच्च दक्ष और कुशल नेतृत्व, तैयार करना।
- शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान और सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में सेवा करना।
- समूहिक शिक्षा के अन्य संस्थाओं को तकनीक, व्यावसायिक और शिक्षण नेतृत्व प्रदान करना।
- समूहिक शारीरिक शिक्षा कार्यकलाप के कार्यक्रम विकसित तथा उन्नत करना।
- आम जनता व विशिष्ट रूप से खेलों के लिए मॉडल स्वास्थ्य व स्वस्थता कार्यक्रम विकसित करना।

ख) शैक्षिक कार्यक्रम

(i) स्नातक शारीरिक शिक्षा (3 वर्ष)

(ii) स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा (2 वर्ष)

(iii) नियमित और अंशकालिक पी.एच.डी. कार्यक्रम

छात्रों की संख्या

कक्षा	कुल सीट	लड़के	लड़कियां	कुल संख्या
बीपीई–I	50	34	14	48
बीपीई–II	50	19	22	41
बीपीई–III	50	21	18	39
एमपीई–I	25	15	10	25
एमपीई–II	25	13	09	22
	200	102	73	175

शैक्षिक वर्ष 2010–11 से एलएनसीपीई, तिरूअनंतपुरम में शारीरिक शिक्षा में एक वर्षीय एम.फिल पाठ्यक्रम शुरू किया गया है और 6 छात्र इस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं।

5 छात्र पी.एचडी पूर्णकालिक तथा 15 छात्र शारीरिक शिक्षा अंशकालिक पाठ्यक्रम कर रहे है।

ग) प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

17 मई से 25 जून, 2010 तक 4 खेल शाखाओं नामतः बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, तथा स्वाथ्य एवं स्वस्थता प्रबंधन में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 33 छात्रों ने पाठ्यक्रम पूरा किया।

राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम

राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम देश भर में खेलों को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है और इसके तहत खेल में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है। 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार एसएआई की विभिन्न प्रचालन स्कीमों के तहत युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए 19 खेल शाखाओं में 1222 कोच तैनात किए गए और 151 कोच अनुबंध आधार पर कार्यरत है। इससे पहले खेलों के सवर्धन हेतु राज्यों/संघराज्य प्रशासनों के राज्य कोचिंग केन्द्रों के लिए उन्हें कोच भी उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा, विभिन्न खेल शाखाओं में डिप्लोमा/मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण तथा शैक्षिक स्कंध में भी कोचों की सेवाएं ली गई। कोचों को कोचिंग/प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालयों/नवोदय तथा केन्द्रीय विद्यालयों में भी उपलब्ध कराया जाता है। इन कोचों की सेवाओं के प्रभावी उपयोग हेतु भारतीय खले प्राधिकरण में निगरानी प्रणाली शुरू की गई।

स्टेडियम प्रभाग

स्टेडियम प्रभाग खेलों के आधार को व्यापक बनाने और खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के दोहरे उद्देश्य से दिल्ली में स्टेडियमों में सृजित विभिन्न सुविधाओं के उपयोग संबंधी नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

उद्देश्य :

निम्नलिखित के लिए सुविधाएं और स्थल प्रदान करना :

- ❖ राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं
- ❖ राष्ट्रीय कोचिंग शिविर
- ❖ स्थानीय प्रतिभाओं के लिए नियमित कोचिंग
- ❖ वेतन एवं खेल कार्यकलाप
- ❖ विभिन्न स्तरों पर अपने खेल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए शैक्षिक संस्थान/संघ/अन्य संगठन

1982 में नई दिल्ली आयोजित 9वें ऐशियाई खेलों के लिए निर्मित/नवीकृत स्टेडियमों का एमवाईएएण्ड एस की ओर से भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा रख–रखाव तथा उपयोग किया जा रहा है। ये स्टेडियम है:

क्र.सं.	स्टेडियम का नाम
1.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कॉम्पलेक्स
2.	इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्पलेक्स
3.	मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम
4.	डॉ. श्यामाप्रशाद मुखर्जी तरणताल परिसर
5.	डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज

भारतीय खेल प्राधिकरण, 3 से 14 अक्तूबर, 2010 तक दिल्ली में आयोजित 19वें राष्ट्रमण्डल खेलों की तैयारी में भागीदार था। उपर्युक्त स्टेडियम इन खेलों के भी स्थल थे जिन्हें अपेक्षित सुविधाओं के सृजन/उन्नयन के लिए सीपीडब्ल्यू को सौप दिया गया।

इन स्टेडियमों के अपेक्षित बुनियादी ढ़ांचा तैयार करने/नवीकरण संबंधी प्राक्कलन लागत इस प्रकार है।

क्र.सं.	स्टेडियम का नाम	प्राक्कलित लागत (करोड़ रू. में)
1.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कॉम्पलेक्स क) भारोत्तोलन हॉल ख) लॉन बाउल्स	961
2.	मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम	262

क्र.सं.	स्टेडियम का नाम	प्राक्कलित लागत (करोड़ रू. में)
3.	इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्पलेक्स क) जिमनास्टिक हॉल ख) कुश्ती हॉल ग) साइकलिंग वेलोड्रोम	669
4.	डॉ. श्यामाप्रशाद मुखर्जी तरणताल परिसर	377
5.	डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेज	149

निम्नलिखित पांच स्टेडियम परिसरों का निर्माण/नवीकरण कार्य पूरा किया गया और नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार इनका उद्‌घाटन किया गयाः

क्र.सं.	स्टेडियम का नाम	उद्‌घाटन की तिथि
1.	मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम	24.01.2010
2.	डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेज	31.01.2010
3.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कॉम्पलेक्स क) भारोत्तोलन हॉल ख) लॉन बाउल्स	27.07.2010 01.08.2010 05.04.2010
4.	इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्पलेक्स क) जिमनास्टिक हॉल ख) कुश्ती हॉल ग) साइकलिंग वेलोड्रोम	 10.04.2010 25.04.2010 29.06.2010
5.	डॉ. श्यामाप्रशाद मुखर्जी तरणताल परिसर (जलक्रीड़ा)	18.07.2010

राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के दौरान आयोजित स्टेडियम वार खेल/समारोह का ब्यौरा इस प्रकारः

क्र.सं	स्टेडियम का नाम	खेल समारोह का नाम
1.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कॉम्पलेक्स क) भारोत्तोलन हॉल ख) लॉन बाउल्स	उद्‌घाटन और समापन समारोह भारोत्तोलन लॉन बाउल्स
2.	डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेज	शूटिंग
3.	मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम	हॉकी

क्र.सं	स्टेडियम का नाम	खेल समारोह का नाम
4.	इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्पलेक्स क) जिमनास्टिक हॉल ख) कुश्ती हॉल ग) साइकलिंग वेलोड्रोम	 जिमनास्टिक कुश्ती साइकलिंग
5.	डॉ. श्यामाप्रशाद मुखर्जी तरणताल परिसर (जलक्रीड़ा)	जलक्रीड़ा

टीईएएमएस प्रभाग

टीईएएमएस (विशिष्ट एथलिटों का प्रशिक्षण एवं प्रबंधन सहायता) प्रभाग को संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ के समन्वय से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की और से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए विभिन्न खेल शाखाओं में नेशनल टीमों की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरे शब्दों में यह ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमण्डल खेल तथा भारत और विदेशों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं जैसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए विशिष्ट खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। यह प्रभाग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने हेतु विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा अपने एलटीडीपी के जरिए तैयार और समिति द्वारा अनुमोदित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है।

(i) कोचिंग शिविर

''राष्ट्रीय खेल संघों को वित्तीय सहायता'' की स्कीम के तहत 29 खेल शाखाओं (टेबलटेनिस, वुशू, बास्केटबॉल, डीफ, तीरंदाजी, बैडमिंटन, तैराकी, मुक्केबाजी, एथलिटिक्स, रोइंग, जिमनास्टिक्स, भारोत्तोलन, जूड़ों, हॉकी, वॉलीबॉल, कुश्ती, शूटिंग, एसओबी, कब्बड़ी, पटेबाजी, केयकिंग एवं केनोइंग, फुटबॉल, एसजीएफआई, साइकलिंग, ताइकवोण्डू, हेडबॉल, सेपक–टक्रॉ, सॉफ्ट टेनिस, कराटे) में कुल 183 कोचिंग शिविर आयोजित किए गए।

''राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए भारतीय टीमों की तैयारी'' की स्कीम के तहत 18 खेल शाखाओं जलक्रीड़ा, तीरंदाजी, एथलिटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, साइकलिंग, जिमनास्टिक्स, हॉकी, लॉन बाउल्स, नेटबॉल (डब्ल्यू), रग्बी 7 (एम), शूटिंग, स्क्वॉश, टेबलटेनिस, टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, पारा–खेल (तैराकी, एथलिटिक्स, टेबलटेनिस, पॉवर लिफटिंग) में कुल 227 कोचिंग शिविर आयोजित किए गए।

2010 एशियाई खेल की स्कीम के तहत राष्ट्रमण्डल खेल स्कीम के तहत शामिल खेल शाखाओं के अलावा 21 एशियाई खेल शाखाओं में कुल 106 कोचिंग शिविर आयोजित किए गए।

प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण से संबंधित स्कीम

- इस स्कीम के तहत उच्च स्तरीय प्रशिक्षण हेतु 06 खिलाड़ियों, 60 कोचों तथा 04 वैज्ञानिकों को सहायता दी गई।

विदेशी कोचों का नियोजन

(क) राष्ट्रमण्डल खेल 2010 की स्कीम के तहत 17 खेल शाखाओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु 32 विदेशी कोचों (अल्पकालिक आधार पर 2 कोचों सहित) की सेवाएं ली गई।

(ख) एशियाई खेल 2010 की स्कीम के तहत 14 खेल शाखाओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु 18 विदेशी कोचों (अल्पकालिक आधार पर 9 कोचों सहित) की सेवाएं ली गई।

खेल विज्ञान सहायक व्यवस्था

इस व्यवस्था के तहत खेल चिकित्सा में डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, फिजियोथेरेपिस्टो तथा मालिशकर्त्ताओं आदि के रूप में राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के दौरान खिलाड़ियों को वैज्ञानिक सहायता प्रदान की गई ताकि वे अपनी स्वस्थ्यता का स्तर् बढ़ा सकें, चोट ठीक कर सके, और चिकित्सा संबंधी कमी को दूर कर सके।

उपस्कर सहायता

इसके तहत राष्ट्रीय शिविरों में भाग लेने वालों को आयातित और स्वदेशी, दोनों तरह की आवश्यक उपस्कर सहायता प्रदान की गई। वर्ष के दौरान राष्ट्रमण्डल 2010 और एशियाई खेल 2010 के लिए विभिन्न स्वदेशी और आयातीत खेल उपस्कर खरीदे गए।

अध्याय 13

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (ग्वालियर)

प्रस्तावना :

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना 17 अगस्त, 1957 को भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के शताब्दी वर्ष में एक कालेज के रूप में की गयी थी। यह संस्थान ग्वालियर में स्थित है, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में संस्थान द्वारा की गई सेवाओं के सम्मान में इसे प्रोन्नत करके 1995 में "मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। यह संस्थान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन और मध्य प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन है।

उद्देश्य :

विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उच्च योग्यता प्राप्त अध्यापक और नेता तैयार करना।
- शारीरिक शिक्षा में उत्कृष्ट और नयाचार–केन्द्र के रूप में सेवा करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान आरम्भ, प्रोत्साहित तथा प्रसारित करना।
- शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य संस्थानों को व्यावसायिक और शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करना।
- इस क्षेत्र में व्यवसायिकों को व्यावसायिक मार्ग–दर्शन तथा रोजगार में सहायता प्रदान करना।
- शारीरिक शिक्षा और खेल में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- देश में शारीरिक शिक्षा और खेल के कार्यक्रमों को विकसित तथा प्रोत्साहित करना।
- शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में वैज्ञानिक समकालीन साहित्य को प्रोत्साहित और उत्पन्न करना।
- शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सामुदायिक सेवाएं प्रदान करना।

विभाग :

विश्वविद्यालय के सात कार्यात्मक विभाग हैं।

- शिक्षक शिक्षा विभाग
- अनुसंधान विकास और उच्च स्तरीय अध्ययन विभाग
- कोचिंग और स्वस्थता विभाग
- खेल प्रबधंन और खेल पत्रकारिता विभाग
- युवा कार्यक्रम और खेल विभाग

➢ स्वास्थ्य विज्ञान और योगा विभाग

➢ कम्प्यूटर विज्ञान और प्रायोगिक सांख्यिकी विभाग

संचालित पाठ्यक्रम :

विश्वविद्यालय इस समय निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है :–

➢ स्नातक शारीरिक शिक्षा (बी.पी.ए.डी.)	4 वर्षीय (एकीकृत कार्यक्रम)
➢ पदास्नातक शारीरिक शिक्षा (एम.पी.ईडी.)	2 वर्षीय
➢ शारीरिक शिक्षा में मास्टर ऑफ फिलासॉफी (एम.फिल)	1 वर्ष
➢ पीएच.डी. पूर्णकालिक और अंशकालिक	–
➢ स्पोर्ट कोचिंग में पी.जी. डिप्लोमा	1 वर्ष
➢ स्पोर्ट कोचिंग में डिप्लोमा	1 वर्ष (उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए)
➢ खेल प्रबंधन में पी.जी. डिप्लोमा	एक वर्ष
➢ खेल पत्रकारिता में पी.जी. डिप्लोमा	एक वर्ष
➢ वैकल्पिक थिरैपी के साथ योगा में पी.जी. डिप्लोमा	एक वर्ष
➢ फिटनेस प्रबंधन में पी.जी. डिप्लोमा	एक वर्ष
➢ सूचना प्रौद्योगिकी में पी.जी. डिप्लोमा	एक वर्ष
➢ संगणक सांख्यिकी में पी.जी. डिप्लोमा	2 वर्ष (दोहरी डिग्री वैकल्पिक कार्यक्रम)

उपर्युक्त पाठ्यक्रम के अलावा विभिन्न विषयों में नई अल्पावधि पत्र पाठ्यक्रम, समय समय पर चलाए जा रहे है।

शैक्षिक सत्र 2010–11 की कक्षा–वार संख्या :

क्र.सं.	कक्षा	लड़के		लड़कियां		कुल		सकल
		ग्वालियर	गुवाहाटी	ग्वालियर	गुवाहाटी	ग्वालियर	गुवाहाटी	योग
1.	बीपीएड–I	93	35	43	11	136	46	182
2.	बीपीएड–II	88	21	38	07	126	28	154
3.	बीपीएड–III	92	–	35	–	127	–	127
4.	बीपीएड–IV	84	–	37	–	121	–	121
5.	एमपीएड (प्रथम वर्ष)	40	–	18	–	58	–	58
6.	एमपीएड (अंतिम वर्ष) III सिमेस्टर	41	–	18	–	59	–	59

क्र.सं.	कक्षा	लड़के		लड़कियां		कुल		सकल
		ग्वालियर	गुवाहाटी	ग्वालियर	गुवाहाटी	ग्वालियर	गुवाहाटी	योग
7.	एम. फिल	03	–	02	–	05	–	05
8.	पीएच.डी (नियमित)	03	–	01	–	04	–	04
	पीएच.डी (अंशकालिक)	54	–	19	–	73	–	73
	कुल	498	56	211	18	709	74	783

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी :

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के 100 दिवसीय कार्यान्वयन कार्यक्रम के भाग के रूप में शैक्षिक वर्ष 2009–10 से ग्वालियर परिसर से कार्य करना शुरू किया। इस संस्थान ने इस संबंध में 14.05.2010 को असम सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया है। शैक्षिक वर्ष 2010–11 के दौरान 21 लड़को और 7 लड़कियों के दूसरे बैच को बीपीएड में प्रवेश दिया गया है और प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की कक्षाएं शैक्षिक सत्र 2010–11 के दौरान गुवाहाटी में शुरू हो गई है।

ग्रीष्मकालीन कोचिंग शिविर

संस्थान ने ग्रेटर ग्वालियर के बच्चों के लिए मई और जून, 2010 में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान विभिन्न खेलों में ग्रीष्मकालीन कोचिंग शिविर आयोजित किए। 20 खेलों/क्रीड़ाओं में लगभग 2000 बच्चों की पूर्ण भागीदारी रही।

राष्ट्रमण्डल खेल 2010 में योगदान

संस्थान ने नई दिल्ली में राष्ट्रमण्डल खेल 2010 में तकनीकी अधिकारियों/पर्यवेक्षक आदि के रूप में कार्य करने हेतु अनेक संकाय सदस्यों को नियुक्त किया।

केवीएस/सीबीएसई पाठ्यक्रम :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के परामर्श, मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

मेजर जनरल एस.एस. पवार, वीएसएम (सेवानिवृत्त) की कुलपति पद पर नियुक्ति

मेजर जनरल एस.एस. पवार, वीएसएम (सेवानिवृत्त) को 24.09.2010 से पांच वर्ष की अवधि के लिए संस्थान का कुलपति नियुक्त किया गया है।

पीवाईकेकेए संसाधन केन्द्र

संस्थान में पीवाईकेकेए संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई है जिसमें पीवाईकेकेए के कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने में सक्रिय भागीदारी की है।

अध्याय 14

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)

प्रस्तावना

खेल, सामाजिक समावेशन, लिंग समानता तथा युवा विकास में योगदान देने के अलावा लोगों की शारीरिक स्वस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में एक प्रमुख देश बनने के लिए भारत को मूल स्तर पर संघटित प्रतिस्पर्धाओं; खेल व शारीरिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने; और खेल संस्कृति का विकास करने की आवश्यकता है। इस प्रयास में भारत सरकार ने वर्ष 2008–09 में पंचायत युवा क्रीड़ा व खेल अभियान के नाम से राष्ट्रव्यापी ग्रामीण खेल कार्यक्रम शुरू किया। यह एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) है जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है।

पीवाईकेकेए के उद्देश्य

- 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 2.50 लाख ग्राम पंचायतों और 6,400 खण्ड पंचायतों (तथा देश में इसके समतुल्य यूनिटों) में खेल का बुनियादी ढ़ांचा सृजित करना जिसके तहत प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत सामान्य राज्यों तथा 20 प्रतिशत सीमावर्ती राज्यों तथा पूर्वोत्तर राज्यों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों को शामिल किया जाएगा।
- खण्ड, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संध राज्य क्षेत्रों को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता;
- राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप, अन्तर–स्कूल प्रतिस्पर्धाएं व पूर्वोत्तर खेल आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देना।
- जबकि पीवाईकेकेए स्कीम, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है, 2010–11 से कार्यान्वयन हेतु शहरी क्षेत्रों में खेल का बुनियादी ढ़ांचा सृजित करने के लिए एक नई स्कीम भी तैयार की गई है। चालू वित्त वर्ष में इस प्रयोजनार्थ 123 करोड़ रू. का बजट प्रावधान रखा गया है।

पीवाईकेकेए के उद्देश्य :

- देशभर में खेल का बुनियादी ढांचे का नेटवर्क सृजित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों की सार्वभौमिक सुगम्यता प्रदान करना व खेल संस्कृति प्रोत्साहित करना।
- खण्ड स्तर से शुरू करते हुए सुविकसित प्रतिस्पर्धा ढांचे के माध्यम से ग्रामीण युवाओं में उपलब्ध व भरपूर खेल प्रतिभा को निखारना।

वित्त पोषण की पद्धति :

बुनियादी ढांचा अनुदान : ग्राम/खण्ड पंचायतों में खेल केन्द्र बुनियादी ढांचे का विकास :

क्र.सं	घटक	ग्राम पंचायत	खण्ड पंचायत
1.	खेल के मैदानों को सममतल करने हेतु एक बारगी का पूंजीगत अनुदान (केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच 75 और 25 के अनुपात में, और विशेष श्रेणी/पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90 और 10 के अनुपात में)	1 लाख रू.	5 लाख रू.
	(शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)		
2.	खेल किटों/उपस्कर के लिए 5 वर्षों के लिए वार्षिक अधिग्रहण अनुदान	10,000/–रू.	20,000/–रू.
3.	मानदेय से क्रीड़ा श्री तक रख–रखाव के लिए पांच वर्षों के लिए वार्षिक प्रचालन अनुदान	12,000/–रू.	24,000/–रू.

वार्षिक प्रतिस्पर्धाएं (शतप्रतिशत केन्द्रीय अनुदान) : विभिन्न स्तरों पर प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान की राशि इस प्रकार हैं :

	प्रतिस्पर्धाएं	वित्त पोषण पद्धति
	पीवाईकेकेए ग्रामीण प्रतिस्पर्धाएं	
1.	खण्ड स्तरीय प्रतिस्पर्धाएं	5 खेल शाखाओं हेतु प्रति खेल शाखा 10,000/–रू. की दर से 50,000/ रू. + प्रथम तीन विजेता ग्राम पंचायतों को 45,000/– रू. की पुरस्कार राशि।
2.	जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धाएं	10 खेल शाखाओं हेतु प्रति खेल शाखा 2,00,00/–रू. की दर से 20,0000 रू. + प्रथम तीन विजेता खण्ड पंचायतों को 90,000/– रू. की पुरस्कार राशि।
3.	राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाएं	(i) 10 खेल शाखाओं के लिए प्रति खेल शाखा 1 लाख रू. की दर से राज्य के लिए 10 लाख रू. (ii) 10 खेल शाखाओं के लिए प्रति खेल शाखा 50,000/– लाख रू की दर से यूटी के लिए 5 लाख रू. नोट : कुल राशि का 20 प्रतिशत पुरस्कार देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

	प्रतिस्पर्धाएं	वित्त पोषण पद्धति
4.	राष्ट्रीय स्तरीय	मेजबान राज्य को 70 लाख रू. (20 खेल शाखाओं के लिए प्रतिखेल शाखा 3.50 लाख रू.) नोट : प्रति खेल शाखा 3.50 लाख रू. में से 50,000/– पुरस्कार देने के लिए रखा गया है।

पूर्वोत्तर खेल : ये खेल पारम्परिक व जनजातीय खेलों के प्रोत्साहन/संवर्धन के लिए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर के खेलों के वित्त पोषण मानदण्डों को 3 फरवरी, 2010 से बढ़ा दिया गया है।

	प्रतिस्पर्धाएं	वित्त पोषण पद्धति
	पूर्वोत्तर खेल	
(i)	जिला स्तरीय	50,000/–रू.
(ii)	राज्य स्तरीय	8 खेल शाखाओं हेतु प्रति खेल शाखा 75,000/–रू. की दर से 6,00,000 रू.
(iii)	राष्ट्रीय स्तरीय	55.90 लाख रू.

अन्तर स्कूल खेल प्रतिस्पर्धाएं व राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव : निम्नलिखित सवंर्धित वित्त पोषण मानदण्डों के साथ इन खेलों को पीवाईकेकेए स्कीम के तहत लाया गया है:

	प्रतिस्पर्धाएं	वित्त पोषण पद्धति
	अन्तर स्कूल खेल प्रतिस्पर्धाएं	
(i)	जिला स्तरीय	10 खेल शाखाओं हेतु प्रति खेल शाखा 10,000/–रू. की दर से 1,00,000/–
(ii)	राज्य स्तरीय	10 खेल शाखाओं हेतु प्रति खेल शाखा 30,000/–रू. की दर से 3,00,000/–
(iii)	राष्ट्रीय स्तरीय	10 खेल शाखाओं हेतु प्रति खेल शाखा 3.50 लाख रू. की दर से 35 लाख रू.+ खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूल को 1 लाख रू. नकद व रॉलिंग ट्रॉफी।
	महिला प्रतिस्पर्धाएं	
(i)	जिला स्तरीय	12 खेल शाखाओं हेतु प्रति खेल शाखा 10,000/–रू. की दर से 1.20 लाख रू.
(ii)	राज्य स्तरीय	12 खेल शाखाओं हेतु राज्य को प्रति खेल शाखा 50,000/–रू. की दर से 6 लाख रू. 12 खेल शाखाओं हेतु यूटी को प्रति खेल शाखा 25000 रू. की दर से 3 लाख रू.
(iii)	राष्ट्रीय स्तरीय	12 खेल शाखाओं हेतु प्रति खेल शाखा 3.50 लाख रू. की दर से 42 लाख रू.

प्रशासनिक ढ़ांचा

क. राष्ट्रीय स्तर :

- केन्द्रीय खेल मंत्री की अध्यक्षता में पीवाईकेकेए की सामान्य परिषद सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय है। सचिव (खेल) की अध्यक्षता में पीवाईकेकेए स्कीम की कार्यकारी समिति को पीवाईकेकेए मिशन योजना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि की विस्तृत वार्षिक कार्य योजनाओं का अनुमोदन करने का अधिकार है;

- युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव (खेल) की अध्यक्षता में मिशन निदेशालय भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) तथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम निष्पादित करता है। यूनिसेफ, मैजिक बस तथा ईशा फाउण्डेशन जैसी एजेंसियों को भी इस स्कीम के ज्ञानवान भागीदार के रूप में शामिल किया जाता है।

ख. राज्य स्तरीय

- पीवाईकेकेए के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को स्कीम के कार्यान्वयन/निगरानी के लिए खेल विभाग/खेल प्राधिकरण/परिषद में पीवाईकेकेए सेल स्थापित करना होता है। प्रत्येक राज्य को तकनीकी परामर्शदाता या उसके स्थान पर सहायक स्टाफ नियुक्त करने के लिए प्रतिमाह 30,000/–रू. दिया जाता है। (31 अगस्त, 2010 की स्थिति के अनुसार, इस प्रयोजनार्थ राज्यों को 52.74 लाख रू. की राशि जारी की गई है।

- राज्य स्तरीय कार्यकारी समितियों के अध्यक्ष, राज्यों के मुख्य सचिव होते हैं। जिला व खण्ड स्तर की कार्यकारी समितियों के अध्यक्ष, संबंधित जिला परिषदों तथा खण्ड पंचायतों के अध्यक्ष होते हैं; और

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संसद सदस्यों को जिला स्तरीय कार्यकारी समितियों के साथ जोड़ने के लिए कहा गया है।

योजना परिव्यय, बजट आबंटन तथा उपयोग :

पीवाईकेकेए स्कीम के लिए 11वीं पंच वर्षीय योजना में 1,500 करोड़ रू. के योजनागत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। गत दो वित्त वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष की 31 दिसम्बर, 2010 तक की अवधि के लिए ग्राम/खण्ड पंचायतों में खेल के बुनियादी ढ़ांचे की सुविधाएं प्रदान करने व पूर्वोत्तर खेलों सहित खण्ड, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक प्रति स्पर्धाएं आयोजित करने के लिए बजट आबंटन तथा उपयोग दर्शाने वाला विवरण नीचे तालिका में दिया गया हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट आबंटन	बजट उपयोग		
			बुनियादी ढ़ांचा घटक	प्रतिस्पर्धाएं	कुल
(i)	2008–09	92.00	83.85	8.15	92.00
(ii)	2009–10	135.00	105.00	30.00	135.00
(iii)	2010–11*	413.00	130.24*	55.09*	185.33*
	कुल	640.00	319.09*	93.24*	412.33*

* ऑकड़े दिसम्बर, 2010 तक

प्रारंभिक दो वर्षों (2008–09 तथा 2009–10) में बजट का उपयोग शतप्रतिशत रहा।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां, स्कीम के निबंधन व शर्तों को पूरा करने वाले प्रस्तावों को प्रस्तुत करने पर जारी की जाती हैं।

खेल के बुनियादी ढ़ांचे की सुविधाओं का विकास : अनुमोदित खण्ड/ग्राम पंचायतों तथा राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक जारी वित्तीय सहायता का सार नीचे तालिका में दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	वर्ष	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या (राज्य)	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित खण्ड पंचायतों की संख्या	अनुमोदित अनुमत्य अनुदान	जारी की गई राशि
(i)	2008–09	24	22,385	601	246.22	83.85@
(ii)	2009–10	9	2,225	135	28.66	105.00#
(iii)	2010–11*	16	9,510	303	112.79	181.48#
	कुल	49	34,120	1,039	387.67	370.33

@ 2008–09 में कम बजट आबंटन के कारण अनुमोदित राशि की तुलना में यह राशि कम है।
# इसमें गत वर्षों (2008–09; 2009–10) के लिए अनुमोदित अनुदान जारी करना शामिल है।
* 31 दिसम्बर, 2010 तक

खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध मे पीवाईकेकेए स्कीम, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 28 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों में अपनाई गई है। चार संघ राज्य क्षेत्रों नामतः दमन एवं दिव, दादर नागर हवेली चण्डीगढ़ व दिल्ली ने अभी तक पीवाईकेकेए स्कीम नहीं अपनाई है। अभी तक (31 दिसम्बर, 2010

तक) 413.88 करोड़ रू. की अनुदान सहायता से 36,329 ग्राम पंचायतों तथा 1153 खण्ड पंचायतों को अनुमोदित किया गया है। 31 दिसम्बर, 2010 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक 370.33 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

प्राप्त वास्तविक प्रगति (खेल बुनियादी ढ़ांचा) : अधिकांश राज्यों ने राज्य, जिला व खण्ड स्तर पर पीवाईकेकेए सेलों, कार्यकारी समितियों की स्थापना की हैं; पीवाईकेकेए कार्यान्वयन एजेंसियों को चिन्हित किया है; और पीवाईकेकेए केन्द्रों के प्रबंधन हेतु क्रीड़ाश्री सम्मानितों (समुदाय कोचों) को नियुक्त किया गया है।

वार्षिक ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धाएं : पीवाईकेकेए प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने हेतु अनुदान प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या 2009–10 में 08 से बढ़कर 2009–10 में 18 हो गई है। इन प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारों की कुल संख्या लगभग 22.50 लाख (13.75 लाख पुरूष व 8.75 लाख महिलाएं) हैं।

पीवाईकेकेए स्कीम का केन्द्र और राज्यों की अन्य स्कीमों में समामेलन : पीवाईकेकेए स्कीम के तहत इसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न केन्द्रीय व राज्य स्कीमों के साथ समामेलन प्रोत्साहित किया जाता है। इस स्कीम के तहत ग्राम/खण्ड पंचायतों के अपने संसाधनों के जरिए या राज्य सरकार योगदान, एमएलएएलएडी स्कीम, एमपीएलएडी स्कीम पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, एमजीएनआरईजीए सहायता निजी योगदान आदि से उनके द्वारा संसाधन जुटाने की दृष्टि से समामेलन के दृष्टिकोण की सिफारिश की जाती है।

इस स्कीम में विशेष रूप से इस आशय की परिकल्पना की गई है कि खेल के मैदानों को सममतल करने आदि जैसे श्रम साहय कार्यों के लिए ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) से वित्त पोषण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तदनुसार, खेल मैदानों के विकास हेतु एमजीएनआरईजीए स्कीम के तहत लाभ लेन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कहा गया है।

कुछ राज्य पहले ही खेल मैदानों को समतल करने और उनकी घेराबन्दी करने के लिए एमजीएनआरईजीए, एमएलएएलएडी, एमपीएलएडी स्कीम से निधियों के स्रोतों का उपयोग करते आ रहे है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रत्येक 100 गांवों के लिए 'लघु स्टेडियम' का निर्माण करने हेतु सहायता देने पर सहमति दी है।

पीवाईकेकेए–एमआईएस :

इसे औपचारिक रूप से नवम्बर 2009 में शुरू किया गया था। कम्प्यूटरीकृत एमआईएस के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रस्तावों पर निगरानी रखी जा सकती है और प्रस्तावों को समप्रेषण किया जा सकता है। इसमें वित्तीय और वास्तविक प्रगति की ऑनलाइन निगरानी करने (खेल के मैदानों, महिला तथा अन्तरस्कूल प्रतिस्पर्धाओं सहित पीवाईकेकेए ग्रमीण प्रतिस्पर्धाओं के सभी स्तरों पर प्रतिस्पधाओं तथा भागीदारों के संबंध में वृहत डाटा आधार तैयार करने की भी व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने डाटा डालने/प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु एनआईसी मुख्यालय दिल्ली में दो दिन के व्यवहारिक प्रशिक्षण के अलावा राज्यों के अधिकारियों को ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कार्यसाधक ज्ञान देने के उददेश्य से पीवाईकेकेए कार्यान्वयन में कार्यवृत ऐसे अधिकारियों के लिए पीवाईकेकेए–एमआईएस के संबंध में कार्याशालाएं आयोजित की। केवल केरल पीवाईकेकेए की टीम के तहत वित्तीय सहायता मांगने हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत करने वाला प्रथम राज्य है।

अन्य बातों के साथ–साथ www.pykka.gov.in वेबसाइट में खेल के क्षेत्र में नागरिकों द्वारा अपने सुझाव देकर, सफलता की अपनी गाथाओं की जानकारी देकर उनकी भागीदारी की व्यवस्था है। पीवाईकेकेए वेबसाइट की सार्वजनिक भागीदारी अब पूरी तरह चालू है।

पीवाईकेकेए संसाधन केन्द्र (पीआरसी) की स्थापना पीवाईकेकेए के कार्यान्वयन से जुड़े निम्नलिखित घटकों को प्राप्त करने के लिए नवम्बर, 2009 में एलएनयूपीई, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में की गई थी :

- क्षमता निर्माण;
- मानकीकरण;
- निगरानी एवं मूल्यांकन;
- प्रलेखन;
- अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और;
- उत्तम प्रकियाओं का आदान–प्रदान।

मास्टर प्रशिक्षकों तथा कीड़ाश्रियों का प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण

कीड़ाश्री ग्राम और खंड पंचायत स्तर पर मानद समुदाय/खेल कोच स्वंयसेवी होते हैं जो खेल सुविधाओं का प्रबंधन कार्य देखते हैं। ये कोच/स्वंयसेवी ग्रामीण समुदाय को जीवन के तरीके के रूप में खेलों और कीड़ाओं को अपनाने में प्रोत्साहित करने हेतु खेल प्रशिक्षक, प्रेरक तथा परामर्शदाता की भूमिका में कार्य करते हैं। पीवाईकेकेए स्कीम के तहत एक लक्ष्य, देश भर में 10 वर्षो के अवधि में 6000 राज्य कार्मिकों/व्यक्तियों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में तैयार करने के अलावा दो लाख समुदाय कोचों (कीड़ाश्रियों) को प्रशिक्षित करना भी है।

मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण : वृहत 'मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का मैनुअल' तैयार किया गया और इसे सभी संबंधितों को परिचालित किया गया(लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारिरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (एलएनयूपीई), ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रत्येक वित्त वर्ष में 600 राज्य कार्मिकों/व्यक्तियों के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित किया जाता है। पीवाईकेकेए स्कीम के तहत चिन्हित 20 विभिन्न खेलों और कीड़ाओं में विशेष प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई। वर्ष 2009–10 में 577 कार्मिकों के

प्रशिक्षण हेतु 32.25 लाख रू. का उपयोग किया गया। इस वर्ष 2010–11 में 600 कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु एलएनयूपीई ग्वालियर मध्य प्रदेश को 47 लाख रू. जारी किए गए है। एलएनयूपीई स्कीम में प्रशिक्षित ये राज्य कार्मिक/व्यक्ति आगे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक वर्ष में बीस हजार क्रीड़ाश्रियों को प्रशिक्षण देगें।

क्रीड़ाश्रियों का प्रशिक्षण : क्रीड़ाश्रियों के लिए मिशन निदेशालय से पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वर्ष 2009–10 में 20336 क्रीड़ाश्रियों के प्रशिक्षण हेतु 22 राज्यों को 2.92 करोड़ रू. प्रदान किए गए। दिसम्बर, 2010 तक 14614 क्रीड़ाश्रियों को प्रशिक्षित किया गया। शेष क्रीड़ाश्रियों को मार्च 2011 तक प्रशिक्षित कर दिया जाएगा।

पीवाईकेकेए के ज्ञानवान भागीदार :

यूनिसेफ, टीम के कार्यान्वयन में राज्यों के साथ सहयोजित होने के अलावा प्रशिक्षण, निगरानी तथा समर्थन के क्षेत्रों में पीवाईकेकेए संसाधन केन्द्र के साथ जुड़ा है। इसने मॉडल पीवाईकेकेए के केन्द्र स्थापित करने के लिए आघ्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट[a] तथा पश्चिम बंगाल में अग्रणी कार्य किया है।

मैजिक बस (एक पंजीकृत एनजीओ) भी महाराष्ट्र के सांग्ली जिले तथा आंध्र प्रदेश के मेढक् जिले में दो प्रायोगिक पीवाईकेकेए के केन्द्र विकसित कर रहा है। इस परियोनार्थ मैजिक बस को आठ लाख रू. की वित्तीय सहयता दी गई है।

ईसा फाउन्डेशन कोयम्बटूर, तमिलनाडु मास्टर प्रशिक्षकों तथा समुदाय कोचों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में उनके लिए योग की कक्षाएं आयोजित कर रहा है। इससे ग्रामीण युवा पीवाईकेकेए स्कीम के कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदारी करने में प्रेरित और एकजुट होगें।

निगरानी : मिशन निदेशालय के अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नियमित दौरा करते हैं तथा ग्राम और खंड पंचायतों के स्तर पर पीवाईकेकेए केन्द्रों की स्थापना तथा खेल के मैदानों के विकास की देख–रेख करते हैं। मिशन निदेशालय/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 66 क्रीड़ाश्रियों के प्रशिक्षण सहित पीवाईकेकेए की कार्यान्वयन की निगरानी हेतु इच्छुक अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं (सन्यास ले चुके खिलाड़ियों मे से) को मानद पीवाईकेकेए पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त करने की प्रकिया में है।

पीवाईकेकेए स्कीम के तहत नई पहल :

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित की अनुमति है :

- 2008–09 से उन वर्षो के लिए अनुमत्य बुनियादी ढ़ाचा अनुदान प्राप्त करना जिनके लिए अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

- राष्ट्रीय औसत जनसंख्या से अधिक औसत वाली ग्राम/खंड पंचायतों के लिए 2008–09 से 10 वर्षो के लिए समानुपात आधार पर बुनियादी ढ़ाचा अनुदान प्राप्त करना।
- ग्राम/खंड पंचायतों के लिए अनुमत्य वार्षिक प्रचालन अनुदान के प्रशासनिक व्ययों के लिए कमशः 2000 रू. और 4000 रू. का उपयोग करना(और
- बिना विधानपालिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शत–प्रतिशत अनुदान तथा केन्द्र से पूर्ण बजट सहायता प्राप्त करना।
- अब से पहले राज्य/संघ क्षेत्रों को दो किस्तों मे अनुमत्य अनुदान दिया जाता था अब आगे यह अनुदान स्कीम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए एक किस्त में दिया जाता है।
- अब से पहले खंड जिला तथा राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक अधिग्रहण, प्रचालन और प्रतिस्पर्धा अनुदान भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से जारी किए जाते थे। वर्ष 2010–11 से ये अनुदान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे मिशन निदेशालय द्वारा जारी किए जाते हैं ताकि अनावश्यक विलंम्ब न हो।
- वर्ष 2010–11 से जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी की आयु सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। खंड स्तर की प्रतिस्पर्धाएं सभी के लिए खुली होगीं और 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए अलग प्रतिस्पर्धाएं होगीं।
- पहली बार खंड और जिला स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में योग्यता प्रमाण पत्र देना शुरू किया गया। इसी प्रकार भागीदारी तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारो के लिए योग्यता प्रमाण पत्र भी देना शुरू किया गया है।
- अब से पहले 20 खेल शाखाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की पीवाईकेकेए प्रतिस्पर्धाएं चार समूहों में आयोजित की जाती थी। इस वर्ष से ये प्रतिस्पर्धाएं छह समूहों में आयोजित की जाएंगी। इससे छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भी राष्ट्रीय स्तर की पीवाईकेकेए प्रतिस्पर्धाओं की मेजबानी कर सकेगें।
- राष्ट्रीय स्तर के पूर्वोत्तर खेलों के लिए वित्त पोषण संबंधी मानदण्डों को उच्च स्तर पर मानकीकृत किया गया है (55.90 लाख रू.)।
- राज्यों को पीवाईकेकेए स्कीम की प्रभावी निगरानी हेतु जिला स्तर की पीवाईकेकेए कार्यकारी समितियों में ससंद सदस्यों को शामिल करने के लिए कहा गया।

परिकल्पित परिणाम :

- सभी ग्राम व खण्ड पंचायते (और उनकी समस्तरीय यूनिटे) खेल मैदानों को उद्दिष्ट/संरक्षित कर लेंगी;

- स्कूलों को दी गई वरीयता से शारीरिक शिक्षा और खेलों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने की दीर्घकाल से लंबित उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
- 40 लाख से अधिक युवाओं, जिनके वार्षिक ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने की आशा है, से युवा प्रतिभा का पता लगाने व उसका सम्पोषण करने के लिए बहुत बड़ा आधार मिलेगा।
- इस स्कीम में भारतीय खेल प्राधिकरण व राज्यों की प्रतिभा अभिज्ञान स्कीमों को युवा खेल प्रतिभा का पता लगाने व उसका सम्पोषण करने से जोड़ने का प्रावधान है।
- इस स्कीम से 10 वर्षों की अवधि में 2 लाख से अधिक ऐसे समुदाय खेल प्रशिक्षक तैयार करने में सहायता मिलने की आशा है जो देश में सशक्त खेल संस्कृति के संवर्धन में सहायता करेंगे।
- अन्ततः खेलों में भारी भागीदारी से युवा विकास (नेतृत्व गुण; स्वास्थ्य एवं स्वस्थता) समुदाय विकास (सामाजिक समावेशन; अपराध में कमी), राष्ट्रीय गौरव, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा खेल कार्यकलापों के क्षेत्र में आर्थिक विकास को तेज करने में उल्लेखनीय योगदान होगा।

अध्याय

15

खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन से संबंधित स्कीम

1. राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता की स्कीम :

इस योजना के तहत, भारत सरकार राष्ट्रीय खेल संघों को भारत में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने, कोचिंग शिविर आयोजित करने, खेल उपकरण प्राप्त करने, विदेशी कोचों की नियुक्ति तथा राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा लगाए गए भुगतान पाने वाले संयुक्त/सहायक सचिवों के वेतन के भुगतान के लिए सहायता उपलब्ध कराती है।

वर्ष 2010–11 के दौरान, सरकार पहले से ही विदेशों में खेल जानकारी प्राप्त करने तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों/राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन के लिए राष्ट्रीय खेल संघों से प्राप्त प्रस्तावों पर योजनागत शीर्ष के तहत 65 करोड़ रू. और योजनेतर–शीर्ष के अंतर्गत 3.00 करोड़ रू. का व्यय कर चुकी है। इस व्यय में कोचिंग के लिए जारी निधियां, उपस्कर उपलब्ध कराना राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा लगाये गए विदेशी कोचों तथा संयुक्त सचिवों/सचिवों के वेतन भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त विदेशों में खेलों की जानकारी प्राप्त करने और भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कराने के लिए सरकार को कोई लागत नहीं के आधार पर भी कई प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

पिछले 3 वर्षों अर्थात 2008–09, 2009–10 और 2010–2011 के दौरान एनएसएफ को सहायता की स्कीम तथा राष्ट्रमण्डल खेल 2010 हेतु टीमों की तैयारी की स्कीम के लिए विभिन्न मान्यता प्राप्त एनएसएफ को जारी की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे अनुबंध –XI में दिए गए हैं।

वर्ष 2009–10 के दौरान अनुबंध आधार पर नियोजित किए गए विदेशी प्रशिक्षकों के ब्यौरे अनुबंध –XII में दिए गए हैं।

2. प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण से संबंधित स्कीम :

इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिभावान खिलाड़ियों को भारत तथा विदेशों में प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सह प्रतियोगिताओं हेतु उपस्कर के क्रय, वैज्ञानिक सहायता हेतु सहायता मुहैया कराई जाती है। सहायक कार्मियों जैसे कि प्रशिक्षक, खेल वैज्ञानिकों, चिकित्सक आदि को विशेषीकृत प्रशिक्षण प्राप्त करने और संगोष्ठियों/सम्मेलनों तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने तथा अर्हक परीक्षाएं देने के लिए भी सहायता मुहैया करवाई जाती है। इस स्कीम को भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2010–11 के दौरान प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण की स्कीम के तहत 56 कोचों तथा समुदाय कोचों को 4 सप्ताह और 6 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए क्यूबा भेजा गया। जबकि भारतीय खेल प्राधिकरण और राज्य सरकारों से लिए गए एक समन्वयकर्ता सहित उच्च प्रदर्शन वाले 29 कोचों को 6

सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भेजा गया है। एक समन्वयकर्ता सहित 27 समुदाय कोचों, जिन्होंने पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) के तहत मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया है, को 4 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु भेजा गया है। 30 अन्य कोचों को प्रशिक्षण हेतु हंगरी भेजे जाने के लिए अनुमति दी गई है। लाभार्थियों की सूची अनुबंध–XIII में दी गई है।

3. राष्ट्रीय खेल विकास निधि :

देश में खेल कूद के संवर्धन के लिए निजी/निगमित क्षेत्र तथा अप्रवासी भारतीयों सहित सरकारी तथा गैर–सरकारी स्त्रोतों से संसाधनों के जुटाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1998 में राष्ट्रीय खेल निधि की स्थापना की थी। निधि के लिए अंशदानों को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से सभी अंशदानों को आयकर से शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। सर्वप्रथम सरकार ने वर्ष 1998–99 के दौरान 2.00 करोड़ रू. का प्रारभिक अंशदान किया। इसके बाद, सरकार का अंशदान अन्य स्रोतों से प्राप्त अंशदानों के बराबरी के आधार पर है। इस समय, 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार, 70.80 करोड़ रू. की संचित निधि है।

इस निधि का प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा गठित एक परिषद द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री होते हैं। निधि का दिन–प्रतिदिन का प्रबंधन का 10 सदस्यों वाली एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख सचिव, खेल विभाग होते हैं।

एनएसडीएफ से वित्तीय सहायता :

एनएसडीएफ ने असाधारण प्रतिभा वाले खिलाड़ियों, खेल संधों तथा अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

शीर्ष स्तर के खिलाड़ी जिनकी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई, खेलों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने की संभावनाएं हैं, उनका चयन एनएफडीएफ से वित्तीय सहायता हेतु किया जाता है। इस सहायता को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उनकी पदक जीतने के लिए तैयार करने हेतु भारत तथा विदेश में उनके विशेष प्रशिक्षण हेतु प्रदान किया जाता है।

खेल के संवर्धन में कार्यरत प्रतिष्ठित संगठन/संस्थान भी विशिष्ट परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि आधारभूत ढांचे का निर्माण, अद्यतन उन्नत उपकरणों की अधिप्राप्ति आदि, बशर्ते क्षेत्र/भाग की एक बड़ी जनसंख्या ऐसी परियोजनाओं से होने वाले लाभों को प्राप्त कर सकें।

अब तक राष्ट्रीय खेल विकास निधि से लाभार्थी सहायता के ब्यौरे अनुबंध –XIV में दिए गए हैं।

इसके प्रारंभ से निधि में भारत सरकार के अंशदान सहित प्राप्त अंशदानों के ब्यौरे अनुबंध–XV पर हैं।

अध्याय
16

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन से संबंधित स्कीम

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय खिलाड़ियों को खेलों में आने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करता है।

1. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए 1991–92 में यह योजना आरंभ की गई। पुरस्कार विजेताओं को एक पदक तथा 7.5 लाख रूपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। वर्ष 2010 के दौरान, 29 अगस्त, 2010 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सुश्री साइना नेहवाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया।

शुरू से अब तक इस योजना के अंतर्गत 23 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जा चुका है।

2. अर्जुन पुरस्कार

अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। पात्रता के लिए खिलाड़ी ने पिछले 3 वर्षों के दौरान लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अच्छा प्रदर्शन ही दिखाया हो बल्कि जिस वर्ष के लिए पुरस्कार की सिफारिश की जा रही हो उस वर्ष उत्कृष्ट निष्पादन और नेतृत्व के गुण, खिलाड़ी भावना और अनुशासन का प्रदर्शन भी आवश्यक है। पुरस्कृत खिलाड़ी को प्रतिमा, सम्मान का स्क्रोल, सेरिमोनियल ड्रेस और 5.00 लाख रूपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

निम्नलिखित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस अर्थात 29 अगस्त, 2009 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2010 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किये गये थे :

क्र.सं.	नाम	खेल
1.	श्री जोसिफ अब्राहिम	एथलेटिक्स
2.	श्रीमति कृष्णा पूनिया	एथलेटिक्स
3.	श्री दिनेश कुमार	मुक्केबाजी
4.	श्री परमरंजन नेगी	शतरंज
5.	सुश्री जुलन गोस्वामी	क्रिकेट (महिला)
6.	श्री दीपक कुमार मण्डल	फुटबॉल
7.	श्री संदीप सिंह	हाकी (पुरूष)
8.	सुश्री जसजीत कौर हांडा	हाकी (महिला)

क्र.सं.	नाम	खेल
9.	श्री दिनेश कुमार	कबड्डी
10.	श्री संजीव राजपूत	निशानेबाजी
11.	श्री रेहान जहाँगीर पोंचा	तैराकी
12.	श्री कपिल देव के.जे.	बालीबॉल
13.	श्री राजीव तोमर	कश्स्ती
14.	श्री राजेश चौधरी	नौकाविहार
15.	श्री जगसीर सिंह	पारालिंपिक (एथलेटिक्स)

विभिन्न खेल विधाओं से 709 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

3. खेलकूद में आजीवन उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार

खेल और क्रीड़ाओं में आजीवन उपलब्धियों हेतु ध्यान चंद पुरस्कार वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल कैरियर से निवृत्त होने के बाद भी खेलों के संवर्धन में योगदान दे रहे हैं। इस पुरस्कार में एक प्रतिमा, स्क्रॉल ऑफ ऑनर, औपचारिक पोशाक व 5 लाख रू. की राशि दी जाती है। वर्ष 2010 के पुरस्कार 29 अगस्त, 2010 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित खिलाड़ियों को दिए गए :

क्र.सं.	नाम	खेल
1.	श्री सतीश पिल्लै	एथलेटिक्स
2.	श्री कुलदीप सिंह	कुश्ती
3.	सुश्री अनिता चानू	भारोत्तोलन

इस पुरस्कार की शुरूआत से अब तक 28 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है।

4. द्रोणाचार्य पुरस्कार

1985 में शुरू किया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार उन लब्धप्रतिष्टित कोचों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, जिन्होंने खिलाड़ियों या टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने के योग्य बनाया है।

वर्ष 2010 के पुरस्कार 29 अगस्त, 2010 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित पांच कोचों को दिया गया :

क्र.सं.	नाम	खेल
1.	श्री ए.के. कुटी	एथलेटिक्स
2.	श्री सुभाष बी. अग्रवाल	बिलियर्ड व स्नूकर
3.	श्री एल. इबोंचा सिंह	मुक्केबाजी
4.	श्री अजय कुमार बंसल	हॉकी
5.	कैप्टन चांदरूप	कुश्ती

*कोचिंग में आजीवन योगदान हेतु

इस पुरस्कार की शुरूआत से अब तक 60 कोचों को यह पुरस्कार दिया गया है।

5. मौलाना अबुल कलाम आजाद (एमएकेए) ट्रॉफी

मौलाना अबुल कलाम आजाद (एमएकेए) ट्रॉफी की शुरूआत 1956–57 में की गई थी। यह ट्रॉफी अन्तर–विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में सर्वोच्च समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। यह रोलिंग ट्राफी है। विश्वविद्यालय की अपने पास रखने के लिए एमएकेए ट्रॉफी की लघु प्रतिकृति भी दी जाती है। विजेता विश्वविद्यालय को रोलिंग ट्रॉफी तथा 10 लाख रू. की राशि तथा दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को क्रमशः 5 लाख और 3 लाख रू. की राशि दी जाती है।

वर्ष 2009–10 से एमएकेए हेतु विजेता विश्वविद्यालय के चयन संबंधी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त लागू किए गए। पूर्व के बजाय वर्तमान वर्ष के फॉर्मेट को अपनाए जाने से 2010 के दौरान 2 विश्वविद्यालयों को एमएकेए ट्रॉफी प्रदान की गई। पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला को 2008–09 के लिए एमएकेए ट्रॉफी प्रदान की गई। वर्ष 2009–10 के लिए गुरू नानक देव विश्वविद्यालय को ट्रॉफी प्रदान की गई।

6. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार

खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को छोड़कर अन्य निकायों द्वारा खेल के विकास में दिए गए योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2009 से राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक एक नया पुरस्कार आरम्भ किया है जिसमें 4 श्रेणियां हैं नामतः सामुदायिक खेल विकास, उत्कृष्टता वाली खेल अकादमियों का संवर्धन, विशिष्ट खिलाड़ियों को सहायता तथा खिलाड़ियों को रोजगार।

निम्नलिखित निकायों को वर्ष 2010 हेतु राष्ट्रीय खेल दिवस अर्थात 29 अगस्त, 2010 को भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए।

क्र.सं.	श्रेणी	राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, 2010 हेतु संस्तुत निकाय
1.	सर्विस खेल कंट्रोल बोर्ड	समुदाय खेल : उभरती एवं युवा प्रतिभा की पहचान और समपोषण
2.	टाटा स्टील लिमिटेड	खेल उत्कृष्टता हेतु वित्तीय सहायता
3.	खेल एवं युवा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	उत्कृष्टता की खेल आकादमियों की स्थापना और प्रंबधन
4.	सर्विस खेल कंट्रोल बोर्ड	खिलाड़ियों का नियोजन और खेल कल्याण उपाय

7. अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में जीतनेवाले खिलाड़ियों तथा उनके कोचों के लिए विशेष पुरस्कार

यह स्कीम 1986 में, सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को अधिकतम अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन व अनुप्रेरित करने व युवा पीढ़ी को खेल को अपनी आजीविका के रूप में अपनाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, खिलाड़ियों व उनके कोचों की वर्ष में आयोजित मान्यता प्राप्त खेल स्पर्धाओं में, पदक जीतने के लिए विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक विजेताओं के लिए दिए गए नकद पुरस्कार की राशि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :–

खेल/चैम्पियनशिप का नाम	स्वर्ण पदक/ प्रथम स्थान	रजत पदक/ द्वितीय स्थान	कांस्य पदक/ तृतीय स्थान
विजेता होने पर			
(i) ओलम्पिक खेल	50 लाख रू.	3 लाख रू	2 लाख रू.
(ii) एशियाई खेल/राष्ट्रमंडल खेल	20 लाख रू.	10 लाख रू.	6 लाख रू.
(iii) विश्व चैम्पियनशिप	10 लाख रू.	54 लाख रू.	3 लाख रू.
(iv) एशियाई खेल व राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	3 लाख रू.	2 लाख रू.	1.5 लाख रू.

ऐसे कोचों को नकद पुरस्कार भी दिए जाते है जिन्होंने खेल से पहले कम से कम 240 दिन तक पदक विजेताओं को प्रशिक्षण दिया है, कोच को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि की मात्रा, उस खिलाड़ी की पुरस्कार राशि का 50 प्रतिशत होती है जिसे कोचिंग दी गई है। एक कोच के साथ एक से अधिक कोच होने की स्थिति में पुरस्कार राशि उनमें बराबर–बराबर बांट दी जाती है।

राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल में पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि को अक्तूबर, 2010 में बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया। राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 तथा एशियाई खेल, 2010 के पदक विजेताओं सहित

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं के लिए खिलाड़ियों तथा कोचों को विशेष नकद पुरस्कार हेतु जनवरी, 2010 तक वित्त वर्ष 2010–11 में 32 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई।

8. मेधावी खेल हस्तियों को पेंशन के लिए खेल निधि स्कीम

यह स्कीम वर्ष 1994 में प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम के तहत, वे खिलाड़ी जो भारतीय नागरिक हैं तथा जिन्होंने ओलंपिक खेलों, विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों तथा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीते हों तथा जिनकी आयु 30 वर्ष हो तथा सक्रिय खेल जीवन से संन्यास ले चुके हों, जीवनपर्यंत पेंशन पाने के लिए पात्र हैं।

क्र.सं.	मेधावी खिलाड़ियों की श्रेणी	पेंशन दर (रू. प्रतिमाह)
1.	ओलम्पिक खेलों में पदक विजेता	10000
2.	ओलम्पिक तथा एशियाई खेल शाखाओं में विश्व कप/ विश्व चैम्पियन शिप में स्वर्ण पदक विजेता	8000
3.	ओलम्पिक तथा एशियाई खेल शाखाओं में विश्व कप/ विश्व चैम्पियन शिप में रजत एवं कांस्य पदक विजेता	7000
4.	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	7000
5.	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों में रजत एवं कांस्य पदक विजेता	6000
6.	पारालिम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	5000
7.	पारालिम्पिक खेलों में रजत पदक विजेता	4000
8.	पारालिम्पिक खेलों में कांस्य पदक विजेता	3000

वर्तमान में, इस योजना के तहत 575 खिलाड़ी पेंशन प्राप्त कर रहें हैं।

9. राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण निधि

राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण निधि, दीनहीन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे अतीत के उत्कृष्ट खिलाड़ियों, जिन्होंने खेलों में देश का गौरव बढ़ाया है, को सहायता देने के उद्देश्य से मार्च, 1982 में गठित की गई थी। पूर्व के असाधारण खिलाड़ियों को एकमुश्त अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए जुलाई, 2009 में योजना की संवीक्षा की गई थी। पेंशन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि पहले से ही प्रतिभावान खिलाड़ियों हेतु एक पेंशन योजना मौजूद है। अब एकमुश्त अनुग्रह सहायता खिलाड़ियों अथवा उनके परिवार को चिकित्सा उपचार आदि के लिए दी जाएगी।

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विद्यमान 26 लाभार्थियों को पेंशन के संवितरण के अतिरिक्त, निधि से एकमुश्त सहायता निम्नलिखित को मुहैया करवाई गई है –

(i) शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ी, श्री प्रबीर सरकार को कृत्रिम अंग खरीदने के लिए 1.50 लाख रू.।

(ii) इस समय दीनहीन परिस्थिति में रह रहे भूतपूर्व फूटबॉल खिलाड़ी श्री एम भारतन को 1.00 लाख रू.।

(iii) इस समय दीनहीन परिस्थिति में रह रही भूतपूर्व वालीबॉल खिलाड़ी व अर्जुन पुरस्कार विजेता (1984) सुश्री सेली जॉर्ज को 2.50 लाख रू.।

(iv) इस समय दीनहीन परिस्थिति में रह रहे भूतपूर्व कुश्ती चैम्पियन श्री हीरा लाल शाव को 2 लाख रू.।

(v) इस समय दीनहीन परिस्थिति में रह रहे भूतपूर्व शतरंज खिलाड़ी श्री नसीर अली सय्यद को 1.50 लाख रू.।

(vi) पोल वॉल्ट खिलाड़ी, श्री अजीत सिंह, जिन्हें पुणे में राष्ट्रीय स्कूल खेलों के दौरान जनवरी, 2005 में गंभीर चोट आ गई थी, को 3.00 लाख रू.।

(vii) स्वर्गीय श्री के.डी. जाधव के सुपुत्र श्री रंजीत खाशबा जाधव, को 3.00 लाख रू. जिन्हें 6 जुलाई, 2010 को इन्दिरा गांधी इन्डोर स्टेडियम में कुश्ती स्टेडियम का नाम के.डी. जाधव स्टेडियम रखे जाने के अवसर पर उनके लब्धप्रतिष्ठित पिता की उपलब्धियों की प्रशंसा व सम्मान में युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री द्वारा शाल, रजत पट्टिका से सम्मानित किया गया था।

(viii) मोरावियन मिशन स्कूल, लेह की छात्रा सुश्री पदमा चोरोल द्वारा उसे 11 जुलाई, 2010 तक अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी संघ तथा फिनलैण्ड खेल संस्थान द्वारा वियरूमाकी, फिनलैण्ड में आयोजित महिला हॉकी लीडरशिप शिखिर में भाग लिए जाने के लिए 70,000 रू.।

(ix) प्रतिष्ठित पूर्व राष्ट्रीय एथलीट, श्री एस. के. पठानिया को चिकित्सा उपचार हेतु, 1 लाख रू.।

(x) स्वर्गीय श्री के. डी. मंगावे, कुश्ती खिलाड़ी, जिन्होंने 1952 हेलसिंकी ओलम्पिक्स में चौथा स्थान प्राप्त किया था, की विधवा श्रीमती सुनंदा के मंगावे को 2.00 लाख रू.।

(xi) फूटबॉल मैचों के आयोजन हेतु डूरन्ड फूटबॉल टूर्नामेन्ट सोसायटी को 20 लाख रू.।

(xii) अस्थि विकलांग हाथ कुश्ती खिलाड़ी श्री जोबी मैथ्यू को 2.00 लाख रू.।

अध्याय

17

प्रतिभागी खेलों से संबंधित स्कीम

(I) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के तहत खेल प्रतिस्पर्धाएं

पीवाईकेकेए स्कीम के तहत प्रत्येक वर्ष अनेक खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं। पीवाईकेकेए स्कीम के तहत निम्नलिखित किस्म की खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं:

(i) खण्ड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धाएं

(ii) जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अंतरस्कूल खेल प्रतिस्पर्धाएं

(iii) जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वोत्तर खेल

(iv) जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिला चैम्पियनशिप

इन खेल प्रतियोगिताओं के बारे में ब्यौरे पीवाईकेकेए से संबंधित अध्याय में दिए गए हैं।

(II) विकलांग व्यक्तियों के मध्य खेलों का संवर्धन

मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के मध्य खेलों के संवर्धन हेतु वर्ष 2009 में एक योजना तैयार की थी। उक्त योजना का उद्देश्य विकलांगों के मध्य भागीदारी खेलों का व्यापक आधार तैयार करना है। विकलांगों हेतु खेलकूद की योजना में निम्नलिखित घटक हैं –

(i) खेलों के प्रशिक्षण और स्कूलों हेतु उपभोज्य तथा गैर–उपभोज्य खेल उपकरणों के क्रय हेतु अनुदान।

(ii) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अनुदान।

(iii) विकलांगों के लिए जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अनुदान।

2010–11 के दौरान 31.12.2010 तक 56 स्कूलों/संस्थानों को अनुदान दिया गया।

अध्याय

18

डोप–रोधी उपाय

उद्देश्य

डोप–रोधी कार्यक्रम, खेल के संबंध में 'आन्तरिक मूल्य' के परिरक्षण का उपाय है, जिसे अक्सर ''खेलों की भावना'' कहा जाता है। डोपिंग मूलतः खेलों की भावना के विपरीत है। भारत सरकार देश में डोपिंग मुक्त खेल परिवेश के उद्देश्य के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को अपनी अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय डोप–रोधी एजेंसी (नाडा)

1. नाडा देश में खेलों के सभी रूपों में इनके संवर्धन, समन्वय तथा डोप नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है। नाडा की डोप रोधी नियमावली, जो विश्व डोप रोधी एजेंसी (वाडा) के डोप रोधी संहिता का अनुपालक है, जो जनवरी, 2009 को प्रवृत्त हुई, में 2009 की संशोधित वाडा संहिता के आलोक में आशोधन किया गया है तथा नाडा द्वारा वाडी की अंतर्राष्ट्रीय मानकों की आशोधित विरोधी सूची भी स्वीकार कर ली गई है तथा संशोधित सूची 1 जनवरी, 2010 से प्रभावी हो गई।

2. एनएडीए के डोप रोधी नियमों के तहत यथा अपेक्षित विभिन्न पैनलों/समितियों अर्थात 2009 में गठित डोप रोधी अनुशासनिक पैनल, डोप रोधी अपील पैनल तथा चिकित्सा उपचार प्रयोग छूट समिति (टीयूईसी) ने पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है। डोप रोधी अनुशासनात्मक पैनल को कुल 160 मामले संदर्भित किए गए हैं और व्यापक सुनवाई के पश्चात पैनल द्वारा 100 मामलों में दण्ड के आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा शेष मामलों में सुनवाई प्रगति पर है। 3 मामलें अपील पैनल में प्राप्त हुए हैं और उस पर सुनवाई जल्द ही होगी। चिकित्सीय उपयोग छूट समिति ने अभी 18 मामलों में छूट प्रमाण पत्र जारी किए हैं।

3. नाडा ने एथलीटों के नमूना संग्रहण प्रक्रिया तथा सूचना के व्यापक प्रसार में एक प्रमुख कदम उठाया है। वर्ष के दौरान नाडा ने विभिन्न स्थानों पर अपने अधिकारियों को तैनात करके प्रगियोगिता में तथा प्रतियोगिता से बाहर लगभग 2800 नमूनों को एकत्र किया है। डोपिंग के बुरे प्रभाव तथा प्रतिबंधित पदार्थों की प्रकृति और साथ ही नाडा डोपिंग रोधी नियमों के आलोक में डोपिंग रोधी उल्लंघनों हेतु अंतर्ग्रस्त प्रभावों के संबंध में एथिलीटों तथा प्रशिक्षकों के शिक्षण कार्यक्रमों को शिविरों में चलाया गया है।

4. अगस्त, 2010 में वाडा प्रतिनिधि मंडल ने दो दिन के लिए नाडा का दौरा किया था और वाडा संहिता के क्रियान्वयन तथा खेलों में डोपिंग को समाप्त करने में नाडा द्वारा की गई प्रगति के संबंध में परस्पर उपयोगी विचार–विमर्श आयोजित किए गए।

5. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा नाडा ने 25–25 मई 2010 को नई दिल्ली में खेलों में डोप रोधी उपाय पर 7वीं एशियाई/समुद्री क्षेत्र अन्तर–सरकारी बैठक का सफलतापूर्वक आयोजित की है जिसमें 25 देशों के 58 प्रतिनिधिमण्डलों ने भाग लिया।

6. नाडा के महानिदेशक ने अक्तूबर, 2009 में यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में आयोजित खेलों में डोपिंग के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय समझौते में शामिल होने वाले देशों के सम्मेलन में भाग लिया। भारत को एशिया प्रशान्त क्षेत्र से खेलों में डोपिंग को समाप्त करने हेतु निधि के अंतर्गत अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाओं हेतु ''अनुमोदन समिति'' के एक सदस्य के रूप में चुना गया। इस सम्मेलन में समझौते में यथा विहित डोपिंग रोधी संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में भारत की प्रगति की इस बैठक में समीक्षा की गई और इसे अत्यधिक संतोषजनक का दर्जा दिया गया था।

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल)

एनडीटीएल, डोप नमूना जांच करने और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) तथा वाडा प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के साथ निकट संबंध बनाते हुए आधुनिक अनुसंधान करने के लिए जिम्मेदार है। वाडा का सदस्य होने के नाते, वार्षिक अंशदान का भुगतान भी किया जाता है। भारत ने खेल में डोपिंग के विरूद्ध यूनेस्को समझौते का समर्थन किया है।

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को अक्टूबर, 2006 से परिवीक्षा चरण में होने के पश्चात 21 सितम्बर, 2008 को वाडा की मान्यता प्राप्त हुई। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला 8 अक्तूबर, 2008 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी हो गई है। वाडा प्रत्येक वर्ष किसी प्रयोगशाला का प्रत्यायन किसी विशिष्ट प्रयोगशाला द्वारा पास किए गए दक्षता परीक्षण (पीटी) के आधार पर करती है। वर्ष 2009 हेतु एनडीटीएल ने सफलतापूर्वक वाडा के पीटी दौर में भाग लिया था और एनडीटीएल के कार्य निष्पादन को वाडा द्वारा सराहा गया था।

2010 के दौरान उपलब्धियां

2010 का वर्ष बेहत्तर सुविधाओं, नए स्टाफ की भर्ती व उनके प्रशिक्षण, जांच के नए तरीकों, भारत व अन्य देशों में नमूना जांच में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व अनुसंधान कार्यकलापों की दृष्टि से एनडीटीएल में विभिन्न सुधारों का वर्ष रहा।

प्रयोगशाला को मई, 2009 में नए परिसर में शिफ्ट किया गया जिसमें पूर्व के केवल 900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की तुलना में 2700 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्टेट आफ द आर्ट सुविधा है। वर्ष 2009–10 तथा वर्ष 2010–11 का वित्तीय प्रावधान क्रमशः 14 करोड़ रू. और 12 करोड़ रू. था।

समुचित वित्तीय परिव्यय से, प्रयोगशाला समयबद्ध तरीके से सभी अनिवार्य उपस्कर खरीद सकी और यह नए जांच के नए तरीकों के संबंध में वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देती है। सभी संस्थानों की व्यवस्था से एनडीटीएल वर्ष 2010 में मूत्र व रक्त इरिथ्रोप्रोईटिन सीईआरए, मानव विकास हार्मोन, रक्त पैरामीटर व रक्त आधान (ट्रांसफ्यूज्न) तथा हिमोग्लोबिन आधारित ऑक्सिजन कैरियर्स/एनबीओसीएस) में 6 नई जांच पद्धतियां स्थापित कर सका। नई जांच पद्धतियों से भारत, प्रत्यायित 10 वाडा प्रयोगशालाओं में एक है जो वाडा द्वारा वांछित सभी जांच प्रोटोकॉल कर रही है।

एनडीटीएल को खुली निविदा के जरिए 14–26 अगस्त, 2010 तक सिंगापुर में आयोजित प्रथम युवा ओलम्पिक खेलों तथा 3–14 अक्तूबर, 2010 तक नई दिल्ली में आयोजित 19वें राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए डोप जांच प्रयोगशाला चुना गया। युवा ओलम्पिक खेलों के दौरान, एनडीटीएल ने लगभग 1162 मूत्र व 125 रक्त नमूनों की जांच की। राष्ट्रमण्डल खेलों के दौरान, 1479 मूत्र व 186 रक्त नमूनों का विश्लेषण किया गया और 24 घण्टे के भीतर रिपोर्ट भेजी गई। प्रयोगशाला पूरे खेलों के दौरान खुली रही और दिन–रात नमूनों का प्राप्त कर उनकी जांच की गई। मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण के लिए एनडीटीएल में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, यू.के. जापान तथा ऑस्ट्रिया जैसे विभिन्न देशों से 18 विदेशी विशेषज्ञ थे।

जांचे गए नमूनों की संख्या 2008 में 1805 तथा 2009 में 2432 से बढ़कर 2010 में 7175 हो गई है। वर्ष 2010 के लिए निर्धारित 5000 नमूनों की जांच के लक्ष्य को पार करते हुए 7175 नमूने जांचे गए। 2010 में किए गए नमूनों की जांच में वृद्धि से, एनडीटीएल ने एक वर्ष में की गई नमूनों जांचों की संख्या की दृष्टि से फिर से प्रथम 10 प्रयोगशालाओं में स्थान प्राप्त कर लिया है। नेमी नमूना जांच के अलावा, एनडीटीएल विभिन्न प्रवीणता जांच दौरों में भाग लेती है जिससे डोप नमूनों की जांच में इसकी विश्वसनीयता और अधिक सुनिश्चित होती है। वाडा ने वर्ष 2009 के लिए प्रवीणता जांच दौरों में एनडीटीएल के निष्पादन के लिए इसे प्रशंसा पत्र दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय जांच निम्नलिखित से की गई हैं :

- सिंगापुर युवा खेल, 14–24 अगस्त, 2010 (1162 मूत्र नमूने व 125 रक्त नमूने)
- राष्ट्रमण्डल खेल 3–14 अक्तूबर, 2010 (1475 मूत्र नमूने व 186 रक्त नमूने)
- वर्ष 2010 में अन्य देशों (मलेशिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, लाओस, आईटीडीएम, स्वीडन, सिंगापुर, कुवैत, ओमान, साउदी अरब) से लगभग 1200 नमूनों की जांच
- 6–16 दिसम्बर, 2010 तक दूसरे एशियाई बीच खेल (मस्कट) के लिए 267 नमूनों की जांच (48 घण्टों की रिपोर्टिंग)
- एनडीटीएल ने अंतर्राष्ट्रीय जांच से लगभग 2.4 करोड़ रू. अर्जित किए हैं।

द्विपक्षीय सहयोग : एनडीटीएल ने विश्व में दो सर्वोच्च प्रयोगशालाओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग किया है जिनके नाम हैं : नशीली दवा नियन्त्रण केन्द्र, किंग्स कॉलेज लंदन तथा डोपिंग रोधी प्रयोगशाला, रोम। वर्ष 2010–11 के दौरान कोलोन; जर्मनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग करने का प्रस्ताव है।

प्रयोगशाला ने वर्ष 2010 के दौरान विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में अपने नेटवर्क का विस्तार किया है। इसने 2010 में कोलोन कार्यशाला में पांच अनुसंधान पेपर भेजने का प्रस्ताव किया है। इस समय एनडीटीएल के पांच अनुसंधानकर्ता पी.एचडी में अपना अनुसंधान कर रहे हैं।

भावी योजनाएं :

नमूनों की संख्या, नई जांच विधियों तथा अनुसंधान कार्यकलापों के विस्तार के संबंध में वर्ष 2010 के दौरान प्राप्त उच्च स्तर को बनाए रखने के अलावा, एनडीटीएल का सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के लिए होर्स डोपिंग सुविधा एवं पूरक जांच प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है।

अध्याय
19

राष्ट्रमण्डल खेल 2010

राष्ट्रमण्डल खेल 2010 (सीडब्ल्यू जी) का भव्य एवं बहु खेल शाखा आयोजन का 3 से 14 अक्तूबर, 2010 तक दिल्ली में सफलतापूर्वक समापन हुआ। ये खेल 17 खेल स्पर्धाओं में आयोजित किए गए और इनमें 71 देशों के 7572 एथलिटों/कोचों अधिकारियों ने भाग लिया। उद्घाटन व समापन समारोह, सीडब्ल्यू जी के मुख्य स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किए गए। खेलों व उनकी स्पर्धाओं के स्थलों, जिन्हें विशेष रूप से राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए तैयार/नवीकृत किया गया था, का ब्यौरा अनुबंध–XVI में दिया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को आबंटित कुल बजट 6581.88 करोड़ रू. था जिसमें 2934.21 करोड़ रू. खेल बुनियादी ढांचे; 678.00 करोड़ रू. टीमों की तैयारी; 2501 करोड़ रू. आयोजन समिति राष्ट्रमण्डल खेल के लिए था। इसमें से 1814.00 करोड़ रू. ऋण था जिसमें 182. 00 करोड़ रू. दूरसंचार बुनियादी ढ़ांचे और 200.00 करोड़ रू. स्टेडियमों तथा स्थलों की निगरानी व सुरक्षा के लिए था।

राष्ट्रमण्डल खेलों में भारतीय दल का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा जिसमें रिकार्ड संख्या में पदक जीते गए जो मेल्बोर्न, 2006 राष्ट्रमण्डल खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदकों से दो गुना से अधिक हैं। भारत पदक तालिका में कुल 101 पदक जीतकर इंग्लैण्ड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे प्रमुख खेल राष्ट्रों से आगे दूसरे स्थान पर रहा। यह संख्या किसी भी प्रमुख बहु विध खेल आयोजन में भारत की अभी तक की सबसे अधिक पदक संख्या है। राष्ट्रमण्डल खेल 2010 में भारत द्वारी जीते गए पदकों का खेल वार ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	खेल शाखा	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1.	तीरंदाजी	03	01	04	08
2.	एथलेटिक्स	02	03	07	12
3.	बैडमिन्टन	02	01	01	04
4.	मुक्केबाजी	03	–	04	07
5.	जिमनास्टिक्स		01	01	02
6.	हॉकी (महिला)	–	01	–	01
7.	शूटिंग	14	11	05	30
8.	टेबल टेनिस	01	01	03	05
9.	टेनिस	01	01	02	04
10.	भारोत्तोलन	02	02	04	08

क्र.सं.	खेल शाखा	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
11.	कुश्ती	10	05	04	19
12.	पारालिम्पिक–जल क्रीडाएं	–	–	01	01
	कुल	38	27	36	101

इन परिणामों से देश में हर्षोल्लास का वातावरण बन गया है और निःसन्देह इससे भविष्य में और अधिक सफलता के लिए लोगों की आशाएं बढ़ी हैं। इसी तरह के प्रदर्शन हॉल में चीन के गुआंगझू में आयोजित एशियाई खेलों में भी किया गया जिसमें भारत ने कुल 64 पदक जीत कर किसी भी एशियाई खेल में अब तक के सबसे अधिक पदक जीते। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा ऐसा अनायास बेहतर प्रदर्शन 'राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए भारतीय टीमों की तैयारी की स्कीम' के तहत गत ढाई दो वर्ष 6 माह में उन्हें दिए गए गहन प्रशिक्षण का परिणाम है। इस स्कीम की बहु विध खेल आयोजनों में उत्कृष्टता हासिल करने के उद्देश्य से परिकल्पना की गई है और उसे तैयार किया गया है। इस स्कीम का स्वरूप राष्ट्रीय खेल संघों तथा खेलों के क्षेत्र में अन्य स्टेक होल्डरों के साथ गहन परामर्श करके तैयार किया गया है। पूर्व में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पाई गई कमियों को चिन्हित किया गया है तथा उन्हें नई स्कीम में उनका उपयुक्त समाधान किया गया है।

अध्याय
20

खेल और शारीरिक शिक्षा टीमों/विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय आदान–प्रदान

विदेशों में खेल की जानकारी और विदेशों में कोचिंग/प्रशिक्षण और विदेशी कोचों/विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भारतीय टीमों/विशेषज्ञों को अत्यन्त आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्व दिया गया है।

वर्ष के दौरान, इण्डोनेशिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सभापति श्री हेरी अखमादी की अध्यक्षता में इण्डोनेशियाई शिष्टमण्डल ने 16 जुलाई, 2010 को भारत का दौरा किया। बैठक के दौरान, दोनों देशों के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्रों के अलावा खेल संबंधी कार्य योजनाओं के प्रस्तावों पर विचार–विमर्श किया गया। शिष्टमण्डल ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला का भी दौरा किया। श्री एण्डी मल्लार्गेंग, युवा एवं खेल कार्यक्रम मंत्री, इण्डोनेशिया की अध्यक्षता में द्वितीय इण्डोनेशिया शिष्टमण्डल ने जनवरी, 2011 में भारत का दौरा किया और युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) के साथ खेलों के क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया।

श्री प्रवीर कृष्ण, विशेष अधिकारी, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा श्री मनमीत सिंह गोइंदी, उपनिदेशक, एसएआई के दो सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने आगामी लन्दन ओलम्पिक्स, 2012 हेतु विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय भारतीय टीमों के प्रशिक्षण संबंधी खेल सुविधाओं का मूल्यांकन करने तथा शारीरिक प्रशिक्षण व खेलों के क्षेत्र में सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य योजना पर हस्ताक्षर करने के लिए 7–10 फरवरी, 2011 तक बेलारूस का दौरा किया।

क्यूबा के साथ द्विपक्षीय सहयोग के तहत, 4 सप्ताह तथा 6 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 56 कोचों व समुदाय कोचों को क्यबा भेजा गया। भारतीय खेल प्राधिकरण व राज्य सरकारों से लिए गए एक समन्वयकर्ता सहित उच्च प्रदर्शन करने वाले 29 कोचों को 6 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भेजा गया, एक समन्वयक सहित 27 समुदाय कोचों, जिन्होंने पंचायत युवा क्रीड़ा वे खेल अभियान (पीवाईकेकेए) के तहत मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लिया है, को 4 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भेजा गया।

अध्याय
21

भारतीय राष्ट्रीय प्लेइंग फील्ड एसोसिएशन

भारतीय राष्ट्रीय प्लेइंग फील्ड एसोसिएशन की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसायटी के रूप में फरवरी, 2009 में की गई थी। देश में खुले स्थानों तथा खेल के मैदानों की कमी तथा मौजूदा कुछ मैदानों को बचाने के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करना आवश्यक समझा गया है। तदनुसार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने एनपीएफएआई स्थापित करने की पहल की।

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री एनपीएफएआई के अध्यक्ष होते है जिसमें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे एफ. एस. नारीमन, श्री बिशन सिंह बेदी, श्रीमती पी.टी. उषा, श्रीमती इंदु पुरी और कमांडर नंदीसिंह तथा अन्य व्यक्ति सोसायटी के प्रवर्तक सदस्य हैं। एनपीएफएआई को औपचारिक रूप से 26.02.2009 को शुरू किया गया।

एनपीएफएआई के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- खेलों और क्रीड़ाओं के लिए खेल के मैदानों तथा खुले स्थलों और अन्य सुविधाओं का संरक्षण, परिरक्षण, संवर्धन, विकास तथा उन्नयन करना।
- खेल के मैदानों, प्लेग्राउंडों, खेल पीचों, पार्कों तथा खुले स्थलों के संबंध राष्ट्रीय नीति तैयार करना।

एन.पी.एफ.आई का मुख्य फोकस मौजूदा खेल के मैदानों की सुरक्षा और संरक्षण करना तथा खेल के मैदान और खुले स्थानों को उपलब्ध कराने के लिए मानदण्ड और मानक प्रक्रिया विकसित करने के अलावा नए मैदानों का सवंर्धन करना है।

एन.पी.एफ.आई ने जुलाई, 2009 में राष्ट्रीय खेल विकास निधि से प्रारंभिक धनराशि के रूप में 5 लाख रू प्राप्त किए।

हालांकि एन.पी.एफ.ए.आई शीर्ष निकाय होगा, सभी राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर ऐसी ही सोसायटियां गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो राष्ट्रीय सोसायटी के साथ संबद्ध होंगी। इस पहल से सामाजिक लाभ की राष्ट्रीय जागरूकता का निर्माण होने की सम्भावना है जो जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक समावेशन के सम्बंध में खेल के मैदानों और खुले स्थानों से आती है।

एनपीएफएआई की अवधारणा व इसके उद्देश्य अगस्त, 2009 से राज्य खेल मंत्रालयों के सम्मेलन के दौरान सभी राज्य सरकारों को प्रस्तुत किए गए और इन पर सितम्बर, 2010 में खेल मंत्रियों के सम्मेलन में फिर से विचार–विमर्श किया गया जिसमें सभी राज्य खेल मंत्रियों ने यह आश्वासन दिया कि प्राथमिकता आधार पर समान प्लेइंग फील्ड एसोसिएशन गठित की जाएगी। सभी राज्य सरकारों से पहले ही ऐसे

निकाय गठित करने का अनुरोध किया गया है। अभी तक दो राज्यों नामतः हिमाचल प्रदेश व पश्चिम बंगाल ने राज्य स्तरीय एसोसिएशन गठित की है। नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने भी प्लेफील्ड एसोसिएशन गठित की है।

एन.पी.एफ.ए.आई. ने 18 अगस्त, 2009 को यू.के. की नेशनल प्लेइंग फील्ड एसोसिएशन (इसका प्रचालनशील नाम 'फील्ड्स इन ट्रस्ट' है) के साथ एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया था। एम.ओ.यू. का उद्देश्य नीतिगत भागीदारी स्थापित करना है जिसमें सहयोगपूर्ण प्रबंध और पक्षों के बीच सहयोग शामिल है।

एम.ओ.यू. सम्पन्न होने के पश्चात् फील्ड इन ट्रस्ट (एफ.आई.टी.) के प्रमुख कार्यपालक की अगुवाई में दो सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सितम्बर, 2009 में दिल्ली का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य, सम्पूर्ण दिल्ली में विभिन्न खेल मैदानों का स्थल दौरा करना था ताकि स्थल मूल्यांकन किया जा सके और मॉडल खेल के मैदान के रूप में विकसित करने के लिए 2–3 स्थलों की पहचान की जा सके। टीम ने डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, सिविल सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय विद्यालय जैसी विभिन्न एजेन्सियों द्वारा अनुरक्षित शहर के कुछ खेल के मैदानों तथा परिसरों का दौरा किया। संबंधित क्षेत्र, स्थान की आवश्यकता/मैदान की सुलभधता, स्थल आकृति, धारणीयता आदि जैसे कारको के आधार पर प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में कुछ स्थलों की लघु सूची तैयार की ।

इसके बाद स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से प्रायोगिक परियोजना के रूप में कुछेक मैदानों को मॉडल खेल के मैदानों में विकसित करने के लिए चिन्हित किया। इन मैदानों में से एनडीएमसी ने पहले ही 4 स्थलों को मॉडल खेल मैदान के रूप में विकसित किया हैं।

इसके अलावा, एनपीएफएआई ने न्यनतम सुविधाएं प्रदान करके विभिन्न आकार के मूल खेल मैदान माडल विकसित किए है जिनमें समतल मैदान, झूलों/स्लाइडों आदि के साथ बाल खेल क्षेत्र, एक या दो खेल शाखाओं के लिए खेलकूद सुविधा, शौचालय सुविधा आदि शामिल है। खेल के मैदान विकसित करने संबंधी सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिन्हें राज्य सरकारों तथा अन्य स्टेक होल्डरों को परिचालित किया जाएगा। राज्यों से स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त आशोधनों सहित एनपीएफएआई मार्गदर्शी सिद्धांत अपनाए जाने की आशा है।

खेल के मैदानों/सुविधाओं को केंद्र सरकार की सहायता से राष्ट्र मंडल विरासत योजना के तहत दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों, 13 कॉलेजों तथा 5 स्कूलों के लिए 2 कल्याण संगठनों में विकसित किया गया है। सृजित सुविधाओं में बॉस्केट बॉल, टेबल टेनिस, शूटिंग रेंज के लिए कृत्रिम कोर्टो, व्यायाम केंद्र आदि का निर्माण शामिल है।

एनडीएमसी ने अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न आकार के स्थलों को खेल के मैदानों में विकसित करने हेतु ऐसे 78 स्थलों की पहचान करके एक परियोजना तैयार की है। इसे शीघ्र ही कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

एनपीएफएआई ने (http://www.playfields.nic.in) वेबसाइट विकसित की है।

अध्याय

22

हाल की पहल/उपलब्धियां—एक नजर में

शहरी खेल बुनियादी ढांचे के सृजन हेतु सहायता की स्कीम

सरकार ने समूची 'खेल पारिस्थितिक–प्रणाली' अथार्त खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, कोचिंग और बुनियादी ढांचे पर संपूर्ण रूप से ध्यान देने के उद्देश्य से 2010–11 में प्रायोगिक आधार पर 'शहरी खेल बुनियादी ढांचे के सृजन हेतु सहायता की स्कीम' नामक एक नई केंद्रीय स्कीम शुरू करने का अनुमोदन किया है। इस स्कीम में प्लेफील्ड ऐसोसिएशन द्वारा खेल मैदानों के विकास, केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से कोच विकास कार्यक्रम, खिलाड़ियों की अकादमियां जिनमें एसएआई केंद्र प्रत्येक राज्य में प्रमुख खेलों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु ऐसी अकादमियों के लिए हब और स्पोक मॉडल का केंद्र प्रदान करेंगे, की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम में समुदाय खेल मैदानों को प्रोत्साहित करने, सहायता करने तथा परिरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तंत्र का संवर्धन और समर्थन करने, महत्वपूर्ण अन्तरालों को भरकर सभी स्तरों पर राज्य में पहले से उपलब्ध बुनियादी ढांचे के उपयोग को बढ़ावा देने, आवश्यकता आधारित बुनियादी ढांचे का सृजन करने तथा समुदाय कोचों सहित कोचों में क्षमता निर्माण सृजित करने पर केंद्रित बल होगा। इस स्कीम के तहत राज्य सरकारें, स्थानीय नागरिक निकाय, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा खेल नियंत्रण बोर्ड सहायता के पात्र होंगे।

राष्ट्रमण्डल खेल 2010 का सफल आयोजन

राष्ट्रमण्डल खेल प्रत्येक 4 वर्ष में होने वाला भव्य खेल आयोजन है जिसमें 71 देश और भूक्षेत्र भाग लेते है। 19वें राष्ट्रमण्डल खेल 3–14 अक्तूबर, 2010 तक दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। खेलों और अन्य स्थलों को विश्व में सबसे उत्तम स्थल माना गया है। इन खेलों के उद्घाटन और समापन समारोहों को पूरे विश्व में बहुत आर्कषक माना गया। खिलाड़ी और अतिथि चिरस्थयी और मधुर यादें लेकर लौटे। भारी संख्या में पदक जीतकर भारत विश्व में महत्वपूर्ण खेल राष्ट्र के रूप में उभरा है जिसे सभी ने स्वीकार किया है। महिला एथलिटों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया और भारतीय एथलिटों ने जिमनास्टिक्स, एथलेटिक्स, तैराकी आदि जैसे उन खेलों में पदक जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जिनमें अब से पहले भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब होता था। इन खेलों से खेलों की चिरस्थायी विरासत मिली है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह रही कि अन्य खेल बुनियादी ढ़ांचे से देश में खेल संस्कृति सुदृढ़ हुई है।

बहुविधा अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारतीय एथलिटों का सराहनीय प्रदर्शन

राष्ट्रमण्डल खेल 2010 : मंत्रालय ने राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के लिए भारतीय दल को तैयार करने के लिए विशिष्ट खिलाड़ियों हेतु व्यापक और अभूतपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। देश और विदेश, दोनों में भारतीय खिलाड़ियों को वृहत और गहन प्रशिक्षण तथा अनुभव प्रदान करने के लिए 678 लाख रूपये

के परिव्यय से राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के लिए भारतीय एथलिटों की तैयारी की स्कीम बनाई गई थी। इस कवायद में 170 भारतीय और 30 विदेशी कोचों, 78 सहायक तकनीकी कार्मिकों को शामिल किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण संभावितों को धीरे–धीरे छांटा गया की उत्कृष्ट सभवितों को राष्ट्रमण्डल खेल 2010 तक और ओर आगे प्रशिक्षण दिया गया है। इससे किसी भी प्रमुख, बहुविधा खेल स्पर्धा में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ जिसमें 38 स्वर्ण, 27 रजत तथा 36 कास्य पदकों के साथ कुल 101 पदक जीते गए जिनकी संख्या भारत द्वारा राष्ट्रमण्डल खेल, मेल्बोर्न 2006 में जीते गए पदकों से दोगुना थी। इस उपलब्धि से भारत पदक तालिका में आस्टेलिया के बाद दूसरे स्थान पर तथा इंगलैण्ड, कनाडा, दक्षिण अफीका आदि जैसे प्रमुख खेल देशों से आगे रहा।

एशियाई खेल 2010 : गुआंगझू (चीन) में 12 से 27 नवम्बर, 2010 तक आयोजित 16वें एशियाई खेल 2010 में भी भारतीय खिलाड़ियों ने सराहनीय प्रदर्शन किया और रिकार्ड संख्या में पदक जीते। भारत पदक तालिका में छठे स्थान पर रहा जो एशियाई खेलों की शुरूआत से अब तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने 14 स्वर्ण, 17 रजत व 33 कांस्य पदकों के साथ 64 पदक जीते।

दक्षिण एशियाई खेल, 2010 : ढाका में 29 जनवरी से 9 फरवरी, 2010 तक आयोजित 11वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत 174 पदक (90 स्वर्ण, 55 रजत व 29 कांस्य) जीत कर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।

युवा भारतीय खिलाड़ियों ने अपने इन उत्कृष्ट प्रदर्शनों से भारत का गौरव बढ़ाया है। आशा है कि ये खिलाड़ी लंदन ओलम्पिक्स में भी ऐसा प्रदर्शन करेंगे और देश की शान और ऊँची करेंगे।

2010 के राष्ट्रमण्डल खेलों व एशियाई खेलों में पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार की राशि बढ़ानाः 2010 के राष्ट्रमण्डल खेलों व एशियाई खेलों में रिकार्ड संख्या में पदक जीत कर देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने व उनका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने पुरस्कार की राशि को बढ़ाया है जो अब स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 10 लाख रू. से बढ़कर 20 लाख रू., रजत पदक विजेताओं के लिए 5 लाख रू. बढ़कर 10 लाख रू. तथा कांस्य पदक विजेताओं के लिए 3 लाख रू. बढ़कर 6 लाख रू. हो गई है। राष्ट्रमण्डल खेल 2010 व एशियाई खेल 2010 के पदक विजेताओं को 27 करोड़ रू. की राशि वितरित की गई।

भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) व मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) के पदधारियों के कार्यकाल की अवधि : आईओए तथा एनएसएफ के कार्यकरण में व्यवसायिकता व पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने भारतीय ओलम्पिक संघ व मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों के चुने गए पदधारियों के संबंध में कार्यकालों की अवधि विनियमित करने के संबंध में 1 मई, 2010 को अनुदेश जारी किए। सरकार द्वारा अध्यक्ष, सचिव, व कोषाध्यक्ष के लगातार चार–चार वर्ष के कार्यकाल को अधिकतम दो तक सीमित करने के संबंध में सितम्बर, 1975 में जारी अनुदेशों को 11.10.2001 24.08.2002 तथा 31.10.2002 को जारी कार्यकारी अनुदेशों के जरिए आस्थगित रख दिया गया। भारतीय हाकी संघ बनाम भारत

सरकार के मामले में दिनांक 2.3.2009 के निर्णय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका व कार्यकाल सीमा के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटी को ध्यान में रखते हुए, खेल विभाग ने 1 मई, 2010 को अनुदेश जारी किए जिनमें कुछ आशोधनों के साथ कार्यकाल खण्ड को पुनः स्थापित कर दिया। इन आशोधित अनुदेशों में निम्नलिखित का प्रावधान हैं :

(i) आईओए सहित किसी भी मान्यताप्राप्त एनएसएफ का अध्यक्ष किसी अन्तराल या बिना किसी अन्तराल के साथ अधिकतम 12 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है।

(ii) आईओए सहित किसी भी एनएसएफ का सचिव व कोषाध्यक्ष चार–चार वर्ष के लगातार अधिकतम दो कार्यकाल तक पद धारण कर सकता है जिसके बाद उक्त दोनों में से किसी भी पद पर चयन हेतु न्यूनतम चार वर्ष की 'प्रतिक्षा' (कूलिग ऑफ) अवधि पूरी करनी होगी।

(iii) आईओए सहित किसी भी एनएसएफ के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को 70 वर्ष का होने पर पद से हटना होगा।

यद्यपि आशोधित अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए परन्तु इन अनुदेशों से किसी भी सदस्य के चालू कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बशर्तें कि उसे समुचित रूप से संबंधित पद पर चुना गया हो। अन्य शब्दों में, कार्यकाल की शर्त सभी भावी चुनावों पर लागू होगी क्योंकि इन्हें भविष्य में सामान्य प्रक्रिया में आयोजित किया जा सकता है।

खेल व शारीरिक शिक्षा को स्कूलों के शैक्षिक पाठ्यविवरण के साथ मिलाना :

खेल, शिक्षा व स्वास्थ्य का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है जिसके कारण यह अनिवार्य है कि बच्चों के सर्वांगिण विकास को प्रोत्साहित करने हेतु खेल व शारीरिक शिक्षा, स्कूल पाठ्यविवरण का अभिन्न भाग होनी चाहिए। स्वास्थ्य के अलावा, खेल व शारीरिक शिक्षा, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण विकसित करने में भी मदद करती है। व्यवहारिक साक्ष्य से यह पता चलता है कि खेल कार्यकलापों में सक्रिय भाग लेने वाले विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। हालांकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति व राष्ट्रीय पाठ्यविवरण संरचना में खेल व शारीरिक शिक्षा को शैक्षिक पाठ्यविवरण के साथ मिलाने की आवश्यकता के महत्व को दर्शाया गया है, लेकिन स्कूल स्तर पर इसका प्रभाव पर्याप्त देखने को नहीं मिला है। इस दिशा में स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की कमी, खेल मैदान उपलब्ध न होने, शैक्षिक पाठ्यविवरण पर अत्यधिक बल आदि सहित कई तरह की बाधाएं हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में अगस्त, 2009 में बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई एक्ट 2009) अधिनियमित किया है जिसमें स्कूलों में शारीरिक शिक्षा खेलों पर पर्याप्त बल देने का प्रावधान है। आरटीई अधिनियम 2009 पारित होने से किसी भी स्कूल को तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता है या उसे मान्यता नहीं दी जा सकती है जब तक वह खेल के मैदानों के मानदण्ड पूरे न करे। जिस मामले में इस अधिनियम के लागू होने से पहले स्थापित स्कूल मानदण्ड

और मानक पूरे नहीं करता है तो उसे 3 वर्ष की अवधि के भीतर अपनी लागत पर इन मानकों और मानदण्डों को पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर मानदण्ड और मानक पूरा न करने वाले स्कूल के मामले में संबंधित प्राधिकारी उस स्कूल की मान्यता समाप्त कर देगा। ऐसे किसी स्कूल (6 से 8वीं कक्षा) जिसमें छात्रों की संख्या 100 से अधिक है उस स्कूल को स्वास्थ और शारीरिक शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से अंशकालिक प्रशिक्षक रखना होगा।

स्कूल का भवन, जो सभी तरह की जलवायु से सुरक्षित होगा, में अन्य सुविधाओं के साथ–साथ खेल का मैदान होगा। यथा अपेक्षा प्रत्येक कक्षा को खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

चूंकि आरटीई अधिनियम 2009 अस्तित्व में आ गया है, अतः यह वांछनीय है कि अधिनियम के सभी उपबंधों को कड़ाई से लागू किया जाए और किसी भी स्कूल की तब तक अनुमती न दी जाए जब तक की वह अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदण्ड़ों का पालन न करें और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले स्थापित मौजूदा स्कूलों को अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट 3 वर्ष की अवधि के भीतर मानदण्डों को पूरा करना होगा।

अनुबंध

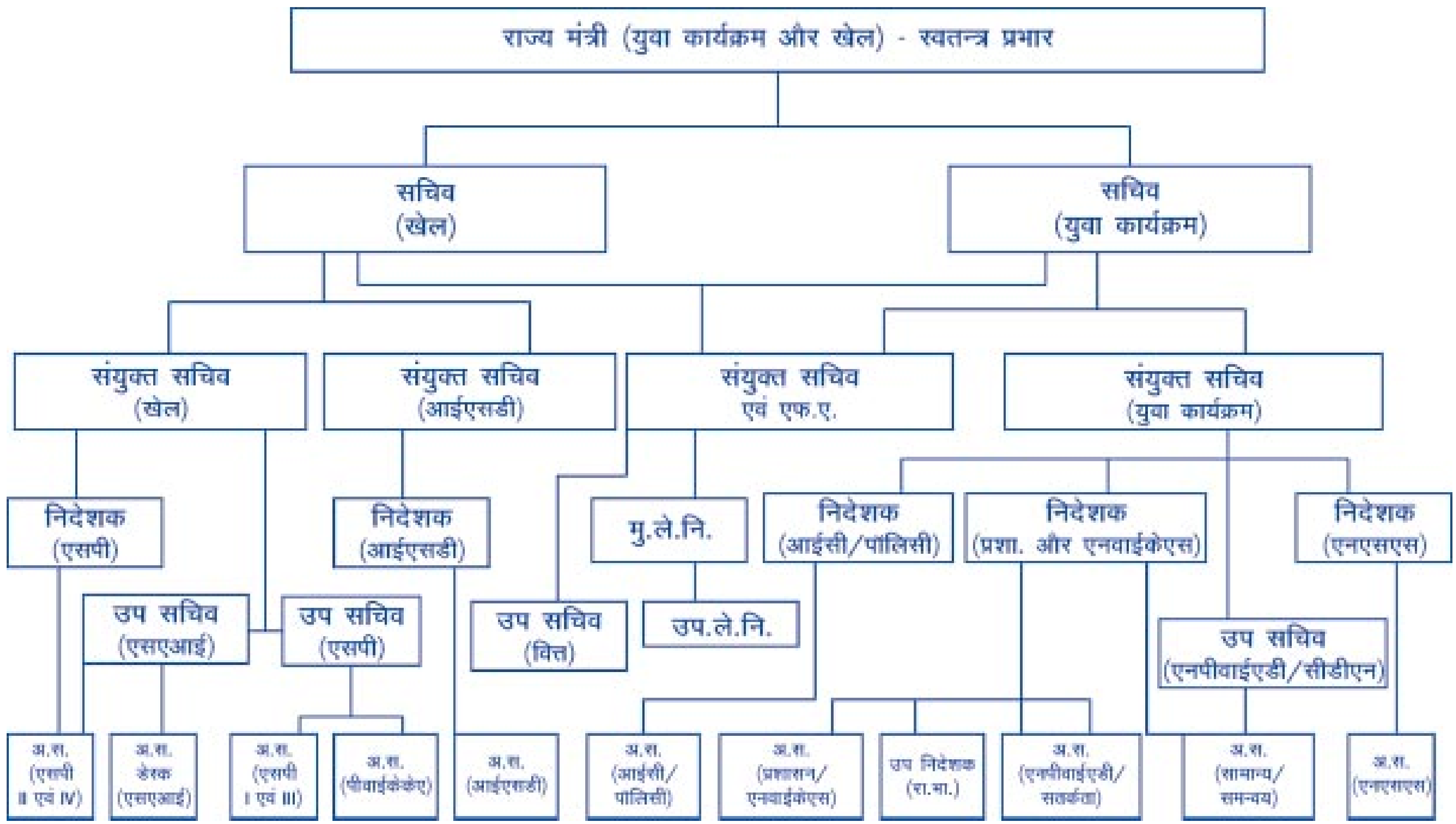
राज्य मंत्री (युवा कार्यक्रम और खेल) - स्वतन्त्र प्रभार
सचिव (खेल)
सचिव (युवा कार्यक्रम)
संयुक्त सचिव (खेल)
संयुक्त सचिव (आईएसडी)
संयुक्त सचिव एवं एफ.ए.
संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम)
निदेशक (एसपी)
निदेशक (आईएसडी)
मु.ले.नि.
निदेशक (आईसी/पालिसी)
निदेशक (प्रशा. और एनवाईकेएस)
निदेशक (एनएसएस)
उप सचिव (एसएआई)
उप सचिव (एसपी)
उप सचिव (वित्त)
उप.ले.नि.
उप सचिव (एनपीवाईएडी/सीडीएन)
अ.श. (एसपी II एवं IV)
अ.श. डेस्क (एसएआई)
अ.श. (एसपी I एवं III)
अ.श. (पीवाईकेकेए)
अ.श. (आईएसडी)
अ.श. (आईसी/पालिसी)
अ.श. (प्रशासन/एनवाईकेएस)
उप निदेशक (रा.भा.)
अ.श. (एनपीवाईएडी/सतर्कता)
अ.श. (सामान्य/समन्वय)
अ.श. (एनएसएस)

संकेताक्षर

एफए – वित्त सलाहकार संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एवं कोयला मंत्रालय)
सीसीए – मुख्य लेखा नियन्त्रक
डीसीए – उप लेखा नियन्त्रक
वाईए – युवा कार्यक्रम
आईसी – अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
एनपीवाईएडी – राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम
सीडीएन – समन्वय
एसपी – खेल
आईएसडी – अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रभाग
विज. – सतर्कता
एसएआई – भारतीय खेल प्राधिकरण
आईएसडी – अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रभाग
डीएस – उप सचिव
यूएस – अवर सचिव
डीडी(ओएल) – उप निदेशक (राजभाषा)
एनएसएस – राष्ट्रीय सेवा योजना
एडीएमएन – प्रशासन
पार्लियामेन्ट – संसद
एनवाईकेएस – नेहरू युवा केन्द्र संगठन
जनरल – सामान्य
पीवाईकेकेए – पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान

अनुबंध–II

वित्तीय परिव्यय 2011–12

बजट प्राक्कलन 2010–11 तथा संशोधित प्राक्लन 2010–11 और बजट प्राक्कलन 2011–12 के वित्तीय परिव्यय नीचे तालिका में दिए गए हैं।

बजट प्राक्कलन व संशोधित प्राक्कलन 2010–11 और बजट प्राक्कलन 2011–12 दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	बजट प्राक्कलन 2010–11		संशोधित प्राक्कलन 2010–11		बजट प्राक्कलन 2011–12	
		योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर
क.	युवा कल्याण योजना						
1	राष्ट्रीय सेवा योजना	85.00	6.87	85.00	6.87	90.00	6.87
2	नेहरू युवा केंद्र संगठन	92.00	29.50	94.44	31.57	105.00	29.50
3	राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम	0.00	2.67	0.00	2.67	0.00	2.67
4	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	10.00	0.90	10.00	0.90	11.00	0.90
5	राष्ट्रीय युवा कोर्प्स (पुराना नाम राष्ट्रीय स्वयं सेवी स्कीम)	56.00	0.00	56.50	0.00	58.00	0.00
6	राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम	25.00	0.50	27.88	0.50	25.00	0.50
7	युवा छात्रावास	5.00	0.00	4.15	0.00	5.00	0.00
8	खोज व मार्गदर्शन	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00
9	राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधिमंडल का आदान–प्रदान	3.35	0.00	2.60	0.00	3.35	0.00
10	राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम	0.15	0.85	0.15	0.85	0.15	0.85
11	यूएनवी कार्यक्रम में योगदान	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10

क्र. सं.	स्कीम का नाम	बजट प्राक्कलन 2010–11		संशोधित प्राक्कलन 2010–11		बजट प्राक्कलन 2011–12	
		योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर
12	राष्ट्रीय स्वस्थता कोर्प्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	राष्ट्रीय/क्षेत्रीय युवा केंद्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
	कुल युवा कल्याण स्कीम	280.00	41.39	283.72	43.46	300.00	41.39
ख.	खेल एवं शारीरिक शिक्षाः						
1	भारतीय खेल प्राधिकरण	321.00	37.00	347.00	49.42	250.90	51.90
2	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय	30.00	6.30	30.00	9.63	30.00	9.63
3	खेल कार्यकलापों के संवर्धन हेतु प्रोत्साहन						
3.1	पुरस्कार	10.00	0.00	34.00	0.00	4.00	0.00
3.2	मेधावी पेंशन	7.50	0.00	30.25	0.00	2.00	0.00
4	खेल उत्कृष्टता के संवर्धन हेतु सहायता						
4.1	राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता	150.00	3.00	109.00	3.00	100.00	0.00
4.2	प्रतिभा खोज व प्रशिक्षण संबंधी स्कीम	10.00	0.00	7.00	0.00	10.00	0.00
5	विकलांग व्यक्तियों में खेलों का संवर्धन	9.52	0.00	6.27	0.00	5.50	0.00
6	स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में खेल व क्रीड़ाओं के संवर्धन हेतु अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	राष्ट्रमंडल खेल, 2010	1454.98	614.54	1137.43	807.96	0.10	0.01

क्र. सं.	स्कीम का नाम	बजट प्राक्कलन 2010–11		संशोधित प्राक्कलन 2010–11		बजट प्राक्कलन 2011–12	
		योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर
8	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.40
9	अर्जुन पुरस्कार	0.00	1.10	0.00	1.00	0.00	1.10
10	ध्यानचंद पुरस्कार	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20
11	द्रोणाचार्य पुरस्कार	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32
12	एनसीसी/पब्लिक रेसिडेंशल स्कूलों को शारीरिक शिक्षा अनुदान	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10
13	राष्ट्रीय महिला खेल चेम्पियनशिप	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
14	माध्यस्थम अवार्ड हेतु सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.01
15	डोपिंग रोधी कार्यक्रम	15.00	0.00	14.00	0.00	17.50	0.00
16	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	20.00	0.00	20.00	0.00	5.00	0.00
17	पंचायत युवा क्रीड़ा व खेल अभियान	413.00	0.00	350.00	0.00	225.00	0.00
18	शहरी खेल बुनियादी ढांचा स्कीम (पुराना नाम पालिका युवा क्रीड़ा व खेल अभियान)	123.00	0.00	15.00	0.00	50.00	0.00
	कुल खेल व शारीरिक शिक्षा	2564.00	664.69	2099.95	872.66	700.00	64.67

क्र. सं.	स्कीम का नाम	बजट प्राक्कलन 2010–11		संशोधित प्राक्कलन 2010–11		बजट प्राक्कलन 2011–12	
		योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर
ग.	अन्य कार्यक्रम						
1.	सेमिनारों, समिति बैठकों आदि पर व्यय	0.00	0.42	0.00	0.38	0.00	0.42
	कुलः अन्य कार्यक्रम	0.00	0.42	0.00	0.38	0.00	0.42
घ.	सचिवालय सामाजिक सेवा	0.00	14.50	0.00	15.50	0.00	14.52
	महायोगः	2844.00	721.00	2383.67	932.00	1000.00	121.00

अनुबंध–III

गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का ब्यौरा जिनमें उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त नहीं हुए हैं

2007–2008

क्र.सं.	अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन का नाम	राशि (रू. में)
	मेघालय	
1.	अनंगपाडा खेल ऐसोसिएशन, पश्चिम गारो हिल्स, मेघालय	20000
	नागालैंड	
2.	ऑल नागालैंड मंगोलियाई नेपाली एसोसिएशन, नागालैंड	83437
3.	सोसायटी अवेयरनेस कैम्पिंग, वोखा, नागालैंड	83437
4	युवा सेवा और खेल निदेशालय, कोहिमा, नागालैंड	260000
	बिहार	
5	इकोविक (वातावरणीय परामर्श विकास केंद्र), जहानाबाद, बिहार	83437
6	उपवन भारती नगर, भारती नगर, खगाडिया, बिहार	83437
7	ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण समिति, बिहार	83437
8	ज्ञान भारती शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बिहार	83437
9	जन सेवा अहियारपुर, म.नं.81, पोस्ट–अहियारपुर, बारबिगहा, बिहार	83437
10	जन शिक्षा विकास परिषद, गांव कनेल, पोस्ट–नजीरपुर, ब्लॉक राहीका, मधुबानी, बिहार	83437
11	जनआकांक्षा, गांव एवं पोस्ट भट्टसिमरी, वाया राजनगर, जिला मधुबनी, बिहार	83437
12	उर्मिला महिला कल्याण संस्थान, गांव एवं पोस्ट–कोइली, नानपुर, सीतामढी, बिहार	83437
13	युवा प्रतिष्ठान, टेक्नीकल चौक, नयातोला, मुज्ज़फरपुर, बिहार	83437
14	मा जानकी सिलाई कटाई प्रशिक्षण संस्थान, गांव तलखापुर, बड़ी बाजार, डुमरा, सीतामढी, बिहार	83437
15	ग्रामीण चेतना समिति, शीलतल भवन, न्यू एरिया, यमुना पथ, नवादा, बिहार	83437

क्र.सं.	अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन का नाम	राशि (रू. में)
16	अंतयाज सेवा समिति, उत्तर मंदिरी, बापुर नगर, पोस्ट–रसुलपुर, जिला, नवादा, बिहार	83437
17	राजा राममोहन राय सामाजिक उन्नयन संस्थान एवं आपदा मंडल, सोनवर्सा चौक, काशीपुर, समस्तीपुर, बिहार	83437
	उड़ीसा	
18	गंगेश्वरी जुबाक संघ, कोरापुट, उड़ीसा	83437
19	होली होम, गांव एवं पोस्ट नुआपाडा, तनवट, कोरापुट, उड़ीसा	83437
20	शास्त्री विकास प्रतिष्ठान (एसवीपी), गंजम, उड़ीसा	83437
21	आदिवासी महिला समिति, जिला गंजम	83437
22	स्वास्थ्य एवं विकास इनिशेटिव (एचडीआई), जिला देवगढ़, उड़ीसा	83437
23	कवि प्रसन्न पतासनी शैक्षिक कॉम्प्लैक्स, जिला केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	83437
24	पीपल्स ऐसोसिएशन ऑफ सोशल आग्रेनाइजेशन एंड रूरल अवेयरनेस (पसोड़ा), जिला केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	83437
25	रघुनाथ पथगेर, जिला नयागढ़, उड़ीसा	83437
26	संजोग, मयूरबभंज, उड़ीसा	83437
27	ब्रजाबुद्धु महिला समिति, केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	83437
28	भारत इंटीग्रेटिड सोशल वेल्फेयर एजेंसी (बीआईएसडब्ल्यूए), सम्बलपुर, उड़ीसा	10250
29	ग्रामीण विकास केंद्र (सीआरडी), स्थान–गोपा, पोस्ट– केंद्रपाड़ा, एलआईसी कॉलोनी, केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	26700
30	रत्नाकर ग्रामीण और शहरी विकास संस्थान (आरआरयूबीआई), उड़ीसा	40050
31	उत्कल चेतना समिति, केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	10250
32	प्रयास, भद्रक, उड़ीसा	26700
	उत्तर प्रदेश	
33	कुमार ग्रामोद्योग संस्थान, लखनऊ	83437
34	आदर्श ग्रामीण संस्थान, हरदोई, उ.प्र	83437
35	प्रांतीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, जेल रोड, लखनऊ, उ.प्र	1548000

क्र.सं.	अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन का नाम	राशि (रू. में)
36	चौ.चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, उ.प्र	125156
37	भारतीय महिला संस्थान, गांव जंगल सिकरी, पोस्ट–जंगल, चोड़ी (खोराबर), गोरखपुर, उ.प्र.	26700
38	मगरवाडा युवक मंगल दल, उन्नाव, उ.प्र.	10250
	सिक्किम	
39	संगम समाज, सिक्किम	83437
40	सिक्किम पर्यावरण संरक्षण संघ, सिक्किम	83437
	महाराष्ट्र	
41	संत टुकडु जी महाराज आदिवासी बाहुद्देशीय संस्था ढांकी, महाराष्ट्र	83437
42	श्री गुरूदेव बाहुद्देशीय विकास संस्था, पाटन	83437
	मणिपुर	
43	भारत सेवक समाज, इंफाल, मणिपुर	83437
44	कांगलेई ईनात थांग ता शिंडम शंगलेन (केईटीटीएसएस), मणिपुर	83437
45	महिला कल्याण एवं विकास संगठन, इम्फाल	83437
	गुजरात	
46	अमिने शरियत शिक्षा ट्रस्ट, हाईवे रोड, पोस्ट ढरोल, जिला जामनगर, गुजरात	83437
	असम	
47	चिनाकी, असम	83437
	झारखंड	
48	एस के एम विश्वविद्यालय, झारखंड	45000
	राजस्थान	
49	सरस्वती शिक्षा संस्थान, रामगढ़, राजस्थान	125156
50	राजस्थान युवा बोर्ड (स्वायत्त निकाय, राजस्थान सरकार)	2625000
51	श्री मंशा बालिका पी.जी. महाविद्यालय, उदयपुरवती, झुनझुन, राजस्थान	125156
	हरियाणा	
52	खेल एवं युवा कल्याण विभाग, हरियाणा	761156

क्र.सं.	अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन का नाम	राशि (रू. में)
53	भारती ग्रामीण विकास समिति, कुरूक्षेत्र, हरियाणा	40050
54	ग्रामीण युवती विकास मंडल, हरियाणा	26700
55	हरियाणा बेरोजगार युवा संगठन, पानीपत, हरियाणा	26700
56	युवा खेल समिति, जींद	26700
57	ग्रामीण सेवा समिति, हरियाणा	26700
	पंजाब	
58	पंजाबी विश्वविद्यालय, एनएसएस, पटियाला, पंजाब–147002	125156
59	हंस राज महिला महा विद्यालय, जालंधर, पंजाब	125156
	मिजोरम	
60	खेल एवं युवा सेवा निदेशालय, मिजोरम सरकार, आइज़ोल	336700
	मध्य प्रदेश	
61	देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदोर, मध्य प्रदेश	125156
62	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	125156
	आंध्र प्रदेश	
63	राजीव युवा संगठन, आंध्र प्रदेश	26700
	कर्नाटक	
64	साई राम महिला समाज, कर्नाटक	10250
	गुजरात	**2008–2009**
1	श्री गुरूदेव खादी सेवा संघ, गांव गांधीनगर, पोस्ट–गांधीनगर, तालुका गांधीनगर, सैक्टर–6, गुजरात–382006	2,38,000/–
2	वी.एन.पटेल ग्रामविकास ट्रस्ट, 402, सपना अपार्ट., आदर्श हाई स्कूल रोड कोमरी, पोस्ट पाटन, गुजरात–384265	4,27,000/–
3	नसर्गिक ट्रस्ट, पालनपुर, गांव पालनपुर, जिला बनासकांठा, गुजरात–385001	1,93,000/–
4	पूज्य महात्मा गांधी रावत सेवा ट्रस्ट, गांव मंडाली, पोस्ट–मंडाली, गुजरात, जिला मेहसाना–384130	2,18,000/–
5	सार्वजनिक विकास परिषद, गांव कालो, जिला गांधीनगर, गुजरात–382721	65,000/–

क्र.सं.	अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन का नाम	राशि (रू. में)
	दिल्ली	**2009–2010**
1	श्री अरबिंदो शिक्षा सोसायट, नई दिल्ली	7,07,500/–
	महाराष्ट्र	
2	श्री नटराज शैक्षणिक संस्कृत व क्रीड़ा संस्था, जिला अमरावती	1,28,000/–
3	सहियादरी ग्रामीण विकास व बहु उद्देशीय युवक कल्याण संस्था, जिला नागपुर	65,000/–
4	श्री वैष्णवी महिला व आदिवासी विकास संस्था, जिला अमरावती	1,28,000/–
5	प्रगट महिला मंडल, जिला लाथुर	1,28,000/–
6	जन सेवा शिक्षा सोसायटी, जिला लातूर	1,28,000/–
	मध्य प्रदेश	
7	प्रगति मानव सेवा संस्थान, जिला–गुना	3,53,750/–
	पश्चिम बंगाल	
8	नारायानपुर मुक्ति संघ, जिला दक्षिण 24 परगना	3,53,750/–
9	दमदम पार्क उन्नयानी सामान्नय, लेक टाउन, कोलकाता	20,700/–
10	सामाजिक सामुदायिक कार्य, रबीन्द्रपल्ली, 24 उत्तर परगना	1,28,000/–
11	हरीपुर डॉ.अम्बेडकर जनसेवा मिशन, नबाग्राम, मुर्शीदबाद	3,53,750/–
12	दीपालय, एके पॉल रोड, कोलकाता	1,28,000/–
13	शोहन श्याम बाज़ार, जिला कोलकाता	1,30,000/–
14	दुर्बाचाकरी लोक कल्याण एसोसिएशन, जिला पूर्बा मेदीनीपुर	1,28,000/–
15	दम दमा मानव कल्याण आश्रम (डीएमकेए), जिला दक्षिण 24 परगना	1,73,000/–
16	उदयरामपुर निवेदिता महिला समिति, जिला दक्षिण 24 परगना	1,30,000/–
	राजस्थान	
17	नेहरू युवक मंडल, कारेदा बुजुर्ग, जिला टॉक	3,53,750/–
	तमिलनाडु	
18	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, जिला डिंदीगुल	1,73,000/–
19	जन सशक्तिकरण विकास विकल्प ट्रस्ट, जिला कांचीपुरम, चेन्नई	1,73,000/–
20	गांधी दर्शन केंद्र, जिला कांचीपुरम, चेन्नई	2,92,500/–

क्र.सं.	अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन का नाम	राशि (रू. में)
	मणिपुर	
21	हुये लांगलोन थांग–ता ऐसोसिएशन, जिला पश्चिम इम्फाल	2,92,500/–
22	इस्लामिक सामाजिक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास संगठन (आईएसइसीडीओ), बिशनूपुर	2,34,000/–
	हिमाचल प्रदेश	
23	एमडीवी जीव सेवा संस्थान, जिला सोलन	2,38,000/–
	मेघालय	
24	नंगकरेम युवा विकास एसोसिएशन, शिलांग	65,000/–
	असम	
25	पाथरी व्यवसायिक संस्थान, कोर्ट कैम्पस के पास, जिला नगांव	1,73,000/–
26	प्रबंधन संसाधन विकास संस्थान, जीएनबी रोड, जिला नगांव	4,56,000/–
27	दृष्टि प्रतिष्ठान, जिला नगांव	3,53,750/–
28	सुर साधना, नूतन बाज़ार, जिला नगांव	2,34,000/–
29	प्रहार, जिला बी.एम.रोड नगांव	2,92,500/–
30	आदर्श समाज कल्याण समिति, बेलुगुरी नूतन बाज़ार, जिला नगांव	3,53,750/–
31	जलुगुती अर्गामी महिला समिति, जिला मोरीगांव	1,73,000/–
32	कोसमोस मिशन, जिला कामरूप	1,73,000/–
33	संकल्प, जिला शिवसागर	1,28,000/–
34	अटा भौकामरी सोसायटी विकास एसोसिएशन, जिला बारपेटा	1,73,000/–
	नागालैंड	
35	एसोसिएशन फॉर डिवलेपमेंट ऑफ सोसायटी, जिला कोहिमा	2,34,000/–
36	जनजातीय किसान एसोसिएशन, नगवाल्वा, जिला पारेन	1,28,000/–

अनुबंध—IV

नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के लंबित लेखा—परीक्षा पैराओं व उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	रिपोर्ट संख्या व वर्ष	पैरा संख्या	संक्षिप्त विषय	अभ्युक्तियां
1	2005 का 4	1.1 (परिशिष्ट-I एवं III)	स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे	डीजीएसीआर से अंतिम की गई कार्रवाई नोट (एटीएन) प्राप्त हो गया है और आगे की कार्रवाई हेतु इसका अंग्रेजी/हिंदी पाठ वित्त मंत्रालय के मानिटरिंग सेल को भेजा जाएगा।
2	2007 का 3	12.1	स्थल पर अनधिकृत कब्जा (एनवाईकेएस)	नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने 08—09—2011 को अंतिम एटीएन अग्रेषित किया है जो अभी मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है। उसके प्राप्त होने के बाद उसका अंग्रेजी/हिंदी पाठ आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु वित्त मंत्रालय के मानिटरिंग सेल तथा डीजीएसीआर को भेजा जाएगा।

अनुबंध–V

निर्मित युवा छात्रावासों की सूची

(01.12.2010 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मित युवा छात्रावासों की संख्या	युवा छात्रावास का स्थान
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	पोर्ट ब्लेयर
2	आंध्र प्रदेश	7	सिकन्दराबाद, विजयवाड़ा, तिरूपति, विशाखापटनम, नागार्जुनसागर, वारंगल, विजयानगरम
3	असम	2	गुवाहाटी, तेज़पुर
4	बिहार	1	पटना
5	गोवा	2	पणजी, पदम मापूसा
6	गुजरात	1	गांधीनगर
7	हरियाणा	7	पंचकुला, कुरूक्षेत्र, भिवानी, गुड़गांव, सिरसा, यमुना नगर, रिवाड़ी
8	हिमाचल प्रदेश	1	डलहौजी
9	जम्मू एवं कश्मीर	3	पतिनतोप, श्रीनगर, उद्यमपुर
10	कनार्टक	4	मैसूर, हसन, तीर्थरामेश्वर, सोगलु
11	केरल	3	त्रिवेन्द्रम, एर्नाकुलम, कालीकट, (कोझीकोड)
12	मध्य प्रदेश	3	भोपाल, जबलपुर, खजुराहो
13	महाराष्ट्र	1	औरंगाबाद
14	मणिपुर	1	इम्फाल
15	मेघालय	1	शिलांग
16	मिजोरम	1	आइज़ोल
17	नागालैंड	1	दीमापुर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मित युवा छात्रावासों की संख्या	युवा छात्रावास का स्थान
18	उड़ीसा	4	पुरी, जोशीपुर, गोपालपुर ऑन शो, कोरापुट
19	पुदुचेरी	1	पुदुचेरी
20	पंजाब	5	रोपड़, अमृतसर, संगरूर, पटियाला, तरन–तारन
21	राजस्थान	4	जयपुर, जोधपुर, अज़मेर, उदयपुर
22	सिक्किम	1	गंगटोक
23	तमिलनाडु	5	चेन्नई, मैदुरई, तंजावुर, त्रिची, ऊंटी
24	त्रिपुरा	1	अगरतला
25	उत्तर प्रदेश	2	आगरा, लखनऊ
26	उत्तरांचल	4	मैसूरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, बद्रीनाथ
27	पश्चिम बंगाल	1	दार्जलिंग
	योग	68	

नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस)/भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई)/संबंधित राज्य सरकार को हस्तांतरित युवा छात्रावासों की सूची

(01.12.2010 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मित युवा छात्रावासों की संख्या	युवा छात्रावास का स्थान
1	अरूणाचल प्रदेश	1	नाहरलागुन
2	असम	2	गोलघाट, नौगांव
3	हिमाचल प्रदेश	1	बिलासपुर
4	जम्मू एवं कश्मीर	1	नागरोटा
5	महाराष्ट्र	1	बुलडाना
6	मणिपुर	1	उखरूल
7	मेघालय	1	तुरा
8	नागालैंड	1	मोकोकचुंग
9	सिक्किम	1	नामची
10	पश्चिम बंगाल	2	चुरूलिया, बुर्दवान
	योग	12	

अनुबंध–VII

निर्माणाधीन युवा छात्रावासों की सूची

(01.12.2010 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्माणाधीन युवा छात्रावासों की संख्या	युवा छात्रावास का स्थान
1	आंध्र प्रदेश	1	कुड्डापाह
2	अरूणाचल प्रदेश	1	रोईंग
3	मणिपुर	2	थोबल, चूडाचांदपुर
4	पंजाब	1	जालंधर
	योग	5	

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2009–10 की सूची

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	राज्य का नाम
1	श्री देशबोइनी नरसिमहुलु, द्वारा श्री ए.पेंटाम्मा, मं.नं.–75, रामालयम के पास, गांव एवं एमडीएल. गजवेल, जिला मेडक–502278, आंध्र प्रदेश	आंध प्रदेश
2	श्री गोमर बसर डाक पता :– द्वारा गोबी बाज़ार, डाकघर एवं पुलिस थाना 'सी' सैक्टर ईटानगर, पापुम पारे जिला अरूणाचल प्रदेश–791111	अरूणाचल प्रदेश
3	श्री कनू बोरो, काटकीपाडा, डाकघर सौकूकी, पुलिस थाना गढचूक, जिला कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी, असम–781034	असम
4	श्री विश्वरंजन, कठारी बाग, महाबीर अस्थान, छपरा–841301 (बिहार)	बिहार
5	श्री राजीव कुमार शर्मा, म.नं. 1076, 13वीं गली, हांसी रोड, करनाल–132001, हरियाणा	हरियाणा
6	सुश्री पूनम रानी, म.नं. 555/3, सीवान गेट, कैथल, जिला कैथल, हरियाणा–136027	हरियाणा
7	श्री राम पाल शर्मा, गांव नोहन, पोस्ट महारल तहसील बरसार, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश–176049	हिमाचल प्रदेश
8	श्री मुख्तियार अहमद निवासी अस्सर डाक घर अस्सर, तहसील एवं जिला डोडा, जम्मू एवं कश्मीर–182200	जम्मू एवं कश्मीर
9	श्री यल्लाप्पागोडा आर. हीरेगोदार स्थान डाकघरः यालीवाल, टीक्यू कुंडगोल, जिला धारवाड़, कनार्टक (ग्रामीण)–581207	कर्नाटक

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	राज्य का नाम
10	श्री निलेश पूनमचांद सोमानी, जानकी नगर (लखाला), वाशिम, तहसील + जिला वासिम (एमएच)–444505	महाराष्ट्र
11	श्री मनीष शंकराराव गवई, राजकीय विद्रभा विज्ञान एवं मानविकी संस्थान के पीछे स्थान : अमर नगर, जिला अमरावती (एमएस)–444604	महाराष्ट्र
12	श्री राकेश कुमार वर्मा ग्राम पोस्ट–कुलास कला, जिला, सिहोर, मध्य प्रदेश–466001	मध्य प्रदेश
13	सुश्री क्षेत्रीमयुम बेबीली देवी लीलोंग चाजिंग चिंगखोंग लीकाई, इम्फाल पश्चिम मणिपुर–795130 पुलिस थाना सिंहजामेई इम्फाल	मणिपुर
14	सुश्री सीमा शबनम द्वारा कुमार हसन, मनीषा अन्तर्राष्ट्रीय भूतपडा, सम्बलपुर–768001 उड़ीसा	उड़ीसा
15	श्री केवल सिंह वीपीओ मंडी कलां, खोखर रोड के पास, तहसील फूल, जिला भंटिड़ा–151103 पंजाब	पंजाब
16	श्री राजेन्द्र कुमार धनखड़, जोरिया मंदिर के पास, वी.पी.ओ. किठाना, जिलाः झुनझुन, राजस्थान––333026	राजस्थान
17	श्री ए. नेल्सन 330/2 उत्तरी गली, इत्तामोझी त्रिरूनेलवेल जिला तमिलनाडु–627652	तमिलनाडु
18	श्री ए. मारीमुथु 3/358, सोलारजा कॉलोनी, मिनाची नयाक्कन पेट्टी (डाकघर) कुरूमबा पट्टी पंचायत, डिंदीगुल (टी.के), डिंदीगुल (डी.टी) तमिलनाडु–624002	तमिलनाडु
19	सुश्री राखी रानी दास पुरकायदेवस्था गांव डाकघर डियोचेरा, पुलिस स्टेशन पानीसागर, धर्मनगर, उत्तरी त्रिपुरा–799260	त्रिपुरा

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	राज्य का नाम
20	श्री गुरदीप सिंह राणा गावं :– इटावा, डाक–जोगीपुरा, तहसील–बाज़पुर, जिला उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड–262401	उत्तराखंड
21	जे.कृष्णन 20, पिल्लेईयार कोईल गली, पांगुरी, डाक थिन्नल, पुदुचेरी–605102	पुदुचेरी
22	नासिर हुसैन गावं–गोराईनगर, डाकघर+डाकघर हारोआ, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल–743425	पश्चिम बंगाल

राष्ट्रमंडल खेल 2010 में पदक जीतने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान प्रशिक्षणार्थियों की सूची

दक्षिणी क्षेत्र, बेंगलूरू					
1	सीओई बेंगलूरू	रंजीत महेश्वरी	एथलेटिक्स	ट्रिपल जंप	कांस्य
2	सीओई बेंगलूरू	पी के प्रिया	एथलेटिक्स	4×100मी रेस	कांस्य
3	सीओई बेंगलूरू	प्रजूशा एम.ए	एथलेटिक्स	लांग जंप	रजत
4	सीओई बेंगलूरू	सुधीर कुमार	भारोत्तोलन	–	कांस्य
पश्चिमी क्षेत्र, गांधीनगर					
1	सीओई कांदीवली	नरसिंह यादव	कुश्ती	74 कि.ग्रा एफएस	गोल्ड
2	एनएसटीसी ई, भोंसाला सैनिक विद्यालय, नासिक	सुश्री कविता राउत	एथलेटिक्स	10,000 मी ट्रैक एंड फील्ड	कांस्य [33.05.28]
पूर्वी केंद्र, कोलकाता					
1	सीओई, कोलकाता	श्री रहमतुल्ला मोला	एथलेटिक्स	डिस्कस	कांस्य
2	सीओई, कोलकाता	सुश्री पौलमी घटक	टेबल टेनिस	टीम इवेंट	रजत
				युगल	कांस्य
3	सीओई, कोलकाता	श्री सुभाजीत साहा	टेबल टेनिस	युगल	स्वर्ण
				टीम इवेंट	कांस्य
4	सीओई, कोलकाता	श्री सौम्यादीप रॉय	टेबल टेनिस	टीम इवेंट	कांस्य

चीन में आयोजित एशियाई खेल 2010 में पदक जीतने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान प्रशिक्षणार्थियों की सूची

क्र.सं.	केंद्र का नाम	प्रशिक्षणार्थी का नाम	खेल	स्पर्धा	पदक
		यूडीएमसीसी, भोपाल			
1	सीओई, भोपाल	सुधा सिंह	एथलेटिक्स	3000मीटर	स्वर्ण
2	सीओई, भोपाल	दानिश मुजतबा	हॉकी	टीम	कांस्य
		एनएसएससी बेंगलूरू			
3	सीओई, बेंगलूरू	अश्विनी ए.सी	एथलेटिक्स	400मी एच	स्वर्ण
4	सीओई, बेंगलूरू	अश्विनी ए.सी. गीनी जोस	एथलेटिक्स	4×400मी रिले	स्वर्ण
5	सीओई, बेंगलूरू	कविता राउत	एथलेटिक्स	10000मी	रजत
6	सीओई, बेंगलूरू	जी.जी प्रमिला	एथलेटिक्स	हेप्टाथलान	कांस्य
7	एसटीसी, त्रिशूर	जोसफ अब्राहम	एथलेटिक्स	400मी एच	स्वर्ण
8	एसएजी, अल्लेप्पी	जेनिल कृष्णन एवं साजी थोमस	रोइंग	डबल स्कल	रजत
		एनआरसी, सोनीपत			
9	एसटीसी, हिसार	कविता, गोयत	मुक्केबाज़ी	75 कि.ग्रा. हेवीवेट	कांस्य
10	सीओई, सोनीपत	जसमेर गुलिया	कबड्डी	टीम	स्वर्ण
		एनएसईसी, कोलकाता			
11	एसएजी, जगतपुर	प्रतिमा पुहान	रोइंग	कोक्सलैस 2	कांस्य
12	एसएजी, जगतपुर	प्रतिमा प्रवा मिंज	रोइंग		
		एलएनसीपीई, तिरूवनंतपुरम			
13	एलएनसीपीई, तिरूवनंतपुरम	प्रिजा श्रीधरन	एथलेटिक्स	10,000मी 5,000मी	स्वर्ण रजत

चीन में आयोजित एशियाई खेल 2010 में पदक जीतने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण के भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों की सूची

क्र.सं.	केंद्र का नाम	प्रशिक्षणार्थी का नाम	खेल	स्पर्धा	पदक
		एस सी, गुवाहाटी			
1	एबीएससी, 58 जीटीसी, शिलांग	तरूणदीप राय	तीरंदाजी	व्यक्तिगत रिकर्व	रजत
		एनईआरसी, इम्फाल			
2	एसएजी एवं सीओई, इम्फाल	एम.सी मेरी कॉम	मुक्केबाज़ी	52 कि.ग्रा	कांस्य
3	एसटीसी, इम्फाल	के.सनाहंबी देवी	कबड्डी	टीम	स्वर्ण
4	सीओई, इम्फाल	डब्ल्यू. संध्यारानी देवी	वुशू	60 कि.ग्रा संश	रजत
5	एसएजी, इम्फाल	एम. सुरंजय सिंह एम	मुक्केबाज़ी	52 कि.ग्रा	कांस्य
		यूडीएमसीसी, भोपाल			
6	एसटीसी, इटावा	शिवेन्द्र सिंह	हॉकी	टीम	कांस्य
		एनएसएससी, बेंगलूरु			
7	सीओई, बेंगलूरु	भरत छेत्री एवं अर्जुन हलप्पा	हॉकी	टीम	कांस्य
		एनआरसी, सोनीपत			
8	एसटीसी, भिवानी	विजेन्दर सिंह	मुक्केबाज़ी	75 कि.ग्रा	स्वर्ण
9	एसटीसी, भिवानी	दिनेश कुमार	मुक्केबाज़ी	81 कि.ग्रा	रजत

राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता की सकीम तथा राष्ट्रमंडल खेल 2010 हेतु टीमों की तैयारी की स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीय खेल संघों को जारी अनुदान दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.स.	खेल संघ का नाम	2008–09	2009–10	2010–11
1	भारतीय एथलेटिक्स संघ, नई दिल्ली	2.32	3.10	1.87
2	भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन	0.96	5.26	1.19
3	अखिल भारतीय शतरंज संघ, चेन्नई	2.21	1.63	0.95
4	भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन, नई दिल्ली	4.21	6.65	5.35
5	अखिल भारतीय टेनिस एसोसिएशन, नई दिल्ली	1.37	2.64	1.65
6	भारतीय जूड़ो संघ, नई दिल्ली	0.62	0.92	0.34
7	भारतीय रोइंग संघ, सिकन्दराबाद	0.55	1.35	0.65
8	भारतीय टेबल टेनिस संघ, नई दिल्ली	1.79	3.88	2.98
9	भारतीय तैराकी संघ, अहमदाबाद	0.15	1.53	0.32
10	भारतीय स्क्वॉश रैकेट संघ, चेन्नई	0.57	1.73	1.25
11	भारतीय अमेच्योर मुक्केबाज़ी संघ, नई दिल्ली	1.85	1.91	0.99
12	हॉकी खेल शाखा (पुरूष) व (महिला) से संबंधित संगठन	3.45	7.82	1.85
13	भारतीय भारोत्तोलन संघ, नई दिल्ली	0.26	1.11	0.87
14	भारतीय बैडमिन्टन एसोसिएशन	2.66	4.58	1.51
15	भारतीय घुड़सवारी संघ, नई दिल्ली	0.86	0.08	0.00
16	अखिल भारतीय फूटबॉल संघ, दिल्ली	0.52	0.42	2.44
17	भारतीय गोल्फ संघ, नई दिल्ली	0.18	0.20	0.06
18	भारतीय कुश्ती संघ, इन्दिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली	1.18	4.76	1.48
19	भारतीय समुद्री नौकायन संघ, नई दिल्ली	0.36	2.33	0.63
20	भारतीय अमेच्योर कब्बड़ी संघ, जयपुर	0.32	0.18	0.10

क्र.स.	खेल संघ का नाम	2008–09	2009–10	2010–11
21	भारतीय बॉलीबाल संघ, चेन्नई	0.63	1.04	1.05
22	भारतीय जिमनास्टिक्स संघ, जोधपुर	0.18	0.90	1.94
23	भारतीय अमेच्योर हैण्डबॉल संघ, जम्मू एवं कश्मीर	0.72	0.24	0.22
24	भारतीय बास्केट बॉल संघ, नई दिल्ली	0.44	0.62	0.13
25	भारतीय फेंसिग एसोसिएशन, पटियाला	0.24	0.50	1.28
26	भारतीय केयकिंग एवं केनोइंग एसोसिएशन, नई दिल्ली	0.30	0.52	0.18
27	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, नई दिल्ली	0.42	0.48	0.39
28	भारतीय पारालेम्पिक भारत, नई दिल्ली	0.40	3.43	1.60
29	विशेष ओलम्पिक भारत, नई दिल्ली	0.53	0.04	00
30	अखिल भारतीय कैरम संघ, नई दिल्ली	0.19	0.16	0.13
31	अखिल भारतीय कराटे डू संघ, चेन्नई	0.00	0.00	0.04
32	भारतीय अमेच्योर बेसबॉल संघ, दिल्ली	0.11	0.14	0.12
33	भारतीय आट्या पाट्या संघ, नागपुर	0.16	0.06	0.09
34	भारतीय बॉल बैडमिन्टन संघ	0.00	0.00	0.00
35	भारतीय साइकल पोलो संघ, नई दिल्ली	0.15	0.12	0.03
36	भारतीय बॉडी बिल्डिंग संघ	0.00	0.00	0.00
37	भारतीय पोलो एसोसिएशन, नई दिल्ली	0.06	0.00	0.00
38	भारतीय पॉवर लिफ्टिग संघ, जमशेदपुर	0.16	0.12	0.00
39	भारतीय खो–खो संघ, कोलकाता	0.00	0.04	0.07
40	भारतीय कोर्फबॉल संघ, नई दिल्ली	0.12	0.13	0.04
41	भारतीय नेटबॉल संघ, दिल्ली	0.18	0.65	0.00
42	भारतीय रोलर स्केटिंग संघ, कोलकाता	0.00	0.00	0.00
43	भारतय सेपक टक्रॉ संघ, नागपुर	0.12	0.10	0.09
44	भारतीय शूटिंग बॉल संघ, नई दिल्ली	0.09	0.24	0.03
45	भारतीय सॉफ्टबॉल संघ, नई दिल्ली	0.00	0.13	0.09

क्र.स.	खेल संघ का नाम	2008–09	2009–10	2010–11
46	भारतीय ताइक्वोण्डू संघ, इंदौर	0.00	0.12	0.45
47	भारतीय टेनी–कोईट संघ, बेंगलूरू	0.16	0.09	0.13
48	भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट संघ, बेंगलूरू	0.16	0.07	0.09
49	भारतीय रस्सा–कस्सी संघ, नई दिल्ली	0.06	0.10	0.05
50	भारतीय वुशू संघ, नई दिल्ली	0.31	0.31	0.00
51	भारतीय थ्रोबॉल संघ, बेंगलूरू	0.00	0.00	0.00
52	भारतीय बिलियर्डस एवं स्नूकर संघ, कोलकाता	0.37	0.44	0.16
53	भारतीय रग्बी फूटबॉल संघ, मुम्बई	0.00	2.02	1.41
54	भारतीय शीतकालीन खेल संघ, नई दिल्ली	0.02	0.00	0.00
55	भारतीय महिला क्रिकेट संघ, दिल्ली (अब इसे बीसीसीआई के साथ मिलाया जा चुका है।)	0.00	0.00	0.00
56	भारतीय साइकलिंग संघ, दिल्ली	0.00	0.49	0.72
57	भारतीय मल्खम्ब संघ	0.09	0.0016	0.00
58	भारतीय अमेच्योर साफ्ट टेनिस संघ, अहमदाबाद	0.06	0.11	0.13
59	भारतीय ब्रिज संघ	0.03	0.00	0.00
60	आईस हॉकी (एनएसपीओ), नई दिल्ली	0.01	0.00	0.00
61	भारतीय स्कूल खेल संघ, भोपाल	0.13	0.72	0.00
62	भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन, नई दिल्ली	2.38	2.59	7.57
63	भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली	71.00	209.72	34.05
64	भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन (एनएसपीओ)	–	1.58	0.00
65	भारतीय टेनपिन संघ	–	–	0.42
66	भारतीय बाउलिंग संघ	0.02	0.57	0.89

विदेशी कोच 2009–2010 का स्थिति विवरण
दीर्घकालिक आधार/अल्पकालिक आधार (एलटीडीपी)

क्र.सं.	खेल शाखा	नाम व वेतन	देश	अवधि	तैनाती स्थल	अभ्युक्तियां
1	बास्केटबॉल	श्री अलेक्सेंडर बूकन कुल 2500 अमरीकी डालर–प्रतिमाह	सर्बिया एवं मोंटेनेग्रो	14–06–2007 से 13–12–2007 से 13–06–08 से 13–06–2010 से 30–11–2010	बेंगलूरू	विदेशी कोच के अनुरोध पर अनुबंध समाप्त–13 जून, 2010 को छोड़कर चले गए
2	कुश्ती (ग्रीको रोमन–पुरूष)	श्री अमज़ार मखराडज़े कुल 2500 अमरीकी डॉलर–प्रतिमाह	जॉर्जिया	08–04–08 से 07–04–09 से 08–04–2010 से 30–11–2010	सोनीपत	अनुबंध किया गया है
3	बैडमिन्टन	श्री हादी इदरिश कुल 3000 अमरीकी डॉलर–प्रतिमाह	इंडोनेशिया	16–02–09 से 31–12–2010	हैदराबाद	अनुबंध किया गया है

क्र.सं.	खेल शाखा	नाम व वेतन	देश	अवधि	तैनाती स्थल	अभ्युक्तियां
4	केनोइंग	श्री जोज़सेफ बरीना कुल 2500 अमरीकी डॉलर–प्रतिमाह	हंगरी	16–02–09 से 15–02–2010 से 30–11–2010	अल्लेप्पी/ भोपाल	अनुबंध किया गया है
5	केयकिंग	सुश्री बरीनाने रिट्ट ग्राब्रीला कुल 2500 अमरीकी डॉलर–प्रतिमाह	हंगरी	16–02–09 से 15–02–2010 से 30–11–2010	अल्लेप्पी/ भोपाल	अनुबंध किया गया हैं
6	जूडो	श्री सी साक जोज़सेफ कुल 2500 अमरीकी डॉलर–प्रतिमाह	हंगरी	24–04–09 से 23–04–2010 से 30–11–2010	बेंगलूरू/ भोपाल	अनुबंध किया गया है
7	जूडो	श्री लेव्या रेनन इनफेंट कुल 2000 अमरीकी डॉलर–प्रतिमाह	क्यूबा	21–06–09 से 20–06–2010	भोपाल	अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर विदेशी कोच 19 जून, 2010 को छोड़कर चले गए
8	टेनपिन बाउलिंग	श्री एलन चिया सेन अंग कुल 3000 अमरीकी डॉलर–प्रतिमाह	मलेशिया	21–02–10 से 30–10–2010	बेंगलूरू	अनुबंध किया गया हैं

क्र.सं.	खेल शाखा	नाम व वेतन	देश	अवधि	तैनाती स्थल	अभ्युक्तियां
9	कराटे–डू	श्री एहशानी तेहरानी अलीरेज़ा कुल 300 अमरीकी डॉलर–प्रतिदिन	ईरान	15–07–2010 से 29–07–2010 से 01–09–2010 से 30–09–2010	चेन्नई	अल्पकालिक आधार पर
10	समुद्री नौकायन	श्री पीटर डेविड कोनवे कुल 5500 अमरीकी डॉलर–प्रतिमाह	इंग्लैंड	29–07–2010 120 दिनों के लिए	चेन्नई	अल्पकालिक आधार पर
11	समुद्री नौकायन	श्री एटकिन्सन डेविड विक्टर कुल 5500 अमरीकी डॉलर–प्रतिमाह	इंग्लैंड	29–07–2010 120 दिनों के लिए	मुम्बई	अल्पकालिक आधार पर
12	बिलियर्डस (पूल)	श्री जॉर्ज डेसर करूला कुल 150 अमरीकी डॉलर–प्रतिदिन	फिलीपींस	7–10–2010 30 दिनों के लिए	बेंगलूरू	अल्पकालिक आधार पर
13	गोल्फ	श्री पीटर लियोनार्ड मर्फी कुल 60000 अमरीकी डॉलर–कुल 60 दिनों के लिए 30–30 दिन की दो नियुक्तियों हेतु	यूएसए	21–08–2010	दिल्ली	अल्पकालिक आधार पर
14	रग्बी 7	सुश्री एलीनोआ कुनातूबा कुल 1000 अमरीकी डॉलर–प्रतिमाह	फिजी	26–08–2010 से 30–11–2010	पुणे	दीर्घकालिक आधार पर

क्र.सं.	खेल शाखा	नाम व वेतन	देश	अवधि	तैनाती स्थल	अभ्युक्तियां
15	शतरंज	श्री लेव पीसाखीस 300 यूरो–प्रतिमाह	इजराइल	01–09–2010 से 13–09–2010	कुनूर	अल्पकालिक आधार पर
16	शतरंज	श्री ओलेग राश्मानीशिन 130 यूरो–प्रतिमाह	यूक्रेन	01–09–2010 से 13–09–2010	कुनूर	अल्पकालिक आधार पर
17	बास्केटबॉल	श्री विलियम रेमण्ड हैरिस कुल 3500 अमरीकी डॉलर–प्रतिमाह	यूएसए	26–09–2010 से 01–12–2010	चेन्नई	अल्पकालिक आधार पर
18	बास्केटबॉल	सुश्री टमिका मारिया रेमण्ड कुल 3500 अमरीकी डॉलर–प्रतिमाह	यूएसए	05–10–2010 से 01–12–2010	चेन्नई	अल्पकालिक आधार पर
19	डेरेक हिल	50 प्रतिदिन 4 घण्टे की कोचिंग के लिए प्रति घण्टा 50 अमरीकी डॉलर	इंग्लैंड	19–10–2010 से 3–11–2010	बेंगलूरू	अल्पकालिक आधार पर

विदेशी कोच राष्ट्रमंडल खेल 2010 के संबंध में अद्यतन स्थिति – दीर्घकालिक आधार

क्र.सं.	खेल शाखा	नाम व वेतन	देश	अवधि	तैनाती स्थल	अभ्युक्तियां	स्थिति	अनुमोदन प्राप्ति की तिथि
1	स्क्वॉश	श्री सिंगारावेलू सुब्रहमण्यम कुल 3000 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	मलेशिया	01–11–05 से 31–12–2010	चेन्नई	अनुबंध किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल–2010 के लिए शिफ्ट कर दिए गए	हां	23–07–2008
2	शूटिंग (राइफल)	श्री एजूकसैक लाज़लो कुल 5000 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	हंगरी	12–12–08 से 11–06–09	नई दिल्ली	त्यागपत्र दे दिया– अनुबंध 31–03–2009 को समाप्त हो गया	–	12–12–2008
3	नेटबॉल	सुश्री मैरी मर्सिया लोर्डस जयसेकरा कुल 5000 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	श्रीलंका में रह रही है। यूएई	22–01–09 से 31–10–2010	जी.नगर	त्यागपत्र दे दिया– अनुबंध 31–08–2010 को समाप्त हो गया।	हां	
4	लॉन बाउल	श्री रिचर्ड गेल कुल 4500 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	ऑस्ट्रेलिया	19–12–08 से 31–10–2010	गुवाहाटी	अनुबंध किया गया है।	हां	
5	बैडमिन्टन (एकल)	श्री अतीक जौहरी कुल 4000 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	इंडोनेशिया	19–08–08 से 31–12–2010	हैदराबाद	अनुबंध किया गया है राष्ट्रमंडल खेल–2010 के लिए शिफ्ट कर दिए गए।	हां	27–08–2008
6	रग्बी 7	श्री लेकर नार्मन कुल 3000 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	दक्षिण अफ्रीका	28–04–09 से 27–04–2010	पुणे	अनुबंध किया गया है 6 दिसम्बर, 2009 को छोड़ कर चले गए।	हां	

क्र.सं.	खेल शाखा	नाम व वेतन	देश	अवधि	तैनाती स्थल	अभ्युक्तियां	स्थिति	अनुमोदन प्राप्ति की तिथि
7	रग्बी 7	श्री हेन्द्रे मर्नीट्ज कुल 2000 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	दक्षिण अफ्रीका	28–04–09 से 27–04–2010	पुणे	अनुबंध किया गया है 6 दिसम्बर, 2009 को छोड़ कर चले गए।	हां	
8	टेबल टेनिस	श्री मास्सिमो कोस्टेन्टीनी कुल 5000 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	इटली	24–02–09 से 30–11–2010	पटियाला	अनुबंध किया गया है	हां	
9	तीरंदाजी	श्री पीटर कन्नेठ फीने कुल 4500 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	ऑस्ट्रेलिया	02–03–09 से 01–03–2010	कोलकाता	अनुबंध, 1 अगस्त, 2009 से समाप्त हो गया।	–	
10	मुक्केबाज़ी	श्री बी.आई. फर्नांडीज	क्यूबा	14–08–09 से 30–11–2010	पटियाला	अनुबंध किया गया है	हां	
11	साइकलिंग	श्री ग्राहम सीयर्स कुल 4500 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	ऑस्ट्रेलिया	12–08–09 से 30–11–2010	पटियाला	अनुबंध किया गया है	हां	
12	जिम्नास्टिक कला पुरूष	श्री व्लादिमीर चर्टकोव कुल 4200 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	यूएसए	12–08–09 से 30–11–2010	पुणे	अनुबंध किया गया है	हां	

क्र.सं.	खेल शाखा	नाम व वेतन	देश	अवधि	तैनाती स्थल	अभ्युक्तियां	स्थिति	अनुमोदन प्राप्ति की तिथि
13	हॉकी	श्री जोस ब्रासा कुल 7000 यूरो प्रतिमाह	स्पेन	04–05–09 से 30–11–2010	पुणे	अनुबंध किया गया है	हां	
14	भारोत्तोलन	श्री इम्रे ज़सुगा कुल 5000 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	हंगरी	18–05–09 से 17–05–2010	पुणे	बिना कोई सूचना दिए 31 अक्टूबर, 2009 को छोड़ कर चले गए। अनुबंध किया गया है	हां	
15	कुश्ती (पुरूष)	श्री व्लादिमीर मेस्टीवीरीशिवीली यूएसडी 3500 प्रतिमाह	जॉर्जिया	08–04–09 से 30–11–2010	सोनीपत	अनुबंध किया गया है	हां	29–08–2008
16	कुश्ती (महिला)	श्री रोइन जे डोबोरीजीनीद कुल 2500 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	जॉर्जिया	08–04–08 से 31–12–2010	सोनीपत	अनुबंध किया गया है	हां	29–08–2008
17	एथलेटिक्स (स्प्रिंट)	श्री आईयूरी ओगरोदीनिक कुल 4500 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	यूक्रेन	05–05–09 से 30–11–2010	सोनीपत	अनुबंध किया गया है	हां	
18	एथलेटिक्स (स्प्रिंट)	श्री वोलोदीम्यर दतस्यूक कुल 2500 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	यूक्रेन	05–05–09 से 30–11–2010	पटियाला	अनुबंध किया गया है	हां	

क्र.सं.	खेल शाखा	नाम व वेतन	देश	अवधि	तैनाती स्थल	अभ्युक्तियां	स्थिति	अनुमोदन प्राप्ति की तिथि
19	एथलेटिक्स (स्प्रिंट)	श्री दमयेत्रो वेनियाइकिन कुल 3500 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	यूक्रेन	05–05–09 से 30–11–2010	सोनीपत	अनुबंध किया गया है	हां	
20	एथलेटिक्स रिकवरी एक्सपर्ट	श्री व्लादिमीर क्रेवचेनको कुल 4500 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	रूस	05–05–09 से 30–11–2010	सोनीपत	अनुबंध किया गया है	हां	
21	एथलेटिक्स रिकवरी विशेषज्ञ	श्री आरनोल्ड स्तासियूक कुल 3500 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	बेलारूस	13–05–09 से 30–11–2010	सोनीपत	अनुबंध किया गया है	हां	
22	हॉकी फिजिकल ट्रेनर	श्री जीसस ग्रेसिया पल्लारेसे 5000 यूरो प्रतिमाह	स्पेन	04–06–09 से 30–11–2010	पुणे	9 सितम्बर, 2009 को छोड़कर चले गए		
23	एथलेटिक्स (लान्ग एवं ट्रिपल जम्प)	श्री इवजिनी शिवील्ली कुल 3150 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	इटली	05–06–09 से 30–11–2010	पटियाला	अनुबंध किया गया है	हां	
24	एथलेटिक्स मीडिल एवं लान्ग दूरी	श्री निकोलई संसारेव कुल 5000 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	बेलारूस	12–08–09 से 30–11–2010	बेंगलूरू	अनुबंध किया गया है	हां	

क्र.सं.	खेल शाखा	नाम व वेतन	देश	अवधि	तैनाती स्थल	अभ्युक्तियां	स्थिति	अनुमोदन प्राप्ति की तिथि
25	एथलेटिक्स मेस्सर	श्री दमीत्री बुलदोव कुल 2000 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	रूस	08–09–09 से 30–11–2010	पटियाला	अनुबंध किया गया है	हां	
26	एथलेटिक्स फिजियो–थेरेपिस्ट	श्री पैट्रिक केन्नी नेवील्ले 35,000 रू. प्रतिमाह	यू.के	21–06–09 से 30–11–2010	पटियाला	अनुबंध किया गया है	हां	
27	हॉकी फिजिकल ट्रेनर	श्री डेविड परेज़ कसानी 5000 यूरो प्रतिमाह	स्पेन	30–09–09 से 31–03–2010	पुणे	इसे अनुबंध किया गया है 30–11–2010 तक बढ़ाए जाने की संभावना है।	हां	
28	शूटिंग (राइफल कोच)	श्री लेपिडस स्टानिस्लाव कुल 5000 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	कज़ाकिस्तान	14–10–09 से 30–11–2010	पुणे	अनुबंध किया गया है	हां	
29	एथलेटिक्स	श्री एलेक्जेंडर क्रेशिलनीकोव कुल 4500 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	रूस	04–12–09 से 31–11–2010	पटियाला	अनुबंध किया गया है	हां	
30	एथलेटिक्स मेस्सर	सुश्री नातालिया कोलोवनोवा कुल 2000 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	यूक्रेन	14–01–10 से 30–11–2010	पटियाला	अनुबंध किया गया है	हां	

क्र.सं.	खेल शाखा	नाम व वेतन	देश	अवधि	तैनाती स्थल	अभ्युक्तियां	स्थिति	अनुमोदन प्राप्ति की तिथि
31	रग्बी 7	श्री यूसाईया रोकोनाई बियूमाईवाई कुल 2500 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	फिज़ी	27–01–10 से 30–11–2010	पुणे	अनुबंध किया गया है	हां	
32	साइकलिंग रिकवरी विशेषज्ञ	सुश्री अथाली ब्राउन 40,000 रू. प्रतिमाह	ऑस्ट्रेलिया	09–12–09 से 30–11–2010	पटियाला	अनुबंध किया गया है	हां	
33	एथलेटिक्स मेस्सर	सुश्री एलमीरा मगुसुमोवा 15,000 रू. प्रतिमाह	रूस	26–03–10 से 30–11–2010	पटियाला	अनुबंध किया गया है	हां	
34	रग्बी 7 स्ट्रेंथ/ कार्डिनेटिंग	श्री सकारिया लबालबा तुरागा कुल 2000 अमरीकी डॉलर प्रतिमाह	फिज़ी	01–06–10 से 30–11–2010	पुणे	अनुबंध किया गया है	हां	

अल्पकालिक आधार

क्र.सं.	खेल शाखा	नाम व वेतन	देश	अवधि	तैनाती स्थल	अभ्युक्तियां	स्थिति
1	शूटिग (ट्रैप और डबल ट्रैप)	श्री मार्सेलो द्राडी 60,000 अमरीकी डॉलर प्रतिवर्ष	इटली	अल्पकालिक आधार फरवरी 13–28–09 अप्रैल 04–24–09 फरवरी 01–16–10 जून 05–24–10 अप्रैल 12–17–10 सितम्बर 13–27–10 28 अक्तूबर 10 11 नवम्बर 10		प्रथम नियुक्ति हेतु 12 फरवरी, 2009 को भारत आए	हां
2.	शूटिग (स्कीट)	सुश्री जांग शान प्रतिवर्ष 60,000 अमरीकी डॉलर	चीन	अल्पकालिक आधार अप्रैल 09–21–09 फरवरी 14–27–10		प्रथम नियुक्ति हेतु 8 अप्रैल, 2009 को भारत आए	हां
3.	सिंक्रोनाइज्ड तैराकी	सुश्री हारूका फूजीशिमा प्रतिमाह 1500 अमरीकी डॉलर	जापान	22.01.2010 से 21.04.2010	पुणे	अनुबंध किया गया है	हां
4.	प्रोग्रामर/ विश्लेषक	श्री व्लादिमिर अफनासियेव 5000 अमरीकी डॉलर	कजाकिस्तान	29.03.2010 से 05.05.2010	पुणे		

अनुबंध–XIII

प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण के तहत सहायता प्राप्त खिलाड़ी/सहायक व्यक्ति

क्र.सं.	खिलाड़ी/वैज्ञानिक/कोच का नाम	खेल शाखा
1.	कृतिका नाडिग	शतरंज
2.	सुश्री भक्ति कुलकर्णी	शतरंज
3.	सुश्री सौम्या स्वामीनाथन	शतरंज
4.	श्री बी. अधिबन	शतरंज
5.	मास्टर सहेज ग्रोवर	शतरंज
6.	सुश्री तारिणी गोयल	शतरंज
7.	मास्टर एस.पी. सेतुरमन	शतरंज
8.	सुश्री गुरबानी सिंह	गोल्फ
9.	डॉ. अल्का बीयोत्रा और सुश्री शोभा अही	वैज्ञानिक, एनडीटीएल
10.	डॉ. शीला जैन	वैज्ञानिक, एनडीटीएल
11.	श्री सचिन डिबे	वैज्ञानिक, एनडीटीएल
12.	डॉ. काशिफ एम.	वैज्ञानिक, एनडीटीएल
13.	सयान मसूद	शूटिंग
14.	श्री विक्रम भटट्नागर	शूटिंग
15.	सुश्री कांची देसाई	तैराकी
16.	सुश्री गौरी देसाई	तैराकी
17.	मास्टर साई कार्तिक	टेनिस
18.	सुश्री जूही तलवार	शूटर
19.	श्री डी. किनन चेनई	शूटर
20.	श्री स्मित सिंह	शूटर
21.	सुश्री सान्या शेख	शूटर
22.	सुश्री अयोनिका आशिम पॉल	शूटर
23.	मास्टर दिपत्यिन घौष	शतरंज

क्र.सं.	खिलाड़ी/वैज्ञानिक/कोच का नाम	खेल शाखा
24.	श्री महीपत	कुश्ती
25.	श्री हरदीप	कुश्ती
26.	सुश्री एम. राघवी	तैराकी
27.	श्री विजय कुमार जयवन्त	तैराकी
28.	सुश्री अनन्या पाणिग्रही	तैराकी
29.	सुश्री एन एश्वर्या	समुद्री नौकायन
30.	श्री विस्पी डोगरा और श्री विजय शर्मा	भारोत्तोलन कोच
22 एस ए आई कोच (क्यूबा में प्रशिक्षण)		
1.	महावीर सिंह	मुक्केबाजी कोच
2.	जयवीर सिंह	मुक्केबाजी कोच
3.	प्रेम नाथ शर्मा	मुक्केबाजी कोच
4.	जसवंत सिंह	मुक्केबाजी कोच
5.	गणपति मनोहरन	मुक्केबाजी कोच
6.	सुमन गोनी	जुडो कोच
7.	पुनम राणा	जुडो कोच
8.	सुरेन्द्र सिंह	जुडो कोच
9.	गोविन्द्र सिंह संघा	कुश्ती कोच
10.	हरगोबिन्द सिंह	कुश्ती कोच
11.	ओम प्रकाश दहिया	कुश्ती कोच
12.	सुरेन्द्र कुमार बक्षी	भारोत्तोलन कोच
13.	गगन बिहारी बारीकी	भारोत्तोलन कोच
14.	सुखचैन सिंह	भारोत्तोलन कोच
15.	रणबीर सिंह	एथलेटिक कोच
16.	जोश मैथ्यू	एथलेटिक कोच
17.	सुरेश कुमार सैनी	एथलेटिक कोच
18.	संजय कुमार गार्निक	एथलेटिक कोच

क्र.सं.	खिलाड़ी/वैज्ञानिक/कोच का नाम	खेल शाखा
19.	भरत सिंह	एथलेटिक कोच
20.	विरेन्द्र कुमार वर्मा	एथलेटिक कोच
21.	परविन्द्र सिंह	एथलेटिक कोच
22.	देवेन्द्र कुमार शर्मा	भारोत्तोलन कोच
6 आरएसपीबी कोच (क्यूबा में प्रशिक्षण)		
1.	शैकीन्द्र तोमर	भारोत्तोलन कोच
2.	रामी रेडड्ी नील्लपू	एथलेटिक
3.	सोमा विश्वास	एथलेटिक
4.	दीपक कुमार	मुक्केबाजी
5.	शेख मेहराजुददीन अहमद	मुक्केबाजी
6.	पी रंगास्वामी	भारोत्तोलन
26 पीवाईकेकेए/कोच (क्यूबा में प्रशिक्षण)		
1.	सुरेन्द्र सिंह	
2.	जीजीलाईन नेंगमिंजा संगमा	
3.	कविता भूपति	
4.	थंगचुंनुगा हलावंचू	
5.	समीर देव वर्मा	
6.	सुधारकर रेडड्ी गुजुला	
7.	सुखजीन्द्र कौर बाजवा	
8.	कल्पना भन्डारी	
9.	पुनम मिश्रा	
10.	संजय सत्तापा बडोले	
11.	कमलेश कुमारी	
12.	तारा चौधरी	
13.	पलब कुमार डे	
14.	अनिल कुमार तिवारी	

क्र.सं.	खिलाड़ी/वैज्ञानिक/कोच का नाम	खेल शाखा
15.	सिबा प्रसाद पटनायक	
16.	वीरनगौडा पाटिल	
17.	मनोहर रामचन्द्र मोहिते	
18.	दीपाली सिंह	
19.	प्रमोद कुमार सिंह बैस	
20.	जोन रीबैलो पिन्टू	
21.	पवन कुमार दुबे	
22.	जैसिन्था डीसूजा	
23.	अनीता भाटिया	
24.	मनोरमा दास	
25.	सुधामाला श्रीनिवासन	
26.	राजू माइपी	
27.	शक्ति कुमार सागर	समन्वय
28.	बी. भंडारकर	समन्वय
	24 एसएआई कोच (हंगरी में प्रशिक्षण)	
1.	श्री प्रवीर सिंह	एथलेटिक
2.	श्री दिलीप कुमार सिंह	एथलेटिक
3.	श्री जसबीर सिंह	एथलेटिक
4.	श्री ओमवीर सिंह	एथलेटिक
5.	श्री भास्कर एस.	बास्केटबॉल
6.	श्री बिश्वेश्वर महापात्रा	हॉकी
7.	श्री रवि थोमस	हॉकी
8.	श्री टी. पी. मथीझगन	खो–खो–कबडड्ी
9.	श्री रामकृष्णा	जिमनास्टिक
10.	श्री रवीन्द्र कुमार पी.	जिमनास्टिक
11.	श्री शंकर मडगुन्डी	तैराकी

क्र.सं.	खिलाड़ी/वैज्ञानिक/कोच का नाम	खेल शाखा
12.	श्री के. पी. श्रीजीत	वॉलीबाल
13.	श्री जी. एस. तीवाना	फुटबाल
14.	श्री सुरेन्द्र कुमार	फुटबाल
15.	श्री नरेन्द्र सिंह	फुटबाल
16.	श्री अमित भटट्ाचार्य	फुटबाल
17.	श्री दस्तगीर अली के. एम	जुडो
18.	श्री उत्पल पुकन	जुडो
19.	श्री एल. जोनसन सिंह	केयाकिंग और केनोइिंग
20.	सुश्री एल. बिशियोरी देवी	केयाकिंग और केनोइिंग
21.	श्री प्रवीन कुमार व्यास	भारोत्तोलन
22.	श्री ए. दिनाचन्द्रा सिंह	भारोत्तोलन
23.	श्री कुन्जकिशोर सिंह	भारोत्तोलन
24.	श्री ईमो सिंह	भारोत्तोलन
	8 राज्य कोच	
1.	श्री गुरवीन्द्र सिंह	हॉकी
2.	सुश्री नीतू बाला	जिमनास्टिक
3.	श्री सुरेश मान	कुश्ती
4.	सुश्री रवीन्द्रा देवी	वॉलीबाल
5.	श्री भागीरथ	एथलेटिक
6.	श्री अनुराग वर्मा	मुक्केबाजी
7.	श्री थीरू एम. सैन्थील	मुक्केबाजी
8.	श्रीमती एस. अरूणा	तैराकी

अनुबंध–XIV

राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) से प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा

क्र.सं.	एनएसडीएफ से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	सहायता दिए जाने का प्रयोजन	राशि (रूपये में)
	2001–2002		
1.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाजी	विदेश में प्रशिक्षण	10,00,000
		कुल	10,00,000
	2002–2003		
1.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाजी	विदेश में प्रशिक्षण	5,00,000
2.	श्री अनिल कुमार, एथलीट	–वही–	5,00,000
3.	सुश्री बॉबी अलासियस, एथलीट	–वही–	7,50,000
		कुल	17,50,000
	2003–2004		
1.	सुश्री अंजू बॉबी जार्ज, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	14,91,505
2.	ले. कर्नल. राज्यवर्धन राठौर, निशानेबाजी	–वही–	78,23,496
3.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाजी	–वही–	1,90,000
4.	सुश्री बॉबी अलासियस, एथलीट	–वही–	18,67,531
5.	श्री अनिल कुमार, एथलीट	–वही–	8,37,794
		कुल	1,22,10,326
	2004–05		
1.	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाजी	विदेश में प्रशिक्षण	13,28,108
2.	श्री मानवजीत सिंह संधू, निशानेबाजी	–वही–	7,99,390
3.	श्री अनवर सुलतान, निशानेबाजी	–वही–	5,17,573
4.	श्री गगन नारंग, निशानेबाजी	–वही–	5,90,549
5.	सुश्री सुमा शिरूर, निशानेबाजी	–वही–	2,73,213
6.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाजी	–वही–	13,42,506

क्र.सं.	एनएसडीएफ से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	सहायता दिए जाने का प्रयोजन	राशि (रूपये में)
7.	सुश्री बॉबी अलासियस, एथलीट	—वही—	7,94,071
8.	ले. कर्नल. राज्यवर्धन राठौर, निशानेबाजी	—वही—	5,89,932
		कुल	62,35,342
		2005—06	
1.	श्री गगन नारंग, निशानेबाजी	विदेश में प्रशिक्षण	1,92,422
2.	ले. कर्नल. राज्यवर्धन राठौर, निशानेबाजी	—वही—	32,94,077
3.	श्री अनवर सुलतान, निशानेबाजी	—वही—	1,27,301
4.	श्री मानवजीत सिंह संधू, निशानेबाजी	—वही—	1,28,032
5.	सुश्री अंजू बॉबी जार्ज, एथलीट	—वही—	71,154
6.	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाजी	—वही—	1,00,662
7.	श्री मुराद अली खान, निशानेबाजी	—वही—	9,00,000
8.	ग्रमीण विकास प्रतिष्ठान	तीरंदाजी उपस्कर की खरीद हेतु	6,03,493
		कुल	54,17,141
		2006—07	
1.	श्री मानवजीत सिंह संधू, निशानेबाजी	विदेश में प्रशिक्षण	21,62,425
2.	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाजी	—वही—	8,35,041
3.	श्री रोनजन सोढी, निशानेबाजी	—वही—	13,18,013
4.	श्री अनवर सुलतान, निशानेबाजी	—वही—	8,32,471
5.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाजी	—वही—	37,02,661
6.	श्री परिमंजन नेगी, शतरंज	—वही—	7,59,463
		कुल	96,10,074
		2007—08	
1.	श्री मानवजीत सिंह संधू, निशानेबाजी	विदेशों में प्रशिक्षण	18,73,932
2.	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाजी	—वही—	16,32,578
3.	श्री अनवर सुलतान, निशानेबाजी	—वही—	4,32,887

क्र.सं.	एनएसडीएफ से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	सहायता दिए जाने का प्रयोजन	राशि (रूपये में)
4.	सुश्री सुमा शिरूर	–वही–	5,86,124
5.	श्री विक्रम भटनागर	–वही–	8,78,154
6.	ले. कर्नल. राज्यवर्धन राठौर, निशानेबाजी	–वही–	6,87,124
7.	श्री परिमंजन नेगी, शतरंज	–वही–	13,91,176
8.	श्री रोनजन सोढी, निशानेबाजी	–वही–	14,32,028
9.	भारतीय खेल प्राधिकरण		37,50,000 (परियोजना बंद किए जाने के बाद से वापिस कर दी गई)
10.	भारतीय खेल प्राधिकरण		3,08,774
11.	भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन		30,68,993
12.	एनआईसी	खेल सॉफ्टवेयर बनाना	4,00,000
13.	श्री वीरधवल खड़े	प्रशिक्षण के लिए	3,20,590
14.	श्री जोरावर सिंह संधू	प्रशिक्षण के लिए	3,94,890
15.	श्री अभिनव बिद्रा	प्रशिक्षण के लिए	6,01,248
		कुल	1,77,58,498
		2008–09	
1–5	सुश्री अवनीत कौर सुश्री अंजली भागवत श्री गगन नारंग श्री संजीव राजपूत श्री समरेश जंग (साथ नियुक्त कोचों सहित)	प्रशिक्षण के लिए	57,95,494
6.	सुमा शिरूर	–वही–	2,90,027
7.	श्री अनवर सुलतान	–वही–	1,43,165
8.	श्री विक्रम भटनागर	–वही–	1,09,002
9.	श्री जोरावर सिंह	–वही–	6,00,928

क्र.सं.	एनएसडीएफ से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	सहायता दिए जाने का प्रयोजन	राशि (रूपये में)
10.	सुश्री तानिया सचदेव	—वही—	4,63,599
11.	श्री मानवजीत सिंह संधू	—वही—	43,75,418
12.	श्री मनशेर सिंह	—वही—	48,40,220
13.	श्री रोनजन सोढी	—वही—	43,36,584
14.	श्री अभिनव बिद्रा	—वही—	9,81,229
15.	श्री परिमंजरन नेगी	—वही—	10,93,237
16.	श्री विरधवल खडे	—वही—	10,30,656
17.	संदीप सेजवाल	—वही—	3,44,045
18.	श्री अनूप श्रीधर	—वही—	5,16,195
19.	श्री नरेश कुमार शर्मा	—वही—	28,12,904
20.	भारतीय नौकायन संघ	—वही—	12,78,081
21.	भारतीय जूडो संघ	—वही—	4,45,744
22.	अखिल भारतीय टेनिस एसोसिएशन	—वही—	29,14,560
23.	भारतीय अमेच्योर मुक्केबाजी संघ	—वही—	11,64,158
24.	प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु एथलिटों की घरेलू हवाई यात्रा पर व्यय	घरेलू हवाई यात्रा पर व्यय	1,03,888
25.	मेलबोर्न ओलंपिक्स 1956 में भारतीय फुटबाल टीम के 9 सदस्यों का सम्मान	सम्मान समारोह	13,50,000
26.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	खेल सॉफ्टवेयर के रख रखाव हेतु	1,50,000
		कुल	3,51,39,134
	2009—10		
1.	श्री अनिल कुमार	प्रशिक्षण के लिए	6,40,977
2.	श्री परिमंजन नेगी	—वही—	16,85,418
3.	सुश्री तानिया सचदेव	—वही—	6,73,869
4.	श्री अभिनव बिद्रा	—वही—	90,54,728
5.	सुश्री अंजली भागवत	—वही—	90,177

क्र.सं.	एनएसडीएफ से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	सहायता दिए जाने का प्रयोजन	राशि (रूपये में)
6.	सुश्री अवनीत कौर	—वही—	1,26,277
7.	श्री गगन नारंग	—वही—	1,16,973
8.	श्री संजीव राजपूत	—वही—	1,17,511
9.	सोमरेश जंग	—वही—	64,801
10.	श्री मानवजीत सिंह संधू	—वही—	54,19,244
11.	श्री मनशेर सिंह	—वही—	34,50,038
12.	श्री रोनजन सोढी	—वही—	47,20,986
13.	श्री नरेश कुमार शर्मा	—वही—	16,36,489
14.	श्री शिवा केशावन	—वही—	16,24,008
15.	श्री जामयंग नामग्याल	—वही—	8,69,322
16.	श्री ताशी लुनडुप	—वही—	7,56,322
17.	श्री अनूप श्रीधर	—वही—	73,808
18.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	10 संबद्ध कालेजो में खेल सुविधाएं सृजित करना	1,36,00,000
19.	भारतीय राष्ट्रीय खेल मैदान एसोसिएशन (एनपीएफएआई)	एनपीएफएआई के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभिक धनराशि के रूप में	50,00,000
20.	अटल बिहारी बाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान मनाली हिमाचल प्रदेश	अल्पाइन/ग्रास स्किइंग में प्रशिक्षण/प्रतिस्पर्धा हेतु स्किंइग उपस्करों का प्रापण	75,00,000
21.	जिला खेल परिषद कुरूक्षेत्र	महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए छात्रावास का निर्माण	37,50,000
22.	उपायुक्त, लेह	नूब्रा घाटी में पोलो टूर्नामैट आयोजित करना	75,000
23.	भारतीय नौकायन संघ	ओलम्पिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के भाग के रूप में	75,101

क्र.सं.	एनएसडीएफ से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	सहायता दिए जाने का प्रयोजन	राशि (रूपये में)
24.	भारतीय जूड़ो संघ	ओलम्पिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के भाग के रूप मे	12,690
25.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	खेल सॉफ्टवेयर के रख रखाव हेतु	2,07,250
26.	राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी	प्रोत्साहन के रूप में भुगतान	90,20,000
		कुल	7,03,61,472
	2011–11 (31.12.2010 तक)		
1.	श्री परिमरजन नेगी	प्रशिक्षण के लिए	3,81,532
2.	श्री अभिनव बिद्रा	–वही–	63,79,820
3.	श्री मानवजीत सिंह संधू	–वही–	43,59,970
4.	श्री मनशेर सिंह	–वही–	39,73,507
5.	श्री रोनजंन सोढी	–वही–	23,75,093
6.	श्री सोमदेव देववर्मन	–वही–	6,19,005
7.	श्री बलजीत सिंह	चिकित्सा व्यय	29,45,258
8.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	खेल बुनियादी ढ़ाचा	45,40,000
9.	भारतीय कुश्ती संघ	ओलम्पिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के भाग के रूप मे	2,91,133
10.	चाइल्डलिंक इंडिया फाउन्डेशन (मैजिक बस)	विकास हेतु खेलों पर मैदान शिखर सम्मेलन 2010–राष्ट्रीय सम्मेलन हेतु स्थल प्रभार	1,16,400
11.	तंगखुल नागा सोसायटी	नई दिल्ली में चौथा पूर्वोत्तर तम्चोन फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करना	3,00,000
12.	जिला युवा सेवाएं एवं खेल (लाहोल एवं स्पिति)	काजा (स्पिति) में आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण	3,11,090
13.	राष्ट्रमंडल खेल 2010 और एशियाई खेल 2010 में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार	पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार	20,31,99,991
	कुल	22,97,92,799	

विभिन्न संगठनों से राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) को अंशदान

(राशि रूपयों में)

वर्ष	स्रोत जिससे निधियां जुटाई गई हैं (दानकर्ता का नाम)	दान की राशि	बराबरी आधार पर सरकार का योगदान
1998–99	–	–	2,00,00,000 (प्रारंभिक धनराशि)
1999–00	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉवर कार्पोरेशन लि.	5,00,000	11,60,000
	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	5,00,000	
	मैसर्स बलमेर लौरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड	1,00,000	
	पंजाब नेशनल बैंक	50,000	
	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	10,000	
2000–01	नापथा झाकरी पॉवर कोरपोरेशन लिमिटेड	2,00,000	1,25,00,000
	पॉवर फायनेंस कोरपोरेशन	2,00,000	
	कुछ वर्षों पहले श्री कपिल देव द्वारा अंशदान जो राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण निधि ने अप्रयुक्त पड़ा है जिसका ब्याज श्री कपिल देव की सहमति से एनएसडीएफ को अन्तरित कर दिया गया	1,21,00,000	
2001–02	हुडको	25,00,000	25,00,000
2002–03	–		
2003–04	पंजाब नेशनल बैंक	5,00,000	19,46,050
	भारतीय आयात–निर्यात बैंक	5,00,000	
	बैंक ऑफ इंडिया	50,000	
	चैन्नई पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड	1,00,000	
	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कोरपोरेशन ऑफ इंडिया	20,000	
	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	25,000	
	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	25,000	

वर्ष	स्रोत जिससे निधियां जुटाई गई हैं (दानकर्ता का नाम)	दान की राशि	बराबरी आधार पर सरकार का योगदान
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,00,000	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5,00,000	
	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,25,000	
	श्री के एस राणा	300	
	श्री के पी कन्हैया	250	
	श्री एस के गुप्ता	500	
2004–05	पॉवर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5,00,000	19,83,599
	वीडियोकोन इन्टरनेशनल लिमिटेड	1,20,000	
	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	20,000	
	ओरिएंन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	3,00,000	
	पुज्जोलन मशीनरी फेब्रिकेटर्स	4,00,000	
	राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्वज वितरण के माध्यम से एकत्रित निधियां	6,43,649	
2005–06	जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड	25,00,000	28,79,027
	राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्वज वितरण के माध्यम से एकत्रित निधियां	3,78,352	
2006–07	राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्वज वितरण के माध्यम से एकत्रित निधियां	84,219	
2007–08	एसएआईएल	1,00,00,000	5,00,00,000
	बीसीसीआई	15,00,00,000	
2008–09	बीसीसीआई	35,00,00,000	10,25,00,000
2009–10	आरएआई फाउन्डेशन	10,00,000	8,12,00,000
	मध्य प्रदेश सरकार	1,00,00,000	
	हरियाणा सरकार	1,00,00,000	
2010–11			20,00,00,000
	कुल	55,40,52,270	47,66,68,676

राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए प्रतिस्पर्धा स्थलों की सूची

क्र.सं.	खेल शाखा	स्थल	स्थिति	एजेंसी
वितपोषण : युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस)				
1	जल क्रीड़ाए	एस.पी. मुखर्जी तरणताल	पूर्ण पुनःसंरचना व पुनःमाडलिंग	एसएआई / सीपीडब्ल्यूडी
2	एथलेटिक्स	जे.एन. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स	पूर्ण पुनःसंरचना व पुनःमाडलिंग	एसएआई / सीपीडब्ल्यूडी
3	साइकलिंग	वेलोडरोम, आई.जी. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स	नया इन्डोर स्टेडियम	एसएआई / सीपीडब्ल्यूडी
4	जिमनास्टिक	आई.जी. इन्डोर स्टेडियम	पूर्ण पुनःसंरचना व पुनःमाडलिंग	एसएआई / सीपीडब्ल्यूडी
5	हॉकी	एमडीसी नेशनल स्टेडियम	पूर्ण पुनःसंरचना व पुनःमाडलिंग	एसएआई / सीपीडब्ल्यूडी
6	लॉन बाउल्स	जे.एन. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स	नया आउटडोर ग्रीन्स	एसएआई / सीपीडब्ल्यूडी
7	निशानेबाजी	डॉ. कर्णी सिंह निशानेबाजी रेंज	न्यू रेंजेस	एसएआई / सीपीडब्ल्यूडी
8	भारोत्तोलन	जे.एन. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स	नया इन्डोर ऑडिटोरियम	एसएआई / सीपीडब्ल्यूडी
9	कुश्ती	आई.जी. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स	नया इन्डोर स्टेडियम	एसएआई / सीपीडब्ल्यूडी
10	रग्बी	दिल्ली विश्वविद्यालय	नया आउटडोर स्टेडियम	दिल्ली विश्वविद्यालय
11	टेनिस	आर.के.खन्ना टेनिस कॉम्पलेक्स	पूर्ण पुनःसंरचना व पुनःमाडलिंग	ऑल इंडिया टेनिस एसोसेशियन
12	निशानेबाजी	सीआरपीएफ सेन्टर, कादरपुर–बिग बोर निशानेबाजी	न्यू रेंजस	सीपीडब्ल्यूडी / सीआरपीएफ

क्र.सं.	खेल शाखा	स्थल	स्थिति	एजेंसी
वितपोषण : शहरी विकास मंत्रालय (एमयुडी), भारत सरकार				
13	तीरंदाजी	यमुना स्पोर्ट्स काूम्पलेक्स	नया आउटडोर रेंज	डीडीए
14	बैडमिन्टन	सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स	नया इन्डोर स्टेडियम	डीडीए
15	स्कवॉश	सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स	नया इन्डोर स्टेडियम	डीडीए
16	टेबल टेनिस	यमुना स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स	नया इन्डोर स्टेडियम	डीडीए
वितपोषण : दिल्ली सरकार				
17	नेटबॉल	त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स	पूर्ण पुनःसंरचना व पुनःमाडलिंग	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
18	मुक्केबाज़ी	तालकटोरा इन्डोर स्टेडियम	पूर्ण पुनःसंरचना व पुनःमाडलिंग	एनडीएमसी